वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय
के अन्तर्गत सांविधिक निकाय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
01	प्रस्तावना	2-3
02	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन	4-7
03	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें	8-10
04	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां	11-13
05	प्रशासनिक मामले	14-22
06	वित्त एवं लेखा	23-25
07	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना	26-29
08	सांविधिक अनुपालन	30-35
09	अनुलग्नक	36-149

अध्याय 01

भूमिका

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। वर्ष 2006 में यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत गठित, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण देश में व्याघ्र संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन व्याघ्रों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए उपायों को बेहतर बनाने और लागू करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ उक्त अधिनियम द्वारा इसे सौंपे गए अधिदेश के तहत कार्य करता है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण देश भर में व्याघ्र संरक्षण प्रयासों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देते हुए उक्त अधिनियम के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है। इसमें व्याघ्र प्रस्थिति के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित परामर्शी/निर्देशात्मक दिशानिर्देश, चालू संरक्षण परियोजनाओं और विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रतिधारित रखना शामिल है।

अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, एनटीसीए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए नियामक मानक) दिशा-निर्देश, 2012 के अनुसार, व्याघ्रों के जंगल पर्यावासों की सहायता के लिए प्रावधान के साथ देश के 18 रेंज राज्यों में फैले 55 टाइगर रिजर्व को 'प्रोजेक्ट टाइगर' पहल के माध्यम से निधियन सहायता प्रदान करता है। 'प्रोजेक्ट टाइगर', व्याघ्रों के यथास्थिति संरक्षण के लिए समर्पित वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में कार्य करता है। इस योजना ने लुप्तप्राय व्याघ्र को विलुप्त होने के कगार से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि परिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान (एआईटीई) के हालिया निष्कर्षों से प्रमाणित हुआ है।

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में व्याघ्रों की जीवनक्षम आबादी को बनाए रखने के प्रोजेक्ट टाइगर के विजन को प्राप्त करने और लोगों के लाभ, शिक्षा और आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों को सदैव राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निम्नलिखित प्रयास करता है:

1. प्रोजेक्ट टाइगर को सांविधिक अधिकार प्रदान करता है ताकि इसके निर्देशों के अनुपालन को कानूनी दायरे में लाया जा सके।
2. राज्यों, रिजर्व प्रबंधन और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से, हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है।
3. संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करता है।
4. टाइगर रिजर्वों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका हितों का ध्यान रखता है।

अध्याय 02

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 4 सितंबर, 2006 को व्याघ्र संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। इसके प्रमुख कार्यों में व्याघ्र अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए मानक मानदंड स्थापित करना, अभयारण्य-विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजनाएँ तैयार करना, संसद में वार्षिक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, व्याघ्रों, सह-शिकारियों, शिकार और आवासों के अनुसंधान और निगरानी का समन्वय करना, मुख्यमंत्रियों और व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशनों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन सुनिश्चित करना शामिल है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण सदस्यों की संरचना, जैसा कि आधिकारिक तौर पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया है, **जो अनुलग्नक I में देखी जा सकती है**, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**विवरण**	**पदनाम**
1	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3	सुश्री दिया कुमारी संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4	श्री कीर्ति वर्धन सिंह संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5	श्री सुशील कुमार मोदी संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6	श्री एस.एस. श्रीवास्तव, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, ओडिशा	विशेषज्ञ सदस्य
7	श्री राहुल भटनागर, पूर्व क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उदयपुर, राजस्थान	विशेषज्ञ सदस्य
8	श्री रवि सिंह, महासचिव, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-भारत, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	विशेषज्ञ सदस्य

9	श्री रूप नारायण मांडवे, एमबीबीएस, डी.सी.पी. कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश	विशेषज्ञ सदस्य
10	डॉ. प्रदीप के. मलिक, पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर - भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	विशेषज्ञ सदस्य
11	श्री डब्ल्यू. लोंगवाह, पूर्व आईजीएफ (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, बशिष्ट चारियालि, गुवाहाटी, असम	विशेषज्ञ सदस्य
12	डॉ. एच. एस. नेगी, भूतपूर्व एपीसीसीएफ (डब्ल्यूएल), मध्य प्रदेश	विशेषज्ञ सदस्य
13	डॉ. मधु वर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व संसाधन संस्थान, नई दिल्ली	विशेषज्ञ सदस्य
14	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
15	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
16	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
17	सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
18	अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य
19	अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
20	सचिव पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
21	निदेशक वन्यजीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
22	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान	सदस्य
23	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	सदस्य
24	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तमिलनाडु	सदस्य
25	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड	सदस्य

26	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मिजोरम	सदस्य
27	मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़	सदस्य
28	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय	सदस्य
29	अपर महानिदेशक (प्रोजेक्ट टाइगर), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के प्रकार्य:

वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 972 की धारा 38ण के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और प्रकार्य इस प्रकार हैं :

(क) इस अधिनियम की धारा 38V की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना को अनुमोदित करना;

(ख) संधारणीय विकास पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन करना तथा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के भीतर खनन, उद्योग और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिकी रूप से बेढंग भूमि उपयोग को रोकना;

(ग) समय-समय पर व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के सुरक्षित और प्रमुख क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन से प्रोजेक्ट टाइगर के लिए दिशा-निर्देश तथा पर्यटन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक मानक निर्धारित करना तथा उनका विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) कार्य-योजना संहिता में राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यरणों अथवा टाइगर रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में मानव और वन्यजीव से संबंधित संघर्ष का समाधान करने के प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा उपाय सुझाना और इनके सह-अस्तित्व पर विशेष ध्यान देना;

(ड) भावी संरक्षण योजना, व्याघ्र और इसकी प्राकृतिक भक्ष्य पशु प्रजातियों के आकलन, प्राकृतिक वास प्रस्थिति, बीमारी सर्वेक्षण, मृत्यु सर्वेक्षण, पेट्रोलिंग, अनुचित घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट और भावी संरक्षण योजना के लिए यथा-उपयुक्त अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित संरक्षण उपायों के संबंध में सूचना प्रदान करना;

(च) व्याघ्र, सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु पर्यावास, सम्बद्ध पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संबंध में अनुसंधान तथा निगरानी को अनुमोदित, समेकित करना तथा इनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र अथवा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र अथवा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन तथा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से जनहित के अलावा, अन्य किसी बेढ़ंग पारिस्थितिकी उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाता है;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास और जनता की सहभागिता के माध्यम से राज्य में जैव-विविधता संरक्षण पहलों के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन को सुकर बनाना और सहायता प्रदान करना तथा केन्द्र और राज्य कानूनों के अनुसार इनसे संबंधित क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुकर बनाना; और

(ट). व्याघ्रों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उददेश्यों को पूरा करने के लिए यथा-आवश्यक अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

अध्याय 03

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण की बैठकों के अलावा, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने एक तकनीकी समिति और एक प्रशासनिक समिति का गठन किया है, जो देश के व्याघ्रों वाले परिदृश्यों में संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने और परिष्कृत करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करती हैं। ये प्रत्यक्ष क्षेत्र हस्तक्षेपों के साथ-साथ क्षमता निर्माण और आउटरीच पहल भी हो सकती हैं।

2023-24 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

1. प्राधिकरण की बैठकें

क. प्राधिकरण की **23वीं बैठक** दिनांक 29 मई, 2023 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित की गई, जिसमें हुए विचार-विमर्श को **अनुलग्नक II** में देखा जा सकता है।

ख. प्राधिकरण की **24वीं बैठक** दिनांक 29 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें हुए विचार-विमर्श को

अनुलग्नक III में देखा जा सकता है।

तकनीकी समिति की बैठकें

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनटीसीए की तकनीकी समिति की 6 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। इस दौरान लिए गए निर्णयों को नीचे दी गई तालिका में साथ ही उल्लेखित किया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	संदर्भ	सारांश रिकॉर्ड
1	02.05.2023	पहली तकनीकी समिति	अनुलग्नक-IV
2	04.08.2023	दूसरी तकनीकी समिति	अनुलग्नक-V
3	11.09.2023	तीसरी तकनीकी समिति	अनुलग्नक-VI
4	09.10.2023	चौथी तकनीकी समिति	अनुलग्नक-VII
5	03.01.2024	पांचवी तकनीकी समिति	अनुलग्नक-VIII
6	16.02.2024	छठी तकनीकी समिति	अनुलग्नक-IX

2. प्रशासनिक समिति की बैठकें

2023-24 के दौरान एनटीसीए की प्रशासनिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

अध्याय 04

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए निम्नलिखित टीमों और समितियों का गठन किया।

1. प्रतिकूल मीडिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फलौदी रेंज में व्याघ्रों के कथित लापता होने और जहर के कारण व्याघ्र के शावकों की मृत्यु की जांच के लिए निम्नलिखित समिति (दिनांक 11.09.2023 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-4/2019-एनटीसीए) का गठन किया। **(अनुलग्नक X)**

   क. मो. साजिद सुल्तान, एआईजीएफ, एनटीसीए

   ख. डॉ अयान साधु, एनटीसीए व्याघ्र प्रभाग

2. एमएमए की अनुमति के साथ टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती होटलों/रेस्तरां की पगमार्क रेटिंग प्रणाली के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक समिति (दिनांक 04.07.2023 का आदेश संख्या 15-3/2023-एनटीसीए) गठित की गई थी। **(अनुलग्नक XI)**

1	श्री प्रशांत कुमार, सेवानिवृत्त विशेष सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष
2	श्री संजयन कुमार, सीसीएफ, कोल्लम, केरल	सदस्य
3	श्री एल. कृष्णमूर्ति, क्षेत्र निदेशक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश	सदस्य
4	श्री प्रमोद पी.पी., क्षेत्र निदेशक, पेरियर टाइगर रिजर्व, केरल	सदस्य
5	श्री धीरज मित्तल, .एआईजी (एफसी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
6	श्री मो. साजिद सुल्तान, एआईजी (एनटीसीए), नई दिल्ली	संयोजक

3. वन्यजीव उपकरणों (अनुलग्नक XII) के स्वदेशी उत्पादन/विनिर्माण के संबंध में चर्चा/आगे की रणनीति बनाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति (दिनांक 24.08.2023 का आदेश संख्या 15-3/2008-एनटीसीए) गठित की गई थी:

1	डॉ. के. रमेश, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून
2	डॉ. जी. अरेन्द्रन, निदेशक, आईजीसीएमसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया
3	डॉ. यशवीर भटनागर, कंट्री हेड, आईयूसीएन इंडिया
4	श्री सुमित सभरवाल, अध्यक्ष ए एंड एस क्रिएशन
5	श्री राजेंद्र मूथा, मुख्य परिचालन अधिकारी और अवसंरचना प्रमुख, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क
6	श्री साजिद मुख्तार, अध्यक्ष, रोटर प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, रुड़की
7	श्री मो. साजिद सुल्तान, एआईजी (एनटीसीए), नई दिल्ली - सदस्य संयोजक

4. वन्यजीव स्वास्थ्य/सक्रिय प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली पशु चिकित्सा दवाओं के स्वदेशी उत्पादन के संबंध में चर्चा/आगे की राह तय करने के लिए एक समिति गठित (दिनांक 21.08.2023 का आदेश संख्या 7-20/2023-एनटीसीए) की गई थी: **(अनुलग्नक XIII)**

1	डॉ. प्रदीप मलिक, सदस्य एनटीसीए - अध्यक्ष
2	पशुपालन आयुक्त (एएचसी), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली या उनके प्रतिनिधि।

3	औषधि महानियंत्रक (भारत), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली या उनके प्रतिनिधि।
4	नारकोटिक्स आयुक्त, भारत सरकार, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, द मॉल, मुरार, ग्वालियर-474 006, मध्य प्रदेश या उनके प्रतिनिधि।
5	डॉ. पराग निगम, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान।
6	डॉ. अरुण आत्रे, एमडी और सीईओ, जेनेक्स एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।
7	डॉ. डी.जे. कलिता, प्रमुख तकनीकी एवं नियामक, जेनेक्स एनिमल हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
8	श्री एम.एस. सुल्तान, एआईजीएफ एनटीसीए, - सदस्य संयोजक

अध्याय 05

प्रशासनिक मामले

सदस्य सचिव को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अवस्थापना में 13 नियमित / 33 संविदा आधारित प्रशासनिक कार्मिक हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की कार्यालय अवस्थापना से संबंधित पदों और पदधारियों (2023-24) का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	पे लेवल/वेतन (रु)
		मुख्यालय	
1	सदस्य सचिव	डॉ. एस.पी. यादव फरवरी 2024 तक डॉ. जी.ए. भारद्वाज मार्च 2024 से	लेवल-16 (205400-224400)
2	महानिरीक्षक	डॉ. अमिक मल्लिक	लेवल-15 (182200-224100)
3	उप महानिरीक्षक	श्री राजेन्द्र जी गारवाड़	लेवल-14 (144200-218200)
4	उप महानिरीक्षक	डॉ. वैभव सी. माथुर	लेवल-14 (144200-218200) नवंबर 2023 से
5	सहायक महानिरीक्षक	श्रीमती बानुमथी जी.	लेवल-13ए (123100-215900)
6	सहायक महानिरीक्षक	मो. साजिद सुल्तान	लेवल-12 (78800-209200)
7	सहायक महानिरीक्षक	श्री हेमंत सिंह	लेवल-12 (78800-209200)
8	सहायक महानिरीक्षक	डॉ. अभिषेक कुमार	लेवल-12 (78800-209200)

9	उप निदेशक (वित्त)	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	Leve-11 (56100-177500) सितंबर 2023 तक
10	निजी सचिव	रिक्त	
11	अनुभाग अधिकारी	रिक्त	
12	सहायक	रिक्त	
13	स्टाफ कार चालक	रिक्त	
14	बहु कार्य कर्मचारी	श्री मदन सिंह	लेवल-4 (25500-81100) मार्च 2023 तक
15	बहु कार्य कर्मचारी	श्री सुरेश पंडित	लेवल-4 (25500-81100)
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी			
16	महानिरीक्षक	रिक्त	
17	ओएसटी (एनटीसीए)	श्री डब्ल्यू. लौंग्वा	रुपये 1,12,050/- (निश्चित)
18	सहायक महानिरीक्षक	रिक्त	
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
19	महानिरीक्षक	श्री एन.एस. मुरली	लेवल-14 (144200-218200)
20	सहायक महानिरीक्षक	सुश्री हरिणी वेणुगोपाल	लेवल-13A (123100-215900)
क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
21	महानिरीक्षक	रिक्त	
22	सहायक महानिरीक्षक	डॉ. अभिषेक कुमार	लेवल-12 (78800-209200)
आउटसोर्स आधार पर कर्मचारी			

मुख्यालय			
1	अनुभाग अधिकारी	निपुन वशिष्ठ	रुपये 47,600/-
2	लेखाकार	कुशाल भंडारी	रुपये 51,500/-
3	डाटा विश्लेषक	भोगेन्द्र मिश्र	रुपये 45,000/-
4	डाटा एंट्री ऑपरेटर	शीतल बिष्ट	रुपये 43,500/-
5	डाटा एंट्री ऑपरेटर	खुशी राम	रुपये 25,600/-
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर	धीरेंद्र कुमार पांडे	रुपये 25,200/-
7	डाटा एंट्री ऑपरेटर	आरती	रुपये 25,200/-
8	डाटा एंट्री सहायक	सनी	रुपये 22,744/-
9	डाटा एंट्री ऑपरेटर	अंकित कुमार	रुपये 25,200/-
10	डाटा एंट्री सहायक	अलिशा	रुपये 22,000/-
11	डाटा एंट्री सहायक	स्वाती	रुपये 22,744/-
12	कार्यालय सहायक	लक्ष्मण सिंह	रुपये 36,200/-
13	कार्यालय सहायक	मुकेश कुमार	रुपये 36,200/-
14	चालक	मो. अकबर	रुपये 27,400/-
15	चालक	सिया राम	रुपये 25,200/-
16	संदेशवाहक	शिव सिंह	रुपये 26,100/-
17	संदेशवाहक	दीपक सिंह	रुपये 24,000/-
18	सफाई कर्मचारी	राहुल	रुपये 22,000/-
19	सलाहकार	अनिंदिता बिदिशा चटर्जी	रुपये 60,000/-
20	शोध सहायक	आंचल भसीन	रुपये 40,000/-
21	बहु कार्य कर्मचारी	राजू	रुपये17,494/-

क्षेत्रीय कार्यालय, मुवाहाटी			
20	वरिष्ट परियोजना सहायक	अगथा सी मोमिन	रुपये 49,560/-
21	डाटा एंट्री ऑपरेटर	जीतूमणि महंता	रुपये 21,800/-
22	चौकीदार	माइकल कुमार राभा	रुपये 19,100/-
23	बहु कार्य कर्मचारी	नयन ज्योति राहांग	रुपये 19,100/-
क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
24	प्रधान परियोजना सहायक	अनिल कुमार दशहारे	रुपये 57,820/-
25	डाटा एंट्री ऑपरेटर	कृनाल आर. नंदनवार	रुपये 22,400/-
26	चौकीदार	प्रफुल बी. बगाडे	रुपये 21,000/-
27	बहु कार्य कर्मचारी	योगेश जी. सकर्डे	रुपये 18,700/-
28	चौकीदार	राहुल एन. खाडसे	रुपये 21,000/-
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
29	बहु कार्य कर्मचारी	कुमार एम.के.	रुपये 18,700/-
30	डाटा एंट्री ऑपरेटर	एम.आर. राधा	रुपये 22,400/-
31	चौकीदार	संतोष कुमार बोडके	रुपये 21,000/-
32	बहु कार्य कर्मचारी	वामशीकृष्णा के	रुपये 18,700/-

2023-24 के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलें

1. एनटीसीए की सलाह पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2 नए टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (20.9.2023) और राजस्थान में धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (6.10.23) शामिल हैं, जो क्रमशः देश में 54वें और 55वें

टाइगर रिजर्व बन गए। देश के सभी टाइगर रिजर्वों की सूची **(अनुलग्नक XIV)** पर देखी जा सकती है।

2. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) का उद्घाटन करके एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। यह गठबंधन बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और सुरक्षा में वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल जैव विविधता के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर बल देते हुए विश्व भर में बड़ी बिल्लियों के कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए इन भव्य प्राणियों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की परिकल्पना बिग कैट के हित में योगदान देने के इच्छुक व्यापारिक समूहों और कॉरपोरेट्स के अलावा 96 बिग कैट रेंज देशों, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज देशों, संरक्षण भागीदारों और बिग कैट संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक संगठनों के एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य नेटवर्क स्थापित करना तथा केन्द्रित ढंग से तालमेल विकसित करना है, ताकि सफल पद्धतियों और कार्मिकों का एक केन्द्रीकृत संग्रह एक साझा मंच पर लाया जा सके, जिसे निधियन सहायता प्राप्त हो, जिसका उपयोग क्षेत्र में संरक्षण एजेंडे को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सके, ताकि बड़ी बिल्लियों की जनसंख्या में गिरावट को रोका जा सके तथा इस प्रवृत्ति को बदला जा सके। यह बिग कैट एजेंडे पर नेतृत्व की स्थिति में एक प्रदर्शनकारी कदम होगा, जिससे विभिन्न देशों और अन्यों को एक साझा मंच पर लाया जा सकेगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारती में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (आईबीसीए) की स्थापना को अनुमोदित किया।

3. प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने

'भारत में व्याघ्रों की स्थिति: 2022' रिपोर्ट जारी की, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्याघ्र संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए व्याघ्रों की बढ़ती आबादी को बचाने और उन्हें पालन-पोषण देने में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला।

4. एनटीसीए ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से दिनांक 9 अगस्त, 2023 से 11 अगस्त, 2023 तक विभिन्न व्याघ्र रेंज राज्यों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय "व्याघ्र रिजर्व के सक्रिय प्रबंधन पर अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम" का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने अपनी चर्चा के दौरान विज्ञान, प्रणालियों, शासन,

सामुदायिक कल्याण और कार्रवाई-उन्मुख प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। वे प्रभावी

संरक्षण प्रयासों के लिए इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देते हुए व्याघ्र रिजर्वों के नवनियुक्त एफडी और डीडी के साथ वार्तालाप करते हैं।

5. कंबोडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का दौरा किया, ताकि पन्ना में व्याघ्रों के सफलतापूर्वक वापस लाए जाने से महत्वपूर्ण सीख ली जा सके।

एनटीसीए ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और मध्य प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर इस दौरे के लिए सुविधा प्रदान की।

6. प्रिमोस्र्की क्राय, रूस सुदूर पूर्व में स्थित लैंड ऑफ लेपर्ड नेशनल पार्क के प्रतिनिधियों ने

एनटीसीए में ज्ञान-साझाकरण सत्र में भाग लिया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत में व्याघ्रों और अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रबंधन पद्धतियों पर सहयोग करना और अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करना था। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भी दौरा किया।

7. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में "मौन वार्तालाप: हाशिये से केंद्र तक" नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह कला प्रदर्शनी आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासियों के लिए कला के माध्यम से वन्यजीवों,

विशेषकर व्याघ्रों के साथ अपने सदियों पुराने संबंधों को साझा करने का एक मंच था।

8. 17 सितंबर, 2022 को 75 वर्षों के बाद चीते की वापसी के साथ भारत के वन्यजीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक क्षण आया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की इस अनूठी अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण पहल ने 17 सितंबर, 2023 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई।

इस सफलता के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के सेसईपुरा वन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), एनटीसीए और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

9. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ग्लोबल टाइगर डे समारोह ने भारत की संरक्षण उपलब्धताओं को उजागर किया। 50 वर्षों में, प्रोजेक्ट टाइगर 55 रिजर्व तक फैल गया, जिसने 78,735.5966 वर्ग किलोमीटर को कवर किया और दुनिया की 70% जंगली व्याघ्र आबादी का पोषण किया। विस्तृत अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान रिपोर्ट ने अद्वितीय व्याघ्रों के अद्वितीय दर्शन में वृद्धि दिखाई और अनुमान लगाया कि व्याघ्रों की आबादी 3682 है, जो 3925 तक हो सकती है, जो 6.1% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। विशेष रूप से, मध्य भारत और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि देखी गई, जबकि अन्य में गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे लक्षित निगरानी और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। अवैध शिकार जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, भविष्य के लिए भारत की व्याघ्रों की

आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए गहन सुरक्षा उपायों और आवास संरक्षण की आवश्यकता है। श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से व्याघ्र रेंज राज्यों और प्रमुख मंत्रालयों के अधिकारियों की उपस्थिति में "भारत में व्याघ्रों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति 2022" रिपोर्ट जारी की।

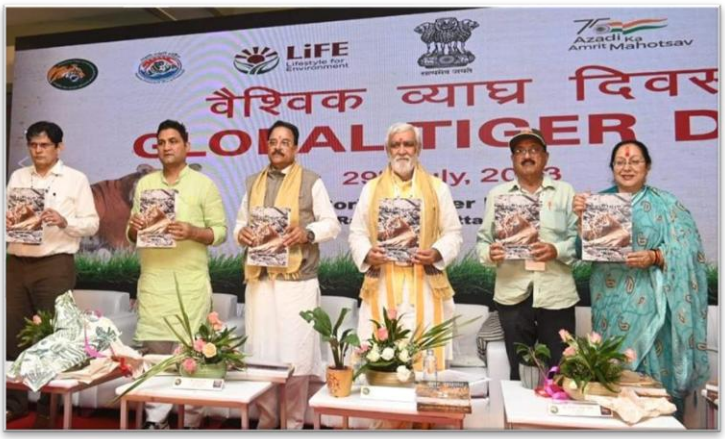

उक्त कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र पर विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की। संरक्षित क्षेत्रों पर आईयूसीएन विश्व आयोग के ढांचे का पालन करते हुए भारत ने अपने टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) के पांचवें चक्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नवीनतम चक्र में, 12 टाइगर रिज़र्व ने 'उत्कृष्ट', 21 ने 'बहुत अच्छा', 13 ने 'अच्छा' और 5 ने 'उचित' रेटिंग हासिल की। सभी 51 मूल्यांकित टाइगर रिजर्वों के लिए कुल औसत स्कोर 78.01% था। ये परिणाम टाइगर रिजर्व नेटवर्क की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

10. एनटीसीए द्वारा किए जा रहे कार्यों को वर्ष 2023-24 के दौरान जारी निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रकाशनों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया।

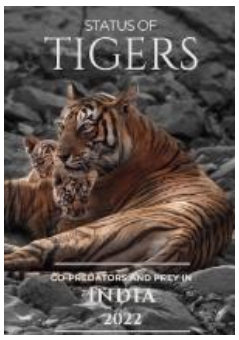

Tigers, Co-predators and Prey in India 2022

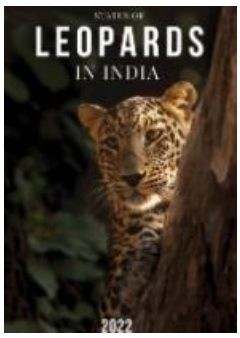

Status of Leopards in India 2022Status of

Management Effectiveness Evaluation of Tiger Reserves in India 5th Cycle

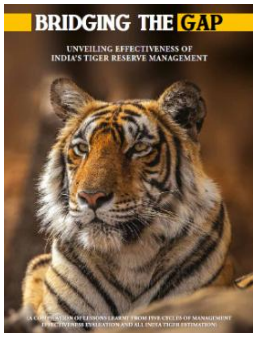

Bridging the Gap: Unveiling effectiveness of India's tiger reserve management

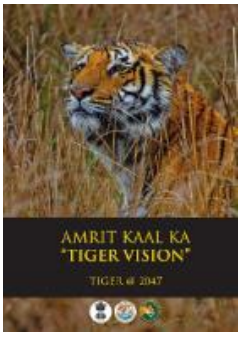

Amrit Kaal ka Tiger Vision Tiger@2047

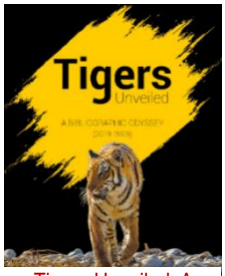

Tigers Unveiled: A Bibliographic Odyssey 2019-2023

Introduction of Cheetah in India: Annual Report 2022-23

Project Tiger 50 years of Tiger Conservation in India

व्याघ्र मृत्यु दर

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश में 190 व्याघ्रों की मृत्यु हुई जिसका विवरण **(अनुलग्नक XV)** में है।

अध्याय 06

वित्त और लेखा

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुदान सहायता के स्वरूप में निधियन सहायता प्राप्त करता है। एनटीसीए की वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियां और भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये में)	भुगतान	राशि (रुपये में)
1	अग्रदाय	1,75,000.00	व्यय	7,62,25,138.47
2	बैंक शेष: (i) जमा खाता (ii) बचत खाता	21,03,59,742.54	परियोजनाओं के लिए निधियां	15,11,83,690.00
3	भारत सरकार से प्राप्त निधियां (i) एनटीसीए को अनुदान सहायता (ii) सीएएमपीए (iii) स्वच्छ भारत	11,46,25000.00 10,80,00,000.00 2,70,00,000.00	प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सम्मेलनों पर व्यय	72,36,089.00
4	प्रतिभूति जमा राशि	-	परिसंप्तियों (अचल/सॉफ्टवेयर) पर व्यय	39,52,835.00
5	प्राप्त सीएसआर निधि	13,88,79,379.00	निर्मोचित सीएसआर निधि	19,27,41,273.45
6	प्राप्त ब्याज	29,70,993.00	वित्त प्रभार: जमा किया गया ब्याज	25,13,081.00
7	अग्रिम की वसूली	1,05,46,711.77	वसूली योग्य अग्रिम	1,25,39,319.00

8	विविध प्राप्तियां	3,60,739.00	अन्य भुगतान: संप्रेषण (विविध प्राप्तियां)	 3,21,000.00
9	-	-	अग्रदाय	1,75,000.00
	-	-	बैंक शेष: (i) जमा खाता (ii) बचत खाता	 16,60,30,139.39
	कुल	**61,29,17,565.31**	**कुल**	**61,29,17,565.31**

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन:

वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक की अवधि के लिए एनटीसीए का बजट आवंटन नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
एनटीसीए	1000.00	1016.67	*1156.00
प्रोजेक्ट टाइगर	22000.00	15800.00	24000.00
कुल	**2300.00**	**16816.67**	**25156.00**

**वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान 1580.00 लाख रुपये तथा अंतिम अनुमान 1156 लाख रुपये है।*

सीएसएस - प्रोजेक्ट टाइगर: 2023-24 के लिए स्वीकृति विवरण:

टाइगर रिजर्व के अनुसार, राज्यवार स्वीकृतियों का विवरण तथा परियोजना व्याघ्र स्कीम, एनटीसीए और अन्य निधियों का विस्तृत विवरण **(अनुलग्नक XVI)** में देखा जा सकता है।

एनटीसीए के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखों का विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट **(अनुलग्नक XVII)** में देखी जा सकती है।

अध्याय 07

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम का संचालन करता है जिसे वर्तमान में वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, एनटीसीए यह सुनिश्चित करता है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ओ (1) (सी) से निर्मित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए निर्देक मानक) दिशानिर्देश, 2012 में उल्लिखित गतिविधियों को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाए। उक्त दिशा-निर्देश टाइगर रिजर्व में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित 17 व्यापक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं, जिसमें व्याघ्रों के जंगल पर्यावासों के लिए भी प्रावधान है:

i. अवैध शिकार विरोधी पहलें;
ii. टाइगर रिजर्व के भीतर अवसंरचना को सुदृढ़ करना;
iii. आवास सुधार और जल विकास;
iv. मानव-पशु संघर्षों को हल करना;
v. भूदृश्य दृष्टिकोण के साथ सुरक्षित और सीमांत क्षेत्रों में सह-अस्तित्व एजेंडा;
vi. बेहतर पुनर्वास पैकेज प्रदान करके समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण व्याघ्र आवासों से गांवों के अछूते स्थानों और स्थानांतरण पर निर्णय लेना, इसके अलावा ऐसे लोगों के अधिकारों के निपटान के लिए राज्यों को समर्थन देना;
vii. टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास रहने वाली पारंपरिक शिकारी जनजातियों का पुनर्वास;
viii. अनुसंधान और क्षेत्र उपकरणों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना;
ix. टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों के विकास और क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना;

x. टाइगर रिजर्व के बाहर व्याघ्र पर्यावासों जंगलों में वन्यजीव मुद्दों को मुख्यधारा में लाना, और आवासों के विखंडन को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए पुनर्स्थापन रणनीति के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में गलियारा संरक्षण को बढ़ावा देना;

xi. वन्यजीव संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व और व्याघ्र पर्यावासों जंगलों में और उसके आसपास सुरक्षा उपाय और पुनरोद्धार उपाय प्रदान करना;

xii. केंद्र में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अवसंरचना को सुदृढ़;

xiii. टाइगर रिजर्व की स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन करना;

xiv. आठ नए टाइगर रिजर्व की स्थापना और विकास;

xv. टाइगर रिजर्व में कार्य करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता उपलब्ध कराना;

xvi. टाइगर रिजर्व में तैनात फ्रंटलाइन फील्ड कर्मचारियों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करना;

xvii. स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना।

उपर्युक्त को शामिल करते हुए, राज्य व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करते हैं जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 वी के तहत एक सांविधिक आवश्यकता है, जिससे एक वार्षिक संचालन योजना तैयार की जाती है जिसके आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत निधियन सहायता प्रदान की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में, प्रोजेक्ट टाइगर योजना को निम्नलिखित बजट प्राप्त हुआ है:

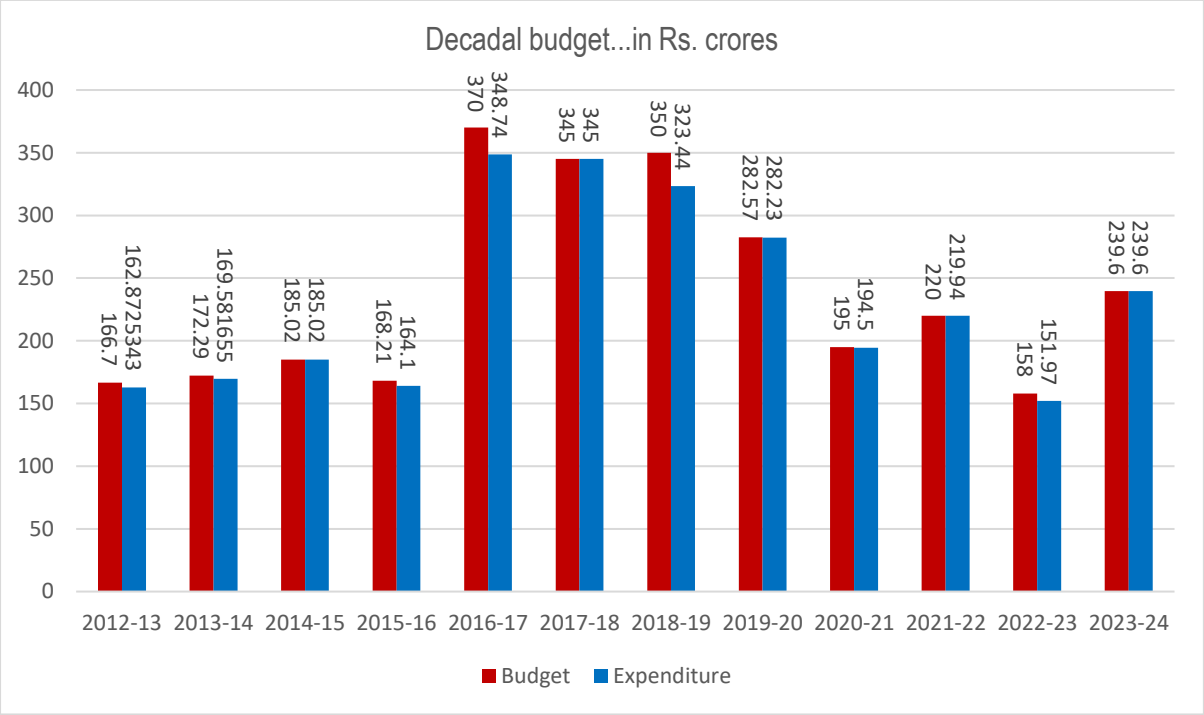

एनटीसीए को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग प्राधिकरण के निम्नलिखित सांविधिक अधिदेश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है:

i. मानव और वन्यजीव से संबंधित संघर्ष का समाधान करने के उपाय

ii. व्याघ्र और इसकी प्राकृतिक भ्क्ष्य पशु प्रजातियों के आकलन, प्राकृतिक वास प्रस्थिति, बीमारी सर्वेक्षण, मृत्यु सर्वेक्षण, पेट्रोलिंग, अनुचित घटनाओं और यथा-उपयुक्त अन्य प्रबंधन पहलुओं से संबंधित रिपोर्ट

iii. व्याघ्र, सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु पर्यावास, सम्बद्ध पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संबंध में अनुसंधान तथा निगरानी को अनुमोदित, समेकित करना तथा इनका मूल्यांकन करना

iv. आउटरीच और विस्तार गतिविधियों के साथ-साथ अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास और जनता की सहभागिता के माध्यम से पहलें

v. व्याघ्र संरक्षण पहलों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना

vi. व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुकर बनाना

पिछले कुछ वर्षों में एनटीसीए अनुदान सहायता के अंतर्गत आवंटित बजट की स्थिति इस प्रकार है:

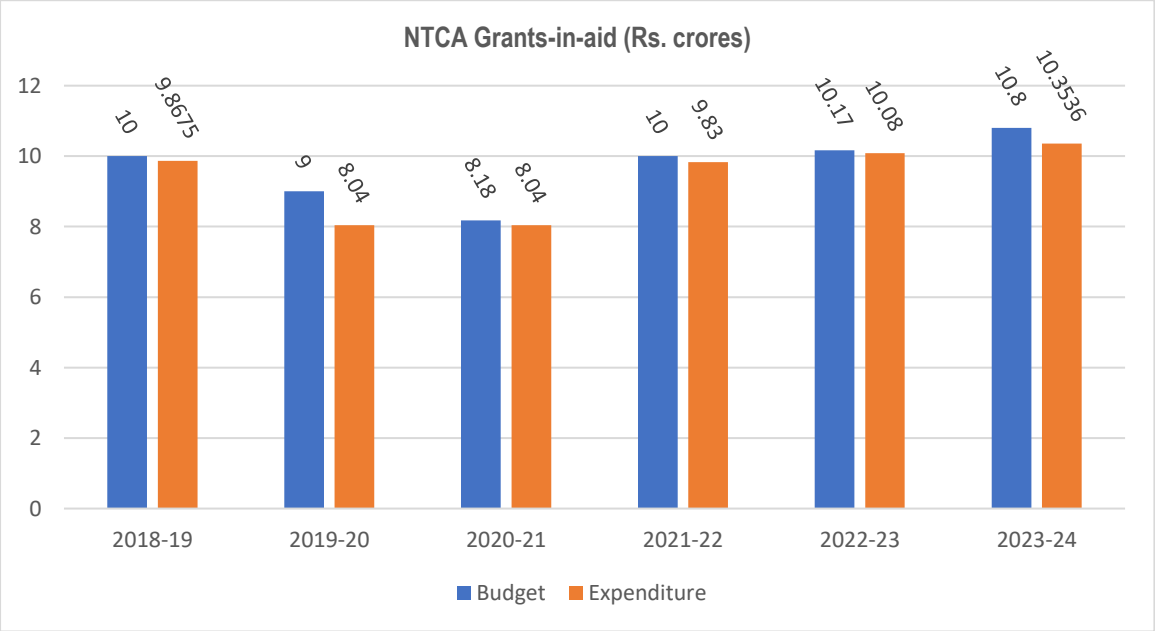

अध्याय 08

वैधानिक अनुपालन

बाघ संरक्षण योजनाएँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 ओ (1) (क) के तहत, एनटीसीए को राज्यों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार है। बाघ संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) के विवरण निम्नलिखित हैं:

बाघ संरक्षण योजनाओं (TCPs) की स्थिति

क्र. सं.	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	स्वीकृत और वैध	स्वीकृत और समाप्त हो गया	एनटीसीए में समीक्षा के अधीन	सुधार के लिए राज्य को भेजा गया	प्रस्तुत नही किया है	टीसीपी की अवधि
1	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश		1				2014-15 से 2023-24 तक
2	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश				1		
3	पक्के			1				2013-2023
4	कमलांग		1					2020-21 से 2030-31 तक
5	मानस	असम		1				2014 से 2024
6	नामेरी			1				2013 से 2018
7	काजीरंगा						1	
8	ओरंग		1					2021-22 से 2031-32 तक
9	वाल्मिकी	बिहार		1				2013-14 से 2022-23
10	उदंती-सीतानदी	छत्तीसगढ	1					2015-16 से 2025-26 तक
11	अचानकमार			1				2013-14 से 2023-24
12	इंद्रावती		1					2021-22 से 2030-31 तक
13	पलामू	झारखंड	1					2023-24 से 2032-33 तक
14	बांदीपुर	कर्नाटक		1				2014-15 से 2023-24 तक
15	भद्र				1			2014-15 से 2023-24 तक
16	काली (डंडेली-अंशी)				1			2014 से 2024
17	नागरहोल			1				2014-15 से 2023-24 तक

18	बिलिगिरि रंगनाथ मंदिर			1				2014-15 से 2023-24 तक
19	पेरियार	केरल	1					2021-22 से 2030-31 तक
20	परम्बिकुलम		1					2021-22 से 2030-31 तक
21	कान्हा	मध्य प्रदेश	1					2021-22 से 2031-32 तक
22	पेंच		1					2015-16 से 2024-25
23	बांधवगढ़				1			
24	पन्ना		1					2019-20 से 2029-30 तक
25	सतपुड़ा		1					2019-20 से 2029-30 तक
26	संजय-डुबरी		1					2020-21 से 2029-30 तक
27	वीरांगना दुर्गावती						1	
28	मेलघाट	महाराष्ट्र			1			2014-15 से 2023-24 तक
29	तदोबा-Andhari		1					2016-17 से 2026-27 तक
30	पेंच			1				2010-11 से 2019-20 तक
31	सह्याद्री				1			2013-14 से 2022-23 तक
32	नवेगांव-नागझिरा		1					2020-21 से 2029-30 तक
33	बीओआर						1	
34	डम्पा	मिजोरम		1				2013-14 से 2022-23 तक
35	सिमलीपाल	ओडिशा		1				2013-14 से 2022-23 तक
36	Satkosia		1					2016-17 से 2026-27 तक
37	रणथंभौर	राजस्थान	1					2021-22 से 2031-32 तक
38	सरिस्का			1				2014-15 से 2023-24 तक
39	मुकंदरा हिल्स					1		
40	रामगढ़-विषधारी						1	
41	धौलपुर-करौली						1	

42	कलाकाड-मुंडनथुराई	तमिलनाडु	1					2015-16 से 2024-25 तक
43	मुदुमलई			1				2012-13 से 2016-17 तक
44	सत्यमंगलम		1					2019-20 से 2028-29
45	अनामलाई			1				2014-15 से 2023-24 तक
46	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई						1	
47	कवल	तेलंगाना		1				2013-14 से 2022-23 तक
48	अमराबाद			1				2013-14 से 2023-24 तक
49	दुधवा	उत्तर प्रदेश		1				2014-15 से 2023-24 तक
50	पीलीभीत		1					2021से 2030 तक
51	रानीपुर						1	
	अमानगढ़		1					2021-22 से 2031-32 तक
52	(कॉर्बेट टीआर का बफर)	उत्तराखंड	1					2015-16 से 2024-25 तक
53	कॉर्बेट				1			
54	राजाजी	पश्चिम बंगाल	1					2016-17 से 2026-27
55	बुक्सा		1					2017-18 से 2026-27
योग			**22**	**18**	**6**	**2**	**7**	

स्टीयरिंग समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38U के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की स्टीयरिंग समिति का गठन करने की आवश्यकता है। सभी बाघ रेंज राज्यों ने स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। इस प्राधिकरण से राज्यों को नियमित रूप से इसकी बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए पत्राचार किया गया है।

बाघ संरक्षण फाउंडेशन

1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 X के अनुसार, राज्य सरकारों को बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के लिए उनके प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने के लिए प्रत्येक बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए एक बाघ संरक्षण फाउंडेशन स्थापित करने की आवश्यकता है और ऐसे विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी विकास में पहलों को लेने की आवश्यकता है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों का टीसीएफ अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

1. राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड)
2. कमलांग टीआर (अरुणाचल प्रदेश)
3. श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु)
4. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
5. धौलपुरकरौली टाइगर रिजर्व (राजस्थान)
6. रानीपुर टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश)
7. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (राजस्थान)

कोर और बफर की सूचना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को एक क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है, जो एक मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ आवास और एक बफर से बना है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर अधिसूचना की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	निर्माण का वर्ष	टाइगर रिजर्व	राज्य	मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ आवास का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	बफर/परिधीय बाघ आवास का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
1	1973-74	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3

2	1973-74	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
		अमानगढ़ (का बफर) कॉर्बेट टीआर)	उतार प्रदेश	--	80.60	80.60
3	1973-74	कान्हा	मध्य प्रदेश	917.43	1134.361	2051.791
4	1973-74	मानस	असम	526.22	2310.88	2837.10
5	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49	1268.03	2768.52
6	1973-74	पलामू	झारखंड	414.08	715.85	1129.93
7	1973-74	रणथंभौर	राजस्थान	1113.364	297.9265	1411.291
8	1973-74	सिमलीपाल	ओडिशा	1194.75	1555.25	2750.00
9	1973-74	सुंदरवन	पश्चिम बंगाल	1699.62	885.27	2584.8
10	1978-79	पेरियार	केरल	881.00	44.00	925.00
11	1978-79	सरिस्का	राजस्थान	881.1124	332.23	1213.342
12	1982-83	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	390.5813	367.3225	757.9038
13	1982-83	इंद्रावती	छत्तीसगढ	1258.37	1540.70	2799.07
14	1982-83	नमदाफा	अरूणाचल	1807.82	245.00	2052.82
15	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79	1107.9848	2201.7748
16	1988-89	कलाकाड-मुंडनथुराई	तमिलनाडु	895.00	706.542	1601.542
17	1989-90	वाल्मिकी	बिहार	598.45	300.93	899.38
18	1992-93	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33	768.30225	1179.63225
19	1993-94	ताडोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82	1101.7711	1727.5911
20	1993-94	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903	820.03509	1536.938
21	1994-95	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13	1021.97	1598.10
22	1994-95	डम्पा	मिजोरम	500.00	488.00	988.00
23	1998-99	भद्र	कर्नाटक	492.46	571.83	1064.29
24	1998-99	पेंच	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
25	1999-2000	पक्के	अरूणाचल प्रदेश	683.45	515.00	1198.45
26	1999-2000	नामेरी	असम	320.00	144.00	464.00
27	1999-2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264	794.04397	2133.30797
28	2008-2009	अनामलाई	तमिलनाडु	958.59	521.28	1479.87
29	2008-2009	उदंती-सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1842.54
30	2008-2009	सातकोसिया	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
31	2008-2009	काजीरंगा	असम	625.58	548.00	1173.58
32	2008-2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195	287.822	914.017
33	2008-2009	दांदेली-अंशी	कर्नाटक	814.884	282.63	1097.514
34	2008-2009	संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571	861.931	1674.502
35	2008-2009	मुदुमलई	तमिलनाडु	321.00	367.59	688.59
36	2008-2009	नागरहोल	कर्नाटक	643.35	562.41	1205.76
37	2008-2009	परम्बिकुलम	केरल	390.89	252.772	643.662
38	2009-2010	सह्याद्री	महाराष्ट्र	600.12	565.45	1165.57
39	2010-2011	बिलिगिरी रंगनाथ	कर्नाटक	359.10	215.72	574.82

		मंदिर				
40	2012-2013	कवल	तेलंगाना	892.23	1123.212	2015.44
41	2013-2014	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	793.49	614.91	1408.40
42	2013-2014	मुकुंदरा हिल्स	राजस्थान	417.17	342.82	759.99
43	2013-2014	नवेगांव-नागझिरा	महाराष्ट्र	653.674	1241.27	653.674
44	1982-1983	नागार्जुनसागा श्रीशैलमर	आंध्रप्रदेश	2595.72	700.59	3296.31
45	2014	अमराबाद	तेलंगाना	2166.37	445.02	2611.39
46	2014	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	602.7980	127.4518	730.2498
47	2014	बोर	महाराष्ट्र	138.12	678.15	816.27
48	2015	राजाजी	उत्तराखंड	819.54	255.63	1075.17
49	2016	ओरंग	असम	79.28	413.18	492.46
50	2016	कमलांग	अरूणाचल प्रदेश	671.00	112.00	783.00
51	2021	श्रीविल्लीपुतुर मेगामलाई	तमिलनाडु	641.86	374.71	1016.57
52	2022	रामगढ़ विषधारी बाघ	राजस्थान	481.9073	1019.9848	1501.8921
53	2022 (16.05.2022)	रानीपुर	उत्तर प्रदेश	230.31	299.0512	529.3612
54	2023	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	1414.006	925.120	2339.12
55	2023	धौलपुर - करौली टाइगर रिजर्व	राजस्थान	599.6406		599.6406
	योग			43,513.0166	35,222.58	78,735.5966

राजस्थान में केवल धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व ने अभी तक एक बफर क्षेत्र का गठन नहीं किया है।

अध्याय 09

अनुलग्नक

अनुलग्नक XIV

भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सूची

क्रम संख्या	बाघ आरक्षित क्षेत्र	राज्य
1	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश
2	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
3	पक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कमलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरंग	असम
9	वाल्मिकी	बिहार
10	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
11	अचानकमार	छत्तीसगढ़
12	उदंती-सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	पलामू	झारखंड

14	बांदीपुर	कर्नाटक
15	भद्र	कर्नाटक
16	दांदेली-अंशी	कर्नाटक
17	नागरहोल	कर्नाटक
18	बिलिगिरि रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
19	पेरियार	केरल
20	पैराम्बिकुलम	केरल
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22	कान्हा	मध्य प्रदेश
23	पन्ना	मध्य प्रदेश
24	पेंच	मध्य प्रदेश
25	संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश
26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
27	पेंच	महाराष्ट्र
28	तडोबा-आंधरी	महाराष्ट्र
29	सह्याद्री	महाराष्ट्र
30	नवेगाओ-नागझिरा	महाराष्ट्र
31	बोर	महाराष्ट्र
32	मेलघाट	महाराष्ट्र
33	डम्पा	मिजोरमs
34	सातकोसिया	ओडिशा

35	सिमलीपाल	ओडिशा
36	रणथंभौर	राजस्थान
37	सरिस्का	राजस्थान
38	मुकुंदरा हिल्स	राजस्थान
39	रामगढ़ विषधारी	राजस्थान
40	कलाकाड-मुदुन्थुराई	तमिलनाडु
41	मुदुमलई	तमिलनाडु
42	अनामलाई	तमिलनाडु
43	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
44	श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई	तमिलनाडु
45	कवल	तेलंगाना
46	अमराबाद	तेलंगाना
47	राजाजी	उत्तराखंड
48	कॉर्बेट	उत्तराखंड
49	दुधवा	उत्तर प्रदेश
50	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश
51	रानीपुर	उत्तर प्रदेश
52	बुक्सा	पश्चिम बंगाल
53	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल
54	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
55	धौलपुर - करौली टाइगर रिजर्व	राजस्थान

अनुलग्नक XV

बाघ मृत्यु दर (प्राकृतिक एवं अन्य कारण)

क्र सं.	दिनांक	महीना	वर्ष	राज्य	क्षेत्र/टाइगर रिजर्व	टाइगर रिजर्व	बाहर/अंदर
1	1	अप्रैल	2023	मध्य प्रदेश	मगधी रेंज, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया	बांधवगढ़	**अंदर**
2	1	अप्रैल	2023	महाराष्ट्र	गैट नंबर 367, सैगाटा बीट, ब्रम्हपुर रेंज, ब्रम्हपुर डिवीजन, महाराष्ट्र		**बाहर**
3	2	अप्रैल	2023	महाराष्ट्र	मध्य चंदा चंद्रपुर, पाटागुड़ा गांव, जिवती बीट, जिवती		**बाहर**
4	3	अप्रैल	2023	केरल	पीए, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव सर्कल, पलक्कड़		**बाहर**
5	3	अप्रैल	2023	मध्य प्रदेश	आरएफ 406, बिरुहली, पनापथा बफर	बांधवगढ़	**अंदर**
6	5	अप्रैल	2023	मध्य प्रदेश	सीएन 171, सोंढर बीट, मावला सर्कल, मुक्की रेंज	कान्हा	**अंदर**
7	5	अप्रैल	2023	केरल	पलक्कड़, उत्तरी क्षेत्र, वन्यजीव सर्कल, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, पीए		**बाहर**
8	21	अप्रैल	2023	केरल	कुप्पाडी वन स्टेशन, कुरीचट रेंज, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत कुप्पाडी रिजर्व वन में पूवांसी क्षेत्र		**बाहर**

9	21	अप्रैल	2023	उतार प्रदेश	मौलानी रेंज, सलेमपुर बीट, ग्रांट नंबर 03, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन		**बाहर**
10	23	अप्रैल	2023	केरल	वल्लाक्कदावु, कोझिक्कनम खंड, पूर्वी प्रभाग	पेरियार	**अंदर**
11	27	अप्रैल	2023	उत्तराखंड	ढेला बचाव केंद्र, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	कॉर्बेट	**अंदर**
12	29	अप्रैल	2023	महाराष्ट्र	पचम्बा बीट, वैराट राउंड, चिकलदरा रेंज, गुगामल वन्यजीव रेंज	मेलघाट	**अंदर**
13	30	अप्रैल	2023	ओडिशा	बदामाकाबादी II लेंगडाकाचा खंड, नवाना दक्षिण वन्यजीव रेंज, सिमिलिपाल दक्षिण वन्यजीव प्रभाग	सिमलीपाल	**अंदर**
14	29	अप्रैल	2023	असम	मैनामाथा पथार, बक्सा जिला, असम		**बाहर**
15	3	मई	2023	बिहार	गया वन प्रमंडल		**बाहर**
16	4	मई	2023	राजस्थान	मनोहरपुरा ब्लॉक, रावठा रेंज	मुकुंदरा हिल्स	**अंदर**
17	4	मई	2023	कर्नाटक	मुर्कल रेस्क्यू सेंटर, मुर्कल बीट, मुर्कल सेक्शन, कल्लाहल वन्यजीव रेंज	नागरहोल	**अंदर**
18	5	मई	2023	उत्तराखंड	नलकट्टा ब्लॉक, कालागढ़ पश्चिम बीट, सोनानदी रेंज सोनानदी उपखंड, कालागढ़ टाइगर रिजर्व डिवीजन लैंसडाउन	कॉर्बेट	**अंदर**
19	7	मई	2023	मध्य प्रदेश	पनपथा, बफर एरिया, ग्राम करौंदिया, बीट करौंदिया,	बांधवगढ़	**अंदर**
20	9	मई	2023	मध्य प्रदेश	सिवनी, पेंच टाइगर रिजर्व	पेंच (एमपी)	**अंदर**

21	12	मई	2023	राजस्थान	सज्जनगढ़, उदयपुर जैविक उद्यान		**बाहर**
22	12	मई	2023	असम	मोरेडिफालू नदी, काजीरंगा रेंज के काजीरंगा बीट के अंतर्गत	काजीरंगा	**अंदर**
23	17	मई	2023	मध्य प्रदेश	बरही-बीओहारी रेलवे लाइन के पास, आरएफ 168, बेदारा बीट, पूर्व बीओहारी		**बाहर**
24	18	मई	2023	मध्य प्रदेश	रेंज ताला, बीट महामान/आरएफ 315	बांधवगढ़	**अंदर**
25	20	मई	2023	उत्तराखंड	धौलखंड बीट, धौलखंड ब्लॉक कंप.12, पखरो रेंज, कालागढ़ टाइगर रिजर्व डिवीजन, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल	कॉर्बेट/कालागढ़	**अंदर**
26	22	मई	2023	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का अकोला बफर क्षेत्र	पन्ना	**अंदर**
27	25	मई	2023	उत्तराखंड	मलानी ईस्टर रेंज, मलानी ब्लॉक	कॉर्बेट	**अंदर**
28	31	मई	2023	उतार प्रदेश	उत्तर निघासन रेंज, लठहवा बीट, लठहवा सेक्शन, उत्तर खेरि वन प्रभाग, बफर जोन	दुधवा	**अंदर**
29	31	मई	2023	केरल	वल्लकडावु रेंज, अरुवियोडा सेक्शन, कुमिली गांव, पेरीयार टाइगर रिजर्व पूर्व विभाग और एफडीपीटी कोट्टायम	पेरियार	**अंदर**
30	2	जून	2023	उत्तराखंड	सुनानदी रेंज, कालू शहीद कंपट. 4	कॉर्बेट	**अंदर**
31	3	जून	2023	ओडिशा	खरियार रेंज, खरियार वन प्रभाग का पटदरहा (कुइमुंडा) गांव		**बाहर**
32	3	जून	2023	उतार प्रदेश	मेलानी रेंज, सेलमपुर ग्रांट नंबर 3 बीट/ ग्राम पंचायत खानजनपुर माजरा रामपुर ढकिया	दुधवा	**अंदर**

33	4	जून	2023	असम	पूर्वी असम वन्यजीव विभाग, बोकाखाट	काजीरंगा	**अंदर**
34	4	जून	2023	मध्य प्रदेश	कंप्ट. संख्या 1601, उमर्दौनी, बीट, पूर्वी बाईहार रेंज, उत्तर बालाघाट डिवीजन		**बाहर**
35	5	जून	2023	महाराष्ट्र	उमरेड पौनी करहंदला डब्ल्यूएलएस		**बाहर**
36	6	जून	2023	महाराष्ट्र	पायली भाटाली बीट, चंद्रपुर सर्कल, चंद्रपुर डिवीजन		**बाहर**
37	7	जून	2023	महाराष्ट्र	ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व	टीएटीआर	**अंदर**
38	7	जून	2023	तमिलनाडु	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य, मेगामलाई, डिवीजन, एसएमटीआर मदुरै सर्कल	एसएमटीआर	**अंदर**
39	9	जून	2023	उतार प्रदेश।	दुधवा टाइगर रिजर्व की मैलानी रेंज, कॉम्पट में कुकुगाड़ा ताल। क्रमांक 09	दुधवा	**अंदर**
40	11	जून	2023	कर्नाटक	हुनसूर वन्यजीव प्रभाग, मैसूर सर्कल	नागरहोल	**अंदर**
41	13	जून	2023	उत्तराखंड	चिल्ला रेंज	राजाजी	**अंदर**
42	17	जून	2023	मध्य प्रदेश	खेरुआ घाट, नौरादेही		**बाहर**
43	17	जून	2023	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला, कोर जोन	कान्हा	**अंदर**
44	19	जून	2023	कर्नाटक	कुशलनगर रेंज, मडिकेरी टेरिटोरियल डिवीजन के मालदारे खंड के सीपीटी20 में अस्थाना टैंक		**बाहर**

45	21	जून	2023	महाराष्ट्र	भंडारा प्रभाग		**बाहर**
46	22	जून	2023	मध्य प्रदेश	करमई गांव, अब्दुल्लागंज		**बाहर**
47	23	जून	2023	केरल	नारियामंगलम रेंज, मुन्नार डिवीजन, कुट्टमपुझा गांव		**बाहर**
48	24	जून	2023	केरल	वल्लाकादावु रेंज, अरुवियोडा सेक्शन, कुमिली गांव, पेरियार टाइगर रिजर्व ईस्ट डिवीजन और एफडीपीटी कोट्टायम		**बाहर**
49	25	जून	2023	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 374, मसाला बीट, चारगांव म्यू राउंड, साउथ उमरेड रेंज, नागपुर डिवीजन		**बाहर**
50	26	जून	2023	मध्य प्रदेश	कंपार्टमेंट क्रमांक 180, बीट डबरादेव, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चूरना रेंज	सतपुड़ा	**अंदर**
51	29	जून	2023	असम	धारापुर, अज़ारा पुलिस स्टेशन, गुवाहाटी के अंतर्गत		**बाहर**
52	29	जून	2023	महाराष्ट्र	पाटनबोरी रेंज, अरली राउंड, भवनखोरी बीट, कॉम्प.नंबर 105, महाराष्ट्र		**बाहर**
53	30	जून	2023	छत्तीसगढ	बीजापुर रुद्राम गांव, इंद्रावती टाइगर रिजर्व	इंद्रावती	**अंदर**
54	8	जुलाई	2023	असम	धारापुर, अज़ारा पुलिस स्टेशन, गुवाहाटी के अंतर्गत		**बाहर**
55	9	जुलाई	2023	असम	सेंट्रल रेंज, बिश्वनाथ घाट के अंतर्गत बोगोरियाती चींटी-शिकार शिविर के अंतर्गत भोजमारी चापोरी क्षेत्र	काजीरंगा	**अंदर**
56	16	जुलाई	2023	मध्य प्रदेश	रेंज मानपुर, बीट मचखेता बफर, कंपार्टमेंट नंबर 355	बांधवगढ़	**अंदर**

57	20	जुलाई	2023	महाराष्ट्र	ग्राम-बेम्बल, कॉम्प. क्रमांक 543, राउंड-घोसारी, बीट-पिपरी दीक्षित, रेंज-पोंभुरना, सेंट्रल चंदा डिवीजन,/चंद्रपुर सर्कल		**बाहर**
58	20	जुलाई	2023	केरल	कोनी वन प्रभाग कोनी रेंज दक्षिणी वृत्त		**बाहर**
59	21	जुलाई	2023	मध्य प्रदेश	सागमनिहा हार, कंपार्टमेंट पीएफ 363, बीट देवरी, रेंज मानपुर	बांधवगढ़	**अंदर**
60	22	जुलाई	2023	उत्तराखंड	वानुसी टोल प्लाजा, खटीमा रेंज, तराई पूर्वी वन प्रभाग		**बाहर**
61	25	जुलाई	2023	तमिलनाडु	कूपुकाडु सारागम, तलमलाई एक्सटेंशन रिजर्व फॉरेस्ट, भवानीसागर रेंज, सत्यमंगलम डिवीजन में कोठामंगलम अनुभाग	सत्यमंगलम	**अंदर**
62	29	जुलाई	2023	महाराष्ट्र	बीट कलमाना, रेंज बल्लारशाह राउंड कलमाना, सर्किल चंद्रपुर		**बाहर**
63	29	जुलाई	2023	उत्तराखंड	ढेला रेंज के पास, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	कॉर्बेट	**अंदर**
64	31	जुलाई	2023	महाराष्ट्र	आष्टी गांव, मसाल बीट और राउंड, भद्रावती रेंज, चंद्रपुर डिवीजन, चंद्रपुर सर्कल		**बाहर**
65	20	जुलाई	2023	छत्तीसगढ	तेमरूगांव गांव, किबैबलेंगा उपमंडल, नारंगी क्षेत्र		**बाहर**
66	9	अगस्त	2023	मध्य प्रदेश	आरएफ 192 बीट खुसरिया, रेंज पनपथा बफर, उमरिया	बांधवगढ़	**अंदर**
67	8	अगस्त	2023	मध्य प्रदेश	पांढरवानी बीट, बहराई रेंज, बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी		**बाहर**

68	9	अगस्त	2023	बिहार	जमुई वन प्रमंडल		**बाहर**
69	11	अगस्त	2023	महाराष्ट्र	गोंदिया (प्रादेशिक) प्रभाग, नागपुर सर्कल, एनएनटीआर का बफर क्षेत्र	एनएनटीआर	**अंदर**
70	16	अगस्त	2023	महाराष्ट्र	तुमसर रेंज, भंडारा वन प्रभाग, नागपुर सर्कल		**बाहर**
1] ‘ 112 533 71	16	अगस्त	2023	तमिलनाडु	सेगुर रेंज, सिरूर सेक्शन, सिरूर नॉर्थ बीट	मुदुमलई	**अंदर**
72	16	अगस्त	2023	तमिलनाडु	सेगुर रेंज, सिरूर सेक्शन, सिरूर नॉर्थ बीट	मुदुमलई	**अंदर**
73	17	अगस्त	2023	तमिलनाडु	महावीर वृक्षारोपण पट्टा भूमि, बीट-मुदिमुंड, रेंज- नाडुवट्टम, प्रभाग-नीलगिरी		**बाहर**
74	31	July	2023	मध्य प्रदेश	कॉम्पट. क्रमांक 240, भैसनघाट रेंज खमोदीदादर बीट	पेरियार	**अंदर**
75	19	अगस्त	2023	महाराष्ट्र	भोंडरी बीट, मानसर राउंड, रामतक रेंज, नागपुर वन प्रभाग, नागपुर सर्कल, महाराष्ट्र		**बाहर**
76	21	अगस्त	2023	केरल	वल्लाकादावु रेंज, अरुवियोडा सेक्शन, कुमिली गांव, पेरियार टाइगर रिजर्व ईस्ट डिवीजन और एफडीपीटी कोट्टायम	पेरियार	**अंदर**
77	27	अगस्त	2023	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट पीएफ 641, पटेहरा ए चारपेरिया हार को हराया	बांधवगढ़	**अंदर**
78	29	अगस्त	2023	कर्नाटक	बेदागुली के पास अटिकाने कॉफी एस्टेट, पीजी पाल्या सेक्शन, बायलोर डब्ल्यूएल रेंज, चामराजनगर सर्कल	बीआरटी	**अंदर**

79	31	अगस्त	2023	तमिलनाडु	आरएफ कुम्बाराकोल्ली, बीट - थेप्पाकाडु, सी-9, कल्लाल्हा ब्रिज के पास, सेक्शन - करगुडी रेंज- करगुडी, डिवीजन	मुदुमलई	**अंदर**
80	3	सितम्बर	2023	महाराष्ट्र	कॉम्पट. नंबर 83 आरएफ, बीट- पलोरा, राउंड- पाओनी, रेंज- पाओनी	पेंच (महाराष्ट्र)	**अंदर**
81	3	सितम्बर	2023	महाराष्ट्र	कॉम्पट. नंबर 83 आरएफ, बीट- पलोरा, राउंड- पाओनी, रेंज- पाओनी	पेंच (महाराष्ट्र)	**अंदर**
82	7	सितम्बर	2023	महाराष्ट्र	C.No.572, कलमना गांव, कलमना बीट, कलमना राउंड, बल्लारशाह रेंज, सेंट्रल चंदा, चंद्रपुर सर्कल, महाराष्ट्र		**बाहर**
83	7	सितम्बर	2023	महाराष्ट्र	C.No.572, कलमना गांव, कलमना बीट, कलमना राउंड, बल्लारशाह रेंज, सेंट्रल चंदा, चंद्रपुर सर्कल, महाराष्ट्र		**बाहर**
84	7	सितम्बर	2023	उत्तराखंड	टांडा वन परिक्षेत्र		**बाहर**
85	7	सितम्बर	2023	उत्तराखंड	टांडा वन परिक्षेत्र		**बाहर**
86	9	सितम्बर	2023	तमिलनाडु	एमराल्ड बीट, नंजनाडु खंड, नीलगिरी वन प्रभाग की उधांगई दक्षिण रेंज		**बाहर**
87	9	सितम्बर	2023	तमिलनाडु	एमराल्ड बीट, नंजनाडु खंड, नीलगिरी वन प्रभाग की उधांगई दक्षिण रेंज		**बाहर**
88	12	सितम्बर	2023	महाराष्ट्र	फार्म सर्वेक्षण 288, फिस्कुटी, सेंट्रल चंदा डिवीजन, चंद्रपुर सर्कल		**बाहर**
89	15	सितम्बर	2023	मध्य प्रदेश	रेंज मानपुर, बीट पटेहरा ए, कंपार्टमेंट- पीएफ 640, चुहाई नाला	बांधवगढ़	**अंदर**
90	17	सितम्बर	2023	तमिलनाडु	बीट- चिन्ना कुन्नूर, अनुभाग- डेनाडुकोम्बई, नीलगिरी वन प्रभाग की उधंगई उत्तरी रेंज		**अंदर**

91	19	सितम्बर	2023	तमिलनाडु	बीट- चिन्ना कुन्नूर, अनुभाग- डेनाडुकोम्बई, नीलगिरी वन प्रभाग की उधंगई उत्तरी रेंज		**बाहर**
92	19	सितम्बर	2023	तमिलनाडु	बीट- चिन्ना कुन्नूर, अनुभाग- डेनाडुकोम्बई, नीलगिरी वन प्रभाग की उधंगई उत्तरी रेंज		**बाहर**
93	19	सितम्बर	2023	तमिलनाडु	बीट- चिन्ना कुन्नूर, अनुभाग- डेनाडुकोम्बई, नीलगिरी वन प्रभाग की उधंगई उत्तरी रेंज		**बाहर**
94	20	सितम्बर	2023	मध्य प्रदेश	आरएफ 336, ताला बीट, ताला रेंज	बांधवगढ़	**अंदर**
95	28	सितम्बर	2023	केरल	पुल्लुमुरुप्पु, कुमारमपेरूर रिजर्व, रन्नी डिवीजन, दक्षिणी सर्कल		**बाहर**
96	2	**अक्टूबर**	2023	महाराष्ट्र	कॉम्प. क्रमांक 211, चिपराला बीट, भद्रावती राउंड, भद्रावती रेंज, चंद्रपुर		**बाहर**
97	30	सितम्बर	2023	उतार प्रदेश।	कम्पार्टमेंट-6(बी), कटियारा बीट, कतर्नियाघाट रेंज	दुधवा	**अंदर**
98	11	**अक्टूबर**	2023	महाराष्ट्र	कॉम्पट. क्रमांक 121, अरली बीट, अरली राउंड, पांढरकवाड़ा रेंज, पांढरकवाड़ा (टी) डिवीजन, यवतमाल (टी) सर्कल		**बाहर**
99	24	**अक्टूबर**	2023	महाराष्ट्र	अमिरज़ा बीट, अमिरज़ा राउंड, चटगांव रेंज, गढ़चिरौली वन प्रभाग, गढ़चिरौली वन मंडल		**बाहर**
100	23	**अक्टूबर**	2023	तमिलनाडु	कझुधाकट्टी ओडाई, अमरावती आरएफ, कल्लापुरम बीट, अमरावती खंड, अमरावती रेंज, तिरुपुर डिवीजन	अन्नामलाई	**अंदर**
101	26	**अक्टूबर**	2023	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 1174 और 1173, बीट: पूर्वी हीराबांबाई, गोल: हीराबांबाई, रेंज: सुसरदा, सर्कल - अमरावती, डिवीजन - मेलघाट टेरिटोरियल डिवीजन, परतवाड़ा	मेलघाट	**अंदर**

102	27	**अक्टूबर**	2023	मध्य प्रदेश	पीएफ 827 से 400 मीटर दूर, चितहरा बीट, मझगवा वन रेंज, चित्रकुट वन प्रभाग		**बाहर**
103	28	**अक्टूबर**	2023	उत्तराखंड	बिजरानी रेंज में मैलानी ब्लॉक की बिजरानी दक्षिण बीट	कॉर्बेट	**अंदर**
104	1	नवंबर	2023	महाराष्ट्र	भद्रावती बीट, भद्रावती राउंड, भद्रावती रेंज, चंद्रपुर डिवीजन		**बाहर**
105	1	नवंबर	2023	मध्य प्रदेश	ग्राम सिंगोड़ी, बीट धमनिया, रेंज चौरई, पूर्व संभाग छिंदवाड़ा, वृत्त छिंदवाड़ा		**बाहर**
106	5	नवंबर	2023	कर्नाटक	बीट- गूलीबेट्टा, अगासागिथि वॉटरहोल के पास, सेक्शन- बानूर, रेंज- गुंड्रे	बांदीपुर	**अंदर**
107	7	नवंबर	2023	उत्तराखंड	मंडलती कम्पार्टमेंट 10, पलैन रेंज, कालागढ़ डिवीजन	कॉर्बेट	**अंदर**
108	7	नवंबर	2023	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर पी-391, बीट-अकोला बफर, रेंज पन्ना कोर	पन्ना	**अंदर**
109	23	नवंबर	2023	मध्य प्रदेश	बीट लफड़ा, जैतपुर रेंज, दक्षिण शहडोल डिवीजन		**बाहर**
110	27	नवंबर	2023	महाराष्ट्र	विलेज खितली रिट बीट मिंडाला, रेंज नागबिद ब्रह्मपुरी डिवीजन		**बाहर**
111	23	नवंबर	2023	आंध्र प्रदेश	कॉम्पट 67 गंगालाकुंटा बीट, वीपी साउथ रेंज मार्कपुर डिवीजन, एनएसटीआर	एनएसटीआर	**अंदर**
112	24	नवंबर	2023	कर्नाटक	मद्दूर कॉलोनी, मद्दूर बीट, मद्दूर रेंज	बंदिपुर	**बाहर**
113	14	नवंबर	2023	महाराष्ट्र	निजी कृषि क्षेत्र, खडसंगी बीट, खडसंगी राउंड, चिमूर रेंज, वाहनगांव गांव, ब्रम्हपुरी डिवीजन, चंद्रपुर सर्कल, महाराष्ट्र		**बाहर**

114	30	नवंबर	2023	महाराष्ट्र	वासमुंडी बीट, पेडिगुडम रेंज, अलापल्ली डिवीजन, गढ़चिरौली	गडचिरोली सर्कल	**बाहर**
115	7	दिसंबर	2023	कर्नाटक	मेलुरु गांव, हरादानहल्ली होबली, चामराजनगर क्षेत्रीय रेंज, बीआरटी टाइगर रिजर्व का स्य.नं. 107	बीआरटी टीआरए	**बाहर**
116	11	दिसंबर	2023	राजस्थान	गोठ भिहारी वन चौकी, खंडार वन रेंज, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान के वन ब्लॉक खंडार 9 बी कम्पार्टमेंट नंबर 1	रनथंभौर	**बाहर**
117	9	दिसंबर	2023	उत्तराखंड	कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत एक मादा बाघ की मौत।	कॉर्बेट	**अंदर**
118	15	दिसंबर	2023	केरल	15.12.2023 को वायनाड वन्यजीव अभयारण्य बेगुर रेंज, वायनाड वन्यजीव विभाग, पलक्कड़ वन्यजीव वृत्त, केरल में बाघों की मृत्यु		**बाहर**
119	18	दिसंबर	2023	आंध्र प्रदेश	पालनाडु डिवीजन के माचेरला रेंज के वेल्दुर्थी सेक्शन का लोयापल्ली बीट		**बाहर**
120	10	दिसंबर	2023	महाराष्ट्र	वडगांव-मुर्दगांव रोड पर नाला के पास, चंद्रपुर, महाराष्ट्र		**बाहर**
121	16	दिसंबर	2023	महाराष्ट्र	नरखेड, बीट पिपला गांव पिपला खुर्द नागपुर डिवीजन, महाराष्ट्र		**बाहर**
122	19	दिसंबर	2023	मध्य प्रदेश	कंपार्टमेंट बीट आरएफ 317, शेष शैया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश	बांधवगढ़	**अंदर**
123	20	दिसंबर	2023	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नं.-आरएफ 315, महामन बीट, महामन राउंड, ताला रेंज	बांधवगढ़	**अंदर**
124	21	दिसंबर	2023	महाराष्ट्र	गैट नंबर 164 (निजी कृषि क्षेत्र) डोंगरगांव बीट, सिंदेवाही राउंड, सिंदेवाही रेंज, मेंढा चक मौजा, ब्रम्हपुरी वन प्रभाग, महाराष्ट्र		**बाहर**

125	24	दिसंबर	2023	महाराष्ट्र	गोविंदपुर बीट, तलोधी रेंज, ब्रह्मपुरी डिवीजन।		**बाहर**
126	25	दिसंबर	2023	महाराष्ट्र	चंद्रपुर रेंज, चंद्रपुर डिवीजन		**बाहर**
127	15	दिसंबर	2023	मध्य प्रदेश	गोहरगज रेंज, बीट पांजरा, ओबेदुल्लागंज मध्य प्रदेश		**बाहर**
128	16	**अक्टूबर**	2023	मध्य प्रदेश	नाहरकोला बीट, गौशाला गेट, रेहटी तहसील, सीहोर, वन समन्वय के भीतर। आरएफ 556 नाहरकोला देलावाड़ी रेंज, ओबेदुल्लागंज		**बाहर**
129	26	सितम्बर	2023	मध्य प्रदेश	दक्षिण सिवनी		**बाहर**
130	27	दिसंबर	2023	उत्तराखंड	आरएफ 42, बीट सुरई, रेंज सरपुड़ा प्रथम, सुरई तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी		**बाहर**
131	14	दिसंबर	2023	महाराष्ट्र	सर्वे क्रमांक 40, मदनापुर बीट, राउंड मदनापुर, पलासगांव रेंज, टी.ए.टी.आर. चंदरपुर डिवीजन (बफर))	तडोबा अंधारी	**अंदर**
132	6	जनवरी	2024	तेलंगाना	दरेगांव बीट गर्लापेट ब्लॉक, कागज़नगर रेंज, कागज़नगर डिवीजन का कंप्ट. संख्या 62	कवाल टाइगर रिजर्व	**अंदर**
133	8	जनवरी	2024	तेलंगाना	कागजनगर वन क्षेत्र, आसिफाबाद जिला	कवाल टाइगर रिजर्व	**अंदर**
134	9	जनवरी	2024	उतार प्रदेश।	गोला रेंज, दक्षिण खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी, लखनऊ वृत्त		**बाहर**
135	9	जनवरी	2024	मध्य प्रदेश	आरएफ, 421, चिहारी बीट, पतौर रेंज	बांधवगढ़	**अंदर**
136	10	अप्रैल	2024	कर्नाटक	निजी भूमि, पोन्नमपेट रेंज, कनूर बीट, कोटागेरी गांव Sy नंबर 108		**बाहर**

137	9	अप्रैल	2024	राजस्थान	रेंज सरिस्का, नाका : सरिस्का सदर, बीट : कर्ण का बास	सरिस्का	**अंदर**
138	14	अप्रैल	2024	उतार प्रदेश।	कतर्नियाघाट रेंज, सदर बीट चौधरी चरण सिंह गिरिजा बैराज गेट नं. 19	दुधवा	**अंदर**
139	15	अप्रैल	2024	महाराष्ट्र	चेक बोरदा बीट बोरदा चंद्रपुर में सर्वे नंबर 250/1	तडोबा-अंधारीयोन	**बाहर**
140	16	अप्रैल	2024	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नं.-ओएफ 125, सर्वश्रेष्ठ: चिल्हारी, रेंज: धमोखर	बांधवगढ़	**अंदर**
141	17	अप्रैल	2024	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नं. 148, बीट खमेरपानी, रेंज कान्हा	कन्हा	**अंदर**
142	10	अप्रैल	2024	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नं. पी-780, बीट दुरेन्दा, रेंज पांडिया छपारा		**बाहर**
143	18	अप्रैल	2024	महाराष्ट्र	भद्रावती रेंज, चंद्रपुर डिवीजन,		**बाहर**
144	23	अप्रैल	2024	मध्य प्रदेश	मानपुर रेंज ओएफ 313, बीट केल्हारी	बांधवगढ़	**अंदर**
145	22	अप्रैल	2024	महाराष्ट्र	रेंज - कोलसा, राउंड - ज़री, बीट - संगम, सी नंबर - 332, टीएटीआर चंद्रपुर, कोर डिवीजन	तडोबा-अंधारीयोन	**अंदर**
146	22	अप्रैल	2024	महाराष्ट्र	रेंज - कोलसा, राउंड - ज़री, बीट - संगम, सी नंबर - 332, टीएटीआर चंद्रपुर, कोर डिवीजन	तडोबा-अंधारीयोन	**अंदर**
147	25	अप्रैल	2024	छत्तीसगढ	कम्पार्टमेंट नं. 927 आर.एफ., गोमर्डा सारंगढ़ रेंज, गोमर्डा अभयारण्य, कनकबीरा बीट, कनकबीरा सर्कल, घोरघाटी (सालार) गांव, जिला - सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़		**बाहर**

148	29	अप्रैल	2024	कर्नाटक	मैसूर हवाई अड्डे के पास		**बाहर**
149	30	अप्रैल	2024	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नं. आरएफ-255, चेचपुर बीट, कल्लवाह रेंज,	बांधवगढ़	**अंदर**
150	30	मई	2024	कर्नाटक	हूलीकाटे कलुदारी के पास, जो मद्दुर बीट और मद्दुर सेक्शन, मद्दुर रेंज की डी लाइन से 1 किमी दूर है		**बाहर**
151	1	मई	2024	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर के पास 06 राजस्व गट नं. 257, ग्राम सुकानेगांव, बीट सुकानेगांव, राउंड सुकानेगांव, रेंज वानी, महाराष्ट्र		**बाहर**
152	4	मई	2024	राजस्थान	वन खंड 6 मुख्य सवाईमाधोपुर, बीट 11 गुड़ा, गुड़ा चौकी के अंतर्गत कंपार्टमेंट नंबर 17, आरओपीटी वन रेंज	रणथमभोर	**अंदर**
153	22	मई	2024	महाराष्ट्र	सोरना गांव के पास, टीसीएम के अंदर सोरना बीट (53आरएफ) की सीमा पर और गाट संख्या 75, भंडारा महाराष्ट्र		**बाहर**
154	5	मई	2024	ओडिशा	बाघ अभयारण्य और अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र के अंदर। रेंज नरवाना दक्षिण प्रभाग, सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा	सिमलीपाल	**अंदर**
155	8	मई	2024	कर्नाटक	ट्रांसेक्ट लाइन के पास, नाडाडी बीट, मोलियुर सेक्शन, मोलियुर रेंज	बांदीपुर	**अंदर**
156	14	मई	2024	केरल	पन्नियामाला, कोट्टियूर, कन्नूर डिवीजन		**बाहर**
157	15	मई	2024	मध्य प्रदेश	बंजार (किसली) रेंज किसली सर्कल घांघर ने खजराही धोरमादानाला आरएफ 48 (785) को हराया	कान्हा	**अंदर**
158	27	मई	2024	महाराष्ट्र	चंद्रपुर वन प्रभाग, रेंज सावल्ली राउंड व्याहाड बीट सिरसी गाट क्रमांक 190 मौजा कढोली		**बाहर**

159	27	मई	2024	उत्तराखंड	कोसी रेंज, अपर कोसी बीट, रिंगोडा ब्लॉक क्र.सं. 2 रामनगर, उत्तराखंड	कॉर्बेट	**बाहर**
160	27	मई	2024	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर आरएफ-203, भौतारा बीट, घुघुती रेंज, उमरिया डिवीजन, मध्य प्रदेश		**बाहर**
161	1	मई	2024	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व की मद्दुर रेंज, बांदीपुर डिवीजन, चामराजनगर जिला	बांदीपुर	**अंदर**
162	6	मई	2024	मध्य प्रदेश	रेंज लाडकुई (पूर्व) ने डुंडालावा कॉम्पट को हराया। क्रमांक 240 सीहोर म.प्र		**बाहर**
163	2	मई	2024	मध्य प्रदेश	पतौर रेंज ने पिटोर आरएफ 435 चपटा पटेरा हार को हराया	बांधवगढ़	**अंदर**
164	4	मई	2024	मध्य प्रदेश	रेंज पनपथा कोर बीट हरदी आरएफ-455 नानगर नाला, म.प्र	बांधवगढ़	**अंदर**
165	9	जून	2024	उत्तराखंड	ढेला बचाव केंद्र, रामनगर डिवीजन, (रामनगर डिवीजन के पनोद नाला के पास कोसी रेंज से लिया गया)		**बाहर**
166	8	जून	2024	मध्य प्रदेश	खापा रेंज, बफर डिवीजन, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के खापा बीट के आसपास का राजस्व क्षेत्र	कान्हा	**अंदर**
167	17	जून	2024	मध्य प्रदेश	चनैयी नदी (राजस्व क्षेत्र), निकटतम कम्पार्टमेंट क्रमांक 531 बीट बोधल कासा रेंज वारासिवनी, बालाघाट म.प्र.		**बाहर**
168	21	जून	2024	महाराष्ट्र	नागपुर वन प्रभाग, महाराष्ट्र		**बाहर**
169	11	जून	2024	उतार प्रदेश।	सुजौली रेंज, बघुलिया बीट, धर्मपुर ब्लॉक, कॉम्पट नंबर 2 (बी), कतर्नियाघाट, बहराईच	दुधवा	**अंदर**
170	15	जून	2024	मध्य प्रदेश	मुक्की रेंज, सर्कल मुक्की, कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश	कान्हा	**अंदर**

171	29	जून	2024	मध्य प्रदेश	रेंज पनपथा ने टेडीनामा नाला के पास बाघदो आरएफ 454 को हराया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश	बांधवगढ़	**अंदर**
172	22	जून	2024	कर्नाटक	गणगुरू बीट, गणगुरू सेक्शन, अणेचौकुर रेंज	नागरहोल	**अंदर**
173	22	जून	2024	केरल	अडक्कथोड, कोट्टियूर रेंज, कन्नूर डिवीजन		**बाहर**
174	25	जून	2024	मध्य प्रदेश	रेंज पनपथा कोर बीट सेहरा ए आरएफ 450, कुकुरसेहरा तिराहा के पास	बांधवगढ़	**अंदर**
175	25	जून	2024	मध्य प्रदेश	रेंज खितौली बीट गढ़पुरा कॉम्प. नहीं। 234 का	बांधवगढ़	**अंदर**
176	28	जून	2024	महाराष्ट्र	भंडारा प्रभाग, महाराष्ट्र		**बाहर**
177	29	जून	2024	महाराष्ट्र	राउंड बोंडे बीट रोपा कॉम्पट. नंबर 98 आरएफ गोंदिया डिवीजन		**अंदर**
178	1	जून	2024	महाराष्ट्र	पूर्वी पेंच पिपरिया, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र	पेंच (महाराष्ट्र)	**अंदर**
179	18	जून	2024	केरल	दक्षिण वायनाड डिवीजन के अंतर्गत चेडालथ रेंज के पुलपल्ली वन स्टेशन का वेट्टाथुर क्षेत्र		**बाहर**
180	21	जून	2024	कर्नाटक	वन्यजीव रेंज, अनेचौकुर गणगूर खंड, गणगूर बीट गणगूर केरे	नागरहोल	**अंदर**
181	18	जून	2024	असम	बिश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग, बिश्वनाथ के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के छठे अतिरिक्त सिल्डुबी अवैध शिकार विरोधी शिविर चारियाली	काजीरंगा	**अंदर**

182	24	जून	2024	तमिलनाडु	कुलशेखरम रेंज/कुलशेखरम अनुभाग/दक्षिणी बीट/सांगोद कलाकड़ मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य, कन्नियाकुमारी वन प्रभाग	केएमटीआर	**अंदर**
183	3	जून	2024	कर्नाटक	चामलपुरा केरे, हेब्बाला बीट, चिक्काबारगी अनुभाग, बांदीपुरा टाइगर रिजर्व की हेडियाला रेंज	बांदीपुर	**अंदर**
184	2	जून	2024	मध्य प्रदेश	बीट झिरी, पीएफ 901 रेंज दाहोद रातापानी डब्ल्यूएलएस डिवीजन ओबैदुल्लागंज।		**बाहर**
185	4	जून	2024	मध्य प्रदेश	बीट झिरी, पीएफ 901 रेंज दाहोद रातापानी डब्ल्यूएलएस डिवीजन ओबैदुल्लागंज।		**बाहर**
186	8	जून	2024	महाराष्ट्र	बल्लारशाह वन उपक्षेत्र कलमना, ब्लॉक क्रमांक 571।		**बाहर**
187	14	जून	2024	कर्नाटक	हुनासे मारा, जक्कली बीट, एन.बेगुर सेक्शन, एन.बेगुर रेंज।	बांदीपुर	**अंदर**
188	12	जून	2024	महाराष्ट्र	रामटेक, पाटगोवरी बीट, नाइकुंड, नागपुर डिवीजन		**बाहर**
189	13	जुलाई	2024	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नं. 510, बीट किन्ही, राउंड कलमना, सेंट्रल चंदा डिवीजन, चंद्रपुर		**अंदर**
190	27	जुलाई	2024	उत्तराखंड	डोली रेंज के अंतर्गत कोटखरा द्वितीय बीट का प्लाट नं. 19		**बाहर**
		जुलाई					
		जुलाई					
		जुलाई					

		जुलाई					
		जुलाई					
		जुलाई					
		जुलाई					
		जुलाई					
		जुलाई					
		जुलाई					
		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					

		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					
		जुलाई					
		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					
		अगस्त					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					

		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					
		सितम्बर					

		सितम्बर					
		अक्टूबर					
		सितम्बर					
		अक्टूबर					
		अक्टूबर					
		अक्टूबर					
		अक्टूबर					
		अक्टूबर					
		अक्टूबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					

		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		नवंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					

		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		दिसंबर					
		अक्टूबर					
		सितम्बर					
		दिसंबर					

		दिसंबर					
		जनवरी					
		जनवरी					
		जनवरी					
		जनवरी					

अनुलग्नक XVI

सीएसएस-प्रोजेक्ट टाइगर: 2023-24 के लिए मंजूरी का विवरण

टाइगर रिजर्व के अनुसार मंजूरी का विवरण

क्रम संख्या	टाइगर रिजर्व	राज्य	2023-24 के दौरान कुल जारी (रुपये लाख में)
1	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	135.561
2	कमलांग	अरुणाचल प्रदेश	182.46
3	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	371.25
4	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	229.5
5	ओरंग	असम	1141.26975
6	मानस	असम	261.9
7	नामेरी	असम	239.625
8	काजीरंगा	असम	599.88
9	वाल्मिकी	*बिहार	302.5175
10	इंद्रावती	छत्तीसगढ	40
11	अचानकमार	छत्तीसगढ	134.78
12	उदंती-सीतानदी	छत्तीसगढ	68.845
13	पलामू	झारखंड	218.54
14	काली	कर्नाटक	389.702
	(डांडेली आंशी)		
15	नागरहोल	कर्नाटक	622.5
16	भद्र	कर्नाटक	332.745
17	बांदीपुर	कर्नाटक	713.5455

18	बीआरटी	कर्नाटक	318.6586
19	पेरियार	केरल	352.5975
20	पैराम्बिकुलम	केरल	300.71625
21	पेंच	मध्य प्रदेश	870
22	पन्ना	मध्य प्रदेश	394.48
23	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	659.69
24	कान्हा	मध्य प्रदेश	634.37
25	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश	442.89
26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	649.98
27	कुनो राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	599.9
28	मेलघाट	महाराष्ट्र	613.47
29	बीओआर	महाराष्ट्र	164.78
30	नवेगांव-नागझिरा	महाराष्ट्र	540.11
31	तदोबा- अंधारी	महाराष्ट्र	545.45
32	पेंच	महाराष्ट्र	460.07867
33	सह्याद्री	महाराष्ट्र	207.52
34	डम्पा	मिजोरम	144
35	सातकोसिया	ओडिशा	222.38678
36	सिमलीपाल	ओडिशा	527.76991
37	रणथंभौर	राजस्थान	379.99
38	सरिस्का	राजस्थान	317.2

39	मुकुंदरा हिल्स	राजस्थान	129.7
40	रामगढ़ विषधारी	राजस्थान	105.4104
41	कलाकाड-मुदुन्थुराई	तमिलनाडु	289.42859
42	मुदुमलई	तमिलनाडु	585.0137
43	अनामलाई	तमिलनाडु	348.57989
44	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	536.25
45	श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई	तमिलनाडु	389.622
46	कवल	तेलंगाना	197.8855
47	अमराबाद	तेलंगाना	125.4225
48	राजाजी	उत्तराखंड	447.6306
49	कॉर्बेट	उत्तराखंड	895.63
50	दुधवा	उतार प्रदेश	644.557
51	पीलीभीत	उतार प्रदेश	274.82
52	रानीपुर	उतार प्रदेश	74.98
53	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	93.375
54	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	359.985
			20828.94864

* पीटी के लिए 304.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, पीई की अनियोजित शेष राशि 1.64 लाख रुपये के समायोजन के बाद 302.52 लाख रुपये की शुद्ध राशि जारी की गई।

राज्यवार प्रतिबंधों के विवरण

क्रम संख्या	राज्य	राशि जारी (रु. लाखों में)
1	आंध्र प्रदेश	135.56100
2	उत्तर प्रदेश	783.21000
3	असम	2,242.67895
4	बिहार	302.51750
5	छत्तीसगढ़	243.62500
6	और	218.54000
7	कर्नाटक	2,377.15110
8	केरल	653.31375
9	मध्य प्रदेश	4,251.31000
10	महाराष्ट्र	2,531.40867
11	ओडिशा	750.15669
12	राजस्थान	932.30040
13	टेम्प्लेट	2,148.88998
14	उत्तराखंड	1,343.26060
15	उत्तर प्रदेश	994.35700
16	पश्चिम बंगाल	453.36000
17	मिजोरम	144.00000
18	तेलंग	323.30800
	कुल योग	**20,828.94864**

क्र.सं.	बजट मद	बीई **2023-24**	आरई **2023-24**	व्यय	व्यय प्रतिशत (करोड़ रुपए में)
	प्रोजेक्ट टाइगर योजना				
1.	3601.06.101.**02.05.31** (राज्य सरकारों को सहायता)	220.80	150.00	150.00	100%
2.	3601.06.796.**02.05.31** (राज्य सरकार को सहायता) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी), अनुदान सहायता सामान्य	45.00	33.00	33.00	100%
3.	3601.06.789.**02.05.31** (राज्य सरकारों को सहायता) अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी), अनुदान सहायता सामान्य	33.00	24.00	24.00	100%
4.	2552.00.114.**06.05.31** (पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता अनुदान सामान्य)	33.00	33.00	33.00	100%
5.	2406.02.110.17.03	11.00	15.80 *(एफ.ई. रु. 11.56)	11.25	97.35%
	योग				
	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (विस्तृत मद)				
a.	17.03.31 अनुदान सहायता सामान्य	9.25	14.25 *(एफ.ई. रु. 10.15)	10.15	100%
b.	17.03.36 अनुदान सहायता वेतन	1.75	1.55 *(एफ.ई. रु. 1.41)	1.10	78.33%
	योग				

*(एनटीसीए सामान्य के लिए अंतिम अनुमान और वेतन 11.56 करोड़ रुपये)

अन्य निधियाँ				
क्र.सं.	**निधि का विवरण**	**2023-24 के दौरान प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपए में)**	**2023-24 के दौरान व्यय (करोड़ रुपए में)**	**निधि उपयोग का %**
1	सीएएमपीए (कैम्पा)	10.80	10.05	93.05%
2	स्वच्छ भारत	2.70	2.70	100%
3	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड	*वर्ष 23-24 के दौरान प्राप्त निधि रु.13.89 पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रु. 10.75 कुल =(13.89 + 10.75) = रु. 24.64	19.27	78.20%

*पिछले वर्ष का अप्रयुक्त शेष 10.75 करोड़ रुपये (वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्ध कुल निधि 24.64 रुपये (10.75+13.89) और व्यय 19.27 करोड़ रुपये।

अनुलग्नक XVII

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 के लिए बैलेंस शीट

(राशि रु. में)

कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/कैपिटल फंड	1	14,36,73,508.56	13,34,33,050.26
रिजर्व और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
र्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	5,88,00,920.83	11,14,92,336.28
योग		**20,24,74,429.39**	**24,49,25,386.54**

परिसंपत्तियाँ			
अचल संपत्तियाँ	8	3,03,52,020.00	2,89,44,305.00
निवेश- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश- अन्य	10	-	-
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	17,21,22,409.39	21,59,81,081.54
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
योग		**20,24,74,429.39**	**24,49,25,386.54**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर नोट्स	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

आय और व्यय खाता

31.3.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष

बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	24,96,25,000.00	52,85,77,775.00
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती से निवेश पर आय निधियों को हस्तांतरित निधि)	15	-	-
रॉयल्टी, पब्लिकेशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	29,06,792.00	19,27,831.00
अन्य आय	18	3,60,739.00	4,640.00
तैयार माल और कार्य प्रगति स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
योग (A)		**252892531.00**	**530510246.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,73,82,495.00	2,96,58,377.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	5,67,31,466.70	12,90,86,637.84
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	15,11,83,690.00	26,34,17,600.00
ब्याज (सरकारी खाते में जमा)	23	29,06,792.00	19,27,831.00
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क के लिए प्रावधान	7	1,00,000.00	1,00,000.00
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग)	8	43,49,529.00	40,84,759.00
योग (B)		**242653972.70**	**428275204.84**

आय और व्यय के बीच का अधिशेष (A-B)		1,02,38,558.30	10,22,35,041.16
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		1,900.00	-91,938.90
अधिशेष शेष को कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		1,02,40,458.30	-
घाटे में बची राशि को कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		-	10,21,43,102.26
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण			
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.3.2024 को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**भुगतान**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
I. प्रारम्भिक शेष			**1.** व्यय		
(a) नकद	25,000.00	25,000.00	(a) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	2,50,27,207.00	2,96,58,377.00
इम्प्रेस्ट	1,50,000.00	1,50,000.00	(वर्ष की शुरुआत में बकाया)	13,44,947.00	4,90,724.00
(b) बैंक बैलेंस					_

i) चालू खातों में	-	-	(b) स्थापना व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	4,83,91,780.47	12,45,25,615.74
ii) जमा खातों में	-	-	(वर्ष की शुरुआत में बकाया)	3,33,769.00	- 1,87,945.00
iii) बचत खाते	21,03,59,742.54	17,63,914.10	(c) संस्थाओं/संगठनों को सहायता अनुदान (अनुसूची 22 के अनुरूप)	15,11,83,690.00	26,34,17,600.00
II. अनुदान प्राप्त			(वर्ष के प्रारंभ में देय - वर्ष के अंत में देय)	2,00,000.00	-
(a) भारत सरकार से	24,86,98,846.00	52,69,05,637.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के खिलाफ किए गए भुगतान**		
(b) राज्य सरकार से	-	-	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाएगा)	-	-
(c) अन्य स्रोतों से (विवरण) सीएसआर	13,88,79,379.00	20,74,30,961.00	i) अनुसंधान परियोजनाएं	-	-
(पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाएगा)	-	-	ii) प्रशिक्षण, कार्यशाला सम्मेलन	72,36,089.00	43,82,522.00
III. निवेश पर आय			**III. निवेश एवं जमा**		

(a) निर्धारित/अनुदान निधि	-	-	(a) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से बाहर	-	-
(b) निजी फंड (अन्य निवेश)	-	-	(b) निजी धन से (निवेश-अन्य)	-	-
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय**		
(a) बैंक जमा पर	29,70,993.00	19,27,831.00	(a) अचल संपत्तियों की खरीद	39,52,835.00	7,89,033.00
(b) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	(b) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय (विकासाधीन सॉफ्टवेयर)	-	9,96,213.00
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)			**V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी**		
बैंक शुल्क की वापसी	-	-	(a) भारत सरकार को	-	-
पुरानी वस्तुओं/वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय/विविध प्राप्तियां	3,60,739.00	4,640.00	(b) राज्य सरकार को	-	-
			(c) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
VI. उधार ली गई राशि			**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	25,13,081.00	18,86,742.00
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण सहित)			**VII अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
(a) विविध प्राप्तियां	-	-	(a) टीडीएस का भुगतान	1,281.00	-

(b) स्कूटर पर ब्याज अग्रिम	-	-	(b) सुरक्षा जमा/जारी/प्रेषित	-	-
(c) सुरक्षा जमा राशि	-	-	(c) राशि समायोज्य (अन्य विभाग द्वारा)	-	-
(d) अग्रिमों की वसूली	1,05,46,711.77	70,52,838.00	(d) नकद में वसूली योग्य अग्रिम या वसूली के लिए मूल्य	1,25,39,319.00	88,62,440.00
(e) टीडीएस की वसूली	-	-	(e) स्टाफ अग्रिम	-	-
(f) स्टाफ कार की वसूली	-	-	(f) अन्य विभागों को भुगतान, (वेतन बिलों से वसूली)	-	-
(g) लाइसेंस शुल्क	-	-	(g) बैंक शुल्क	-	-
(h) विभिन्न विभागों द्वारा समायोज्य, वेतन बिलों से वसूली	-	-	(h) अग्रिम राशि की वसूली	-	-
(i) परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	-	-	(i) विप्रेषण (परिसंपत्तियों और पुरानी वस्तुओं/वस्तुओं की बिक्री आय/विविध प्राप्तियां)	3,21,000.00	4,640.00
(j) जीआईए वापस किया गया	-	-	(j) सीएसआर फंड जारी/व्यय	19,27,41,273.45	9,99,00,116.82
(k) अवकाश, वेतन और पेंशन योगदान का भुगतान जो पिछले वर्ष किया गया था, वापस प्राप्त हुआ।	-	-	**VIII. अन्तिम शेष**		

			(a) नकद	25,000.00	25,000.00
			इम्प्रेस्ट	1,50,000.00	1,50,000.00
			(b) बैंक बैलेंस		
			(i) चालू खातों में	-	-
			(ii) जमा खातों में	-	-
			(iii) बचत खाते	16,60,30,139.39	21,03,59,742.54
योग	61,19,91,411.31	74,52,60,821.10	**योग**	61,19,91,411.31	74,52,60,821.10

(अनुलग्नक-VI)

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजी निधि

(राशि रु. में)

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजी निधि:	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	13,34,33,050.26	3,12,89,948.00
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय (व्यय) का शेष	1,02,40,458.30	10,21,43,102.26
वर्ष के अंत में शेष	**14,36,73,508.56**	**13,34,33,050.26**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 2-आरक्षित और अधिशेष

(राशि रु. में)

अनुसूची 2-आरक्षित और अधिशेष:	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजी आरक्षित निधि:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि/परिवर्धन	-		-	
घटाएँः वर्ष के दौरान की गयी कटौती	(-)	-	(-)	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि/परिवर्धन	-		-	
घटाएँः वर्ष के दौरान की गयी कटौती	(-)	-	(-)	-
3. विशेष आरक्षित निधि:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	

वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि/परिवर्धन		-		-
घटाएँः वर्ष के दौरान की गयी कटौती		(-)	-	(-) -
4. सामान्य आरक्षित निधि:				
पिछले खाते के अनुसार		-		-
वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि/परिवर्धन		-		-
घटाएँः वर्ष के दौरान की गयी कटौती		(-)	-	(-) -
योग			**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि रु. में)

अनुसूची 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	फंड के अनुसार विवरण				योग	
	फंड WW	फंड XX	फंड YY	फंड ZZ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
A) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
B) निधियों में वृद्धि/परिवर्धन:	-	-	-	-	-	-
i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii) निधियों पर किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
iii) अन्य परिवर्धन (विनिर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-
योग (A + B)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय						

(i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
किराया	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग (c)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (a + b - c)	-	-	-	-	-	-

नोट/टिप्पणियाँ

(1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षकों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।

(2) केंद्र/साझा सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार:	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केंद्र सरकार		-	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ				
a) सावधि ऋण	-		-	
b) उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक:				
a) सावधि ऋण	-		-	
- उपार्जित और देय ब्याज	-		-	
b) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)	-		-	
- उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		-	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-	-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट)		-	-	-
योग		**-**		**-**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि				

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5-असुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार:	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-
4. बैंक:	-	-
(a) सावधि ऋण	-	-
(b) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		

7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट)		
योग	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 6-आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रु. में)

अनुसूची 6-आस्थगित ऋण देयताएं:	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
b) अन्य	-	-
योग	**-**	**-**

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 8- अचल संपत्तियां

(राशि रु. में)

अवमूल्यन	*सकल ब्लॉक*					*अवमूल्यन*						*शुद्ध ब्लॉक*	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्य (a)	वर्ष के दौरान वृद्धि (b)		वर्ष के दौरान कटौतियाँ (c)	वर्ष के अंत में लागत/मूल्य (d)	मूल्य ह्रास दर % (e)	वर्ष के आरंभ में (f)	वर्ष के दौरान वृद्धि पर (g		वर्ष के दौरान कटौती पर (h)	वर्ष के अंत तक योग (i)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (d - i)	पिछले वर्ष के अंत तक
		1.4.2023-30.9.2023	1.10.2023 - 31.3.2024					1.4.2023-30.9.2023	1.10.2023-31.3.2024				
मूर्त संपत्ति													
भवन	1,36,54,150	-	-	-	1,36,54,150	10 %	13,65,415	-	-	-	13,65,415	1,22,88,735	1,36,54,150
फर्नीचर और फिक्स्चर	20,75,925	1,38,707	2,36,188		24,50,820	10 %	2,07,593	13,871	11,809	-	2,33,273	22,17,547	20,75,925

वाहन	16,61,068	38,31,960	-	-	54,93,028	15%	2,49,160	5,74,794	-	-	8,23,954	46,69,074	16,61,068
मोबाइल और पोर्टेबल डिवाइस	1,21,594	-	3,665		1,25,259	15%	18,239	-	275	-	18,514	1,06,745	1,21,594
कार्यालय उपकरण	16,86,269	3,13,962	96,105		20,96,336	15%	2,52,940	47,094	7,208	-	3,07,242	17,89,094	16,86,269
निगरानी प्रणाली	62,28,506	-	23,814	-	62,52,320	15%	9,34,276	-	1,786	-	9,36,062	53,16,258	62,28,506
कंप्यूटर/ सहायक उपकरण	8,41,791	1,25,274	1,75,398		11,42,463	40%	3,36,716	50,110	35,080	-	4,21,906	7,20,557	8,41,791
पुस्तकालय पुस्तकें	5,947	-	-	-	5,947	40%	2,379	-	-	-	2,379	3,568	5,947
वैज्ञानिक/तकनीकी उपकरण/ कैमरा	43,035	-	-	-	43,035	15%	6,455	-	-	-	6,455	36,580	43,035

अमूर्त संपत्ति					-								
वेबसाइट	4,99,390	-	8,12,171	-	13,11,561	25%	1,24,848	-	1,01,521	-	2,26,369	10,85,192	4,99,390
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	31,841			-	31,841	25%	7,960	-	-	-	7,960	23,881	31,841
योग	**2,68,49,516**	**44,09,903**	**13,47,341**	**-**	**3,26,06,760**		**35,05,981**	**6,85,869**	**1,57,679**	**-**	**43,49,529**	**2,82,57,231**	**2,68,49,516**
सॉफ्टवेयर (विकासाधीन) / पूंजीगत कार्य प्रगति पर	20,94,789	-		-	20,94,789	0%	-	-	-	-	-	20,94,789	20,94,789
चालू वर्ष का कुल योग	**2,89,44,305**	**44,09,903**	**13,47,341**	**-**	**3,47,01,549**		**35,05,981**	**6,85,869**	**1,57,679**	**-**	**43,49,529**	**3,03,52,020**	**2,89,44,305**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि रु. में)

निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश:	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
योग	**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

(राशि रु. में)

अन्य निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
योग	**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

A. वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि:	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. स्टॉक:	-	-
a) स्टोर्स और स्पेयर (उपयोगी वस्तुओं/स्टाम्प का स्टॉक)	6,90,558.00	7,52,294.00
b) खुले उपकरण	-	-
c) वाणिज्यिक माल		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति में	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार:		
a) 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-

b) अन्य	-	-
3. नकद रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		
नकद रोकड़	-	-
इम्प्रेस्ट	1,75,000.00	1,75,000.00
4. बैंक बैलेंस:		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ:		
'- चालू खातों पर	-	-
'- जमा खातों पर	-	-
(मार्जिन मनी शामिल है)		
'- बचत खातों पर	16,60,30,139.39	21,03,59,742.54
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:	-	-
'- चालू खातों पर	-	-
'- जमा खातों पर	-	-
'- बचत खातों पर	-	-

5. डाकघर-बचत खाते	-	-
योग (A)	**16,68,95,697.39**	**21,12,87,036.54**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि रु. में)

B. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ:	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. **ऋण**:		
a) कर्मचारी	-	-
b) संस्था के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ	-	-
c) अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-
2. नकद या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ और अन्य राशियाँ		
a) पूंजी खाते पर	-	-
b) पूर्वभुगतान	-	-

c) अन्य	-	-
(i) अग्रिम (बैठक, कार्यक्रम, टीएडीए आदि)	46,25,208.00	37,07,973.00
(ii) सुरक्षा जमा राशि	62,584.00	62,184.00
(iii) स्रोत पर कर कटौती	5,38,920.00	5,38,920.00
(iv) प्राप्य खाता	-	1,281.00
3. अर्जित आय:	-	
a) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
b) निवेश पर - अन्य	-	-
c) ऋण एवं अग्रिम पर	-	-
d) अन्य (इसमें अप्राप्त आय शामिल है - रु.....)	-	-
4. प्राप्त करने योग्य दावे (MEA)	-	3,83,687.00
योग (B)	**52,26,712.00**	**46,94,045.00**
योग (A + B)	**17,21,22,409.39**	**21,59,81,081.54**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि रु. में)

बिक्री/सेवाओं से आय:	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1) **बिक्री से आय**	-	-
a) तैयार माल की बिक्री	-	-
b) कच्चे माल की बिक्री	-	-
c) स्क्रैप की बिक्री	3,21,000.00	-
2) **सेवाओं से आय**		
a) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
b) पेशेवर/परामर्श सेवाएँ	-	-
c) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-

d) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
e) अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-
योग	**3,21,000.00**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशि रु. में)

(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार	24,96,25,000.00	52,85,77,775.00
2. राज्य सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-

5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-
योग	**24,96,25,000.00**	**52,85,77,775.00**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क/सदस्यता

(राशि रु. में)

शुल्क/सदस्यता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-
योग	**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 15 - निवेश से आय

(राशि रु. में)

निवेश से आय	निर्धारित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
निधियों में स्थानांतरित निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
a) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
b) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश:				
a) शेयरों पर	-	-	-	-
b) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-

4. अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में स्थानांतरित

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, पब्लिकेशन आदि से आय

(राशि रु. में)

रॉयल्टी, पब्लिकेशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-

योग	-	-

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 17- अर्जित ब्याज

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
b) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
c) संस्थाओं के साथ	-	-
d) अन्य	-	-
2. अन्य		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ	29,06,792.00	19,27,831.00
b) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
c) डाकघर बचत खाते	-	-
d) अन्य	-	-
3. ऋण पर		

a) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
b) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
योग	**29,06,792.00**	**19,27,831.00**

नोट - स्रोत पर कटौती की गई कर - शून्य

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
a) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	3,21,000.00	-
b) अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियाँ, या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय/अन्य प्राप्ति	39,739.00	4,640.00
योग	**3,60,739.00**	**4,640.00**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 19 - तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/कमी

(राशि रु. में)

तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/कमी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
A) अन्तिम स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- कार्य प्रगति पर	-	-
B) घटाएं आरंभिक स्टॉक	-	-
- तैयार माल	-	-
- तैयार माल		
शुद्ध वृद्धि/(कमी) [A-B]	**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a) वेतन और मजदूरी	2,49,80,637.00	2,80,58,774.00
b) भत्ते और बोनस/एक्सग्रेटिया भुगतान	18,26,000.00	5,99,999.00
c) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
d) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	-	-
e) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
f) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय: एलएस और पीसी	1,56,375.00	3,29,100.00
g) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
एलटीसी व्यय	2,77,092.00	4,53,379.00
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
एनटीसीए अधिकारियों की प्रतिपूर्ति (चिकित्सा, समाचार पत्र, ब्रीफकेस, टेलीफोन शुल्क आदि)	1,42,391.00	2,17,125.00
योग	**2,73,82,495.00**	**2,96,58,377.00**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a. क्रय	-	-
b. परिवहन और माल ढुलाई	78,130.00	55,175.00
c. मरम्मत और रखरखाव		
भवन	61,442.00	1,29,125.00
अन्य	1,61,016.00	1,33,765.00
d वाहन चलाने का खर्च	3,47,221.00	2,10,250.00
e. वाहन रखरखाव	1,17,370.00	79,848.00
f. डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	2,31,456.00	1,97,620.00
g. मुद्रण, प्रकाशन और पत्रिकाएँ		
h. यात्रा व्यय:		
घरेलू	75,87,797.00	41,89,248.00
विदेशी	41,17,588.00	59,38,199.00
i. कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	18,10,752.00	5,12,016.00
j. कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	2,92,444.00	2,41,576.00
k. विज्ञापन और प्रचार		-
l. बिजली और पानी का शुल्क	2,72,189.00	2,26,748.00

m. वितरण व्यय		-
n. मुद्रण और स्टेशनरी	13,34,302.00	3,20,902.00
o. आयात व्यय		-
p. स्थानांतरण/स्थानांतरण व्यय		-
q. लेखा परीक्षा शुल्क	4,14,044.00	-
r. अन्य कार्यालय व्यय (कंप्यूटर उपभोग्य सामग्रियों सहित)	2,17,59,425.00	35,16,553.00
s. किराया	12,28,788.00	4,38,216.00
t. अनुपयोगी परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा/हानि		-
u. प्रेषण (बिक्री आय परिसंपत्तियां/पुराने लेख और आइटम/अन्य प्राप्तियां)	3,21,000.00	4,640.00
v. योगदान/अनुदान वापसी	20,89,183.00	9,26,154.10
w. प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलन/बैठक पर व्यय	72,36,089.00	43,82,522.00
x. (CAMPA निधि) से व्यय	72,71,230.70	10,75,84,080.74
योग	**5,67,31,466.70**	**12,90,86,637.84**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a. संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान		
(i) सामान्य अनुदान सहायता (एनटीसीए) से	2,20,48,130.00	4,58,60,560.00
(ii) कैम्पा (CAMPA) से प्राप्त अनुदान सहायता	9,31,35,560.00	20,85,57,040.00
(iii) स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता	2,70,00,000.00	90,00,000.00
(iv) आईबीसीए के अंतर्गत अनुदान सहायता	90,00,000.00	
b. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
योग	**15,11,83,690.00**	**26,34,17,600.00**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 23- ब्याज

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a. निश्चित ऋणों पर	-	-
b. अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
c. अन्य (सरकारी खजाने में भेजा गया ब्याज)	29,06,792.00	19,27,831.00
योग	**29,06,792.00**	**19,27,831.00**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किए जाते हैं.

2. अचल संपत्तियां

अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें आवक माल ढुलाई शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जिनमें से संचित मूल्यह्ास घटा दिया गया है।

गैर-मौद्रिक अनुदानों (कॉर्पस फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को, पूंजी रिजर्व में संगत जमा द्वारा, बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया गया है।

3. मूल्यह्रास

चल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पर प्रदान किया गया है। सितंबर के बाद अर्जित संपत्तियों का मूल्यह्रास, संपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यह्रास की आधी दर पर किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

5. सामान्य

जिन लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वे अन्यथा असंगत हैं।

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स

1. आकस्मिक देयताएँ: इकाई के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएँ: पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों को छोड़कर) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम: प्रबंधन के अनुसार, वर्तमान संपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यापार के क्रम में वास्तविकता में कम से कम बैलेंस शीट में दिखाए गए कुल राशि के बराबर है।

4. 31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं।

5. जमा पर ब्याज आय को संचित आधार पर और सकल आंकड़ों पर मान्यता दी जाती है और स्रोत पर कर कटौती को अलग से दर्शाया गया है।

राजि कारीगरी सं. डी.एस.-33004/99

पंजीकृत संख्या डीएल - 33004/99

अनुलग्नक I

भारत का राजपत्र

भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-ए.- 19092023-248825

सीजी-डीएल-ई-19092023-248825

असाधारण

असाधारण

भाग II- खण्ड 3-उपखण्ड (ii)

भाग II-धारा 3-उपधारा (ii)

प्रारम्भिक से प्रकाशित

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

एस. 3935 नई दिल्ली , मंगलवार , सितंबर 19 , 2023 /भाद्र 28 , 1945

संख्या 3935 नई दिल्ली, मंगलवार, 19 सितंबर, 2023/28 भाद्रपद, 1945

पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

: ...

नई दिल्ली , 18 सितंबर , 2023

का.आ.4100(अ). -केंद्रीय सरकार , वनयोग्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972 (1972 का 53) की धारा 38वीं की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अटल विश्वास गृह संरक्षण के निमनित सदश्यों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और भारत सरकार के पर्यावरण , वन एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना जारी की जाती है। का.आ. 1403 (अ) दिनांक 4 सितम्बर , 2006 में निमन्लिखित और संशोधन किया गया है , अर्थात:-

उआर्ट अधिसूचना में , -

(i) देवारोहण क्रम सं. 6 से 13 तथा उनसे संबंधित विक्रयों के व्युत्पत्ति पर लाभ:

निमन्लिखित क्रम सं. और प्राथमिकताएँ राख हो जाएँगी , अर्थात:-

* 6	श्री एस.एन. श्रीवास्तव , सेवानिवृति प्रमुख वन संरक्षक एवं प्रमुख वन बल , ओडिशा	सदस्य
7	श्री राहुल भटनागर , सेवानिवृति क्षेत्र निदेशक , रणथम्भौर व्याघ्र आरक्ष , यूके राजस्थान	सदस्य
8	श्री रवि सिंह , एसोसिएट जनरल , आर्केस्ट्रा प्रकृति निधि - भारत , कोलोराडो इस रॉकेट , नई कंपनी	सदस्य

9	डॉ. रूप नारायण मांडवे , एम.बी.बी.एस. , डी.एस.पी. , सलाहकार रोगविज्ञानी , जबलपुर , बेरोजगारप्रदेश	सदस्य
10	डॉ. प्रदीप के. मलालायक , सेवानिवृत्ति वरि कॉन्स्टिस्ट प्रोफेसर - भारतीय वनमोतीजीव संस्थान , सलाहकार अराखंड	सदस्य

2 भारत का राजपत्र : असाधारण {भाग II-धारा 3(ii)}

11	श्री डबल्यूम्प्यू , लौंगवाह , सेवानिवृत्ति वन महानिरीक्षक , उच्च विद्यालय संरक्षण प्राधिकरण , क्षेत्रीय कार्यालय , गुवाहाटी , वशिसंवध , चेरीली , गुवाहाटी , असम	सदस्य
12	डॉ.एच.एस.नेगी , सेवानिवृत्त , अतिरिक्त प्रमुख मुखयोग्य वन संरक्षक (वनयोग्यप्राणि) तूफानी प्रदेश	सदस्य
13	डॉ. मधु वर्मा , एसोसिएट प्रोफेसर , भारतीय वन प्रबंधन संप्रजनन , भोपाल	सदस्य

(ii) क्र. सं. 22 से 27 तथा उनसे संबंधित विक्रयों के उद्घाटन पर: निमन्लिखित क्रम सं. और प्राथमिकताएँ रचित जायें , अर्थात:-

22	मुखयोग्य वनयोग्यजीव प्रतिपालक , राजअभियान	सदस्य
23	मुखयोग्य वनयोग्यजीव प्रतिनिधिपालक , ओडिशा के	सदस्य
24	मुखयोग्य वनयोग्यजीव प्रतिनिधिपालक , तमिल	सदस्य
25	मुखयोग्य वनयोग्यजीव प्रतिपालक , अराखंड	सदस्य
26	मुखयोग्य वनयोग्यजीव प्रतिपालक , मिजोरम	सदस्य
27	मुखयोग्य वनयोग्यजीव प्रतिपालक , छतीसगढ़ +	सदस्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

एसओ 4100(ई).-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38एल की उपधारा (1) और (2) द्वारा पुष्टि की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 1403(ई), दिनांक 4 सितम्बर , 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या 6 से 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

*6.	श्री एसएस श्रीवास्तव, पूर्व मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, ओडिशा	-सदस्य
7.	श्री राहुल भटनागर, पूर्व क्षेत्र निदेशक रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उदयपुर, राजस्थान	-सदस्य
8.	श्री रवि सिंह, महासचिव, विश्व प्रकृति निधि - भारत, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	-सदस्य
9.	डॉ. रूप नारायण मांडवे, एमबीबीएस, डीसीपी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश	-मेमर

11।	श्री डब्ल्यू लोंगवाह, पूर्व वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, बशिष्ठ चरियाली, गुवाहाटी, असम	-सदस्य
12.	डॉ. एचएस नेगी, पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्य प्रदेश	-सदस्य
13.	डॉ. मधु वर्मा, पूर्व संकाय सदस्य, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	-सदस्य

भाग II- खण्ड 3-उपखण्ड (ii) भारत का राजपत्र 3

(ii) क्रम संख्या 22 से 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"22.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान	-सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	-सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तमिलनाडु	-सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड	-मेमर
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मिजोरम	-सदस्य
27.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, छत्तीसगढ़	-सदस्य

[फा. सं. 15-30/2011-एनटीसीए]

डॉ. एसपी यादव, अपर वन महानिदेशक (परियोजना बाघ एवं हाथी)

नोट: राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने वाली प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या एसओ 1403 (ई), दिनांक 4 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5254 (ई), दिनांक 4 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी ।

अनुलग्नक II

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

तृतीय विश्वगृह संरक्षण अधिकार

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-3/2023-एनटीसीए दिनांक: 26.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की दिनांक 29.05.2023 को आयोजित 23 वीं बैठक के कार्यवृत्त/सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त/सारांश रिकॉर्ड को, जैसा कि माननीय एमओईएफएंडसीसी/अध्यक्ष, एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो 29 मई, 2023 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, अवलोकन एवं रिकॉर्ड के लिए संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(श्री साजिद सुल्तान)

सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: aig2ntca@nic.in

टेलीफोन (ईपीएबीएक्स): = 91 11 24367837

वितरण:

1. सभी एनटीसीए सदस्य/प्रतिभागी (सूची संलग्न)।

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण आयोग के निजी सचिव

3. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के वरिष्ठ पीपीएस
4. डीजीएफ एंड एसएस के वरिष्ठ पीपीएस, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
5. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश
6. आईजीएफ/डीआईजीएफ/एआईजीएफ, एनटीसीए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर
7. निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल, मध्य प्रदेश
8. उप निदेशक (वित्त), एनटीसीए, नई दिल्ली।
9. एडीजी (पीटी एवं ई) एवं एमएस (एनटीसीए) के निजी सचिव।

एनटीसीए सदस्यों की सूची

क्र सं	नाम/पदनाम एवं पता
1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
3.	सुश्री दीया कुमारी, संसद सदस्य (लोकसभा)
4.	श्री कीर्ति वर्धन मोदी, संसद सदस्य (राज्यसभा)
5.	श्री सुशील कुमार मोदी, संसद सदस्य (राज्यसभा)
6.	श्री एसएस श्रीवास्तव, पूर्व पीसीसीएफ और एचओएफएफ, ओडिशा
7.	श्री राहुल भटनागर, पूर्व क्षेत्र निदेशक रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उदयपुर, राजस्थान
8	श्री रवि सिंह, महासचिव, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, लोधी रोड, नई दिल्ली
9	डॉ. रूप नारायण मांडवे, एमबीबीएस, डीसीपी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश
10	डॉ. प्रदीप के. मलिक, पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर - भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड
11	श्री डब्ल्यू. लोंगवा, पूर्व आईजीएफ (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, बशिष्ठ चरियाली, गुवाहाटी, असम
12	डॉ. एचएस नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ (डब्ल्यूएल), मध्य प्रदेश
13	डॉ. मधु वर्मा, पूर्व संकाय सदस्य, आईआईएफएम, भोपाल
14	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

15	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
16	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
17	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
18	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
20	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
21	निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
22	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान
23	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा
24	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तमिलनाडु
25	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड
26	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मिजोरम
27	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, छत्तीसगढ़
28	संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय
29	अतिरिक्त महानिदेशक वन (प्रोजेक्ट टाइगर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय परिवर्तन

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त/सारांश अभिलेख

29 मई, 2023 को आयोजित

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल

मध्य प्रदेश

<u>राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 23 वीं बैठक:</u>

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 23वीं बैठक 29 मई, 2023 को श्री भूपेंद्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और एनटीसीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। सदस्यों/प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

एजेंडावार चर्चाएं यहां हुईं;

A) एजेंडा-I: एनटीसीए की गतिविधियों पर अद्यतन जानकारी।

एडीजी (पीटी एवं ई) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने औपचारिक रूप से प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा एनटीसीए की गतिविधियों के संबंध में सदस्यों को नीचे उल्लिखित अद्यतन जानकारी देकर कार्यवाही आरंभ की:

i. कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की स्मृति में विशाल आयोजन।

इसमें माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी रिपोर्टों पर प्रकाश डाला गया, जैसे अखिल भारतीय बाघ अनुमान (एआईटीई) सारांश रिपोर्ट 2022, अमृत का का "टाइगर विजन", और अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन (आईबीसीए)।

ii. प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन अभ्यास (एमईई) और अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की विस्तृत रिपोर्ट वैश्विक बाघ दिवस 2023 के दौरान जारी की जाएगी।

iii. विज़न योजना में उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों से लेकर निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों तक बाघों के सक्रिय प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एनटीसीए की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है

iv. मध्य प्रदेश में वीनांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को "सैद्धांतिक" मंजूरी दी गई।

v. हाल ही में स्वीकृत बाघ संरक्षण योजनाएं (टीसीपी) इस प्रकार हैं:

- कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश
- अमनगढ़ (कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश
- रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान
- ओरंग टाइगर रिजर्व, असम

vi. बाघ अभयारण्यों में झरनों और ऐतिहासिक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और यह दस्तावेज वैश्विक बाघ दिवस 2023 के दौरान जारी किया जाएगा।

vii. एनटीसीए एकल खिड़की प्रणाली लाने जा रहा है, जिससे जनता को पारिस्थितिकी पर्यटन और बुकिंग के उद्देश्य से बाघ अभयारण्यों की वास्तविक वेबसाइटों तक पहुंच मिल सकेगी।

viii. पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बाघ रिजर्वों के आसपास के रिसॉर्ट्स/होटलों को पग मार्क रेटिंग प्रदान की जाएगी।

ix. आईसीएफआरई एक आक्रामक प्रजाति के रूप में लैंटाना के खतरे को प्रबंधित करने के लिए प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है।

x. वैश्विक बाघ दिवस समारोह उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आयोजित किये जाने की संभावना है।

निर्णय: प्राधिकरण ने इस पर ध्यान दिया।

1. सुश्री दीया कुमारी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) से इनपुट:

i. सप्ताह में एक दिन टाइगर रिजर्व को बंद करने के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि इससे राजस्व सृजन पर असर पड़ रहा है। पर्यटन दबाव को कम करने के लिए ज़ोन को बंद करने जैसे विकल्प हो सकते हैं।

ii. कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की घोषणा का अनुसरण किया जाना तथा शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है।

2. श्री सुशील कुमार मोदी, संसद सदस्य (राज्यसभा) से इनपुट:

i. बाघ रिजर्वों में विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीपीएफ) की स्थिति की जांच की गई।

ii. बाघ रिजर्वों में धन का सुचारू और समय पर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र।

iii. कैमूर को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अंतिम अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है। इस मामले में तेजी लाई जानी चाहिए।

iv. जांच के दायरे में आने वाले बाघों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। ऐसे मामलों में अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में तेजी आनी चाहिए।

v. उन्होंने पाया कि मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु कर्नाटक से कहीं ज़्यादा है, जबकि दोनों राज्यों में बाघों की आबादी तुलनात्मक रूप से समान है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का संयुक्त आँकड़ा मृत्यु दर के 50% के बराबर है।

vi. वन रक्षकों को माफिया से निपटने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। भले ही वे हथियारबंद हों, लेकिन वे हथियार इस्तेमाल करने से डरते हैं क्योंकि इससे अक्सर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती है। माफियाओं के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करते समय इन अधिकारियों की कार्रवाई की सुरक्षा के लिए असम जैसे कानून बनाए जाने चाहिए।

3. डॉ. एसपी यादव, एडीजी (पीटी एवं ई) एमएस (एनटीसीए) द्वारा दी गई जानकारी:

i. डॉ. एसपी यादव, एडीजी (पीटी एवं ई) एमएस (एनटीसीए) ने बताया कि बड़ी संख्या में मामलों की जांच का मुख्य कारण यह है कि इन मामलों की जांच में काफी समय लगता है, फोरेंसिक विश्लेषण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जो देरी को बढ़ाती है।

ii. इसके अलावा, बाघों की मृत्यु के सभी मामलों को तब तक अवैध शिकार माना जाता है जब तक कि राज्य द्वारा अन्यथा साबित न कर दिया जाए।

iii. वर्तमान में बाघों के शिकार से संबंधित गतिविधियों में कोई संगठित माफिया सक्रिय नहीं है। शिकारी संसार चंद की गिरफ्तारी और उसके बाद उसकी मौत के साथ यह समाप्त हो गया। बाघों की मृत्यु के अधिकांश मामले बिजली के झटके, जहर के मामलों या जाल के कारण होते हैं।

iv. ऐसे सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर, गिरफ्तारी, आरोप पत्र और उसके बाद राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जांच की जाएगी।

v. डब्ल्यूसीसीबी क्षेत्र स्तर से एकत्रित वन्यजीव अपराध का एक डेटाबेस रखता है।

4. श्री एसएस श्रीवास्तव, सदस्य, एनटीसीए द्वारा दी गई जानकारी:

i. परामिकुलम और अन्नामलाई बाघ अभयारण्यों के उदाहरण को देखते हुए, समुदायों के साथ जुड़ने और उन्हें इस प्रणाली से बाहर निकालने के लिए नए तरीकों की खोज की जानी चाहिए।

5. डॉ. एचएस नेगी, सदस्य एनटीसीए से प्राप्त इनपुट:

i. 1973 के दशक में शुरू की गई नमूना प्लॉट बिछाने की पद्धति को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। यह आवास में होने वाले बदलावों को देखने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है।

ii. हितधारकों के साथ जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

iii. एआई सिस्टम जैसी तकनीक का उपयोग बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बाघ अभयारण्यों में इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ परिदृश्यों में उपयोग किए जाने वाले ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम का उदाहरण देते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और संभालने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाना चाहिए।

iv. आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. श्री डब्ल्यू लोंगवाह, सदस्य एनटीसीए से प्राप्त इनपुट:

i. दिबांग को बाघ अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा रहा है तथा सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

ii. असम में कार्बी आंगलोंग को टाइगर रिजर्व घोषित करने की फाइल भी हिल काउंसिल और राज्य प्रशासन के पास लंबित है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य को पत्र लिखा जा सकता है।

7. डॉ. मधु वर्मा, सदस्य, एनटीसीए के इनपुट :

i. बाघ अभयारण्यों के मूल्यांकन को पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग देश के हरित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बाघ अभयारण्यों के योगदान को दर्शाने के लिए किया जाए। इसका उपयोग इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

ii. समग्र योजना अत्यंत आवश्यक है और ऐसी योजनाओं में गलियारों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

iii. स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा उसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

8. श्री रवि सिंह, सदस्य, एनटीसीए से प्राप्त इनपुट:

i. प्रणालियों के आगमन के साथ, यह आवश्यक है कि डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

ii. बाघों की कम संख्या वाले या बाघों के अभाव वाले क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण, तथा ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक कार्यशाला।

1. एनटीसीए के सदस्य डॉ. प्रदीप से प्राप्त जानकारी :

i. सुझाव दिया गया कि सभी कॉलर में ऑटो/रिमोट ड्रॉप सुविधा होनी चाहिए

ii. बाघ अभयारण्यों को जंगली जानवरों के उपचार के लिए दवाओं की खरीद में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से संकट में फंसे जानवरों को रासायनिक रूप से स्थिर करने/रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ/दवाएँ जिन्हें बचाया जाना ज़रूरी है। यह सुझाव दिया गया कि ऐसी दवाओं की खरीद केंद्रीकृत तरीके से की जा सकती है, अधिमानतः भारत सरकार के स्तर पर।

2. एनटीसीए के सदस्य राहुल भटनागर के इनपुट :

i. सुझाव दिया गया कि सभी कॉलर में ऑटो/रिमोट ड्रॉप सुविधा होनी चाहिए।

3. इनपुट :

i. सुझाव दिया गया कि बाघ अभयारण्यों में आदिवासियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से इन समुदायों के बसने के संबंध में।

ii. वन ग्रामों के अधिकारों का निपटान भी किया जाना चाहिए। सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू सांसद ने आश्वासन दिया कि वन ग्रामों को छोड़ा नहीं जा रहा है और अधिकारों के निपटान के मामले में उन्हें राजस्व गांवों के बराबर माना जाता है।

iii. डीजीएफ और एसएस एमओईएफसीसी ने श्री मांडवे से उन वन गांवों का मामलावार डेटा साझा करने का अनुरोध किया जहां अधिकारों का निपटान नहीं किया गया था।

4. विधि एवं न्याय मंत्रालय के श्री चिन्नाराजा जी नाडु से प्राप्त इनपुट:

i. पशुओं के रख-रखाव के संबंध में चिंता जताई गई कि वे मानव बस्तियों में भटक जाते हैं और उनका मनुष्यों से टकराव होने की संभावना रहती है।

डॉ. एसपी यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में एनटीसीए के एसओपी का पालन किया जा रहा है और बाघ रिजर्व द्वारा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

5. तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्राप्त जानकारी:

i. बाघों से मुक्त क्षेत्र और बड़े वन क्षेत्रों के बीच गलियारा संपर्क बनाए रखना होगा, ताकि बाघ ऐसे शहरी क्षेत्रों से जंगलों की ओर जा सकें।

ii. कम घनत्व वाले बाघ क्षेत्रों में पुनरुत्पादन योजनाओं के लिए अच्छी स्रोत जनसंख्या, जिससे आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित होती है।

iii. भूमि उपयोग नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

iv. ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में लोगों में बाघों के प्रति सहनशीलता अधिक है।

6. उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्राप्त जानकारी:

i. नैनीताल में भी इसी प्रकार का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व था, हालांकि, संघर्ष क्षेत्रों में अचानक वृद्धि हुई।

ii. ऐसी समस्याओं के समाधान में जागरूकता और पहुंच महत्वपूर्ण है

बाघों से भरे प्रादेशिक क्षेत्रों को वित्तपोषण की आवश्यकता है। डीजीएफएंडएसएस एमओईएफसीसी ने कहा कि ऐसे क्षेत्र वन्यजीव प्रबंधन घटक के तहत कैम्पा से वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं।

7. छत्तीसगढ़ के मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्राप्त जानकारी:

i. तेजी से शमन के लिए प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक प्रतिक्रिया टीम जरूरी है, सतर्क गश्त और एपीसी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

ii. गांवों के पुनर्वास के उद्देश्य के लिए वन भूमि के हरित परिवर्तन में तेजी लाने पर विचार किया जाना चाहिए।

iii. गलियारों में आवास प्रबंधन न्यूनतम होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्षेत्र केवल जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए हैं न कि स्थायी आश्रय के स्थान के रूप में। इस तरह का प्रबंधन कार्य योजना का हिस्सा होना चाहिए जहां क्षेत्रीय विभाजन के क्षेत्र गलियारे के हिस्से के रूप में शामिल हैं।

iv. एनआईसी मॉडल के लिए एफडी और आर्किटेक्चर (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के साथ एक कार्यशाला।

8. राजस्थान के मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्राप्त जानकारी:

i. वन्यजीव क्षेत्रों में तैनाती के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु वन्यजीव क्षेत्रों में तैनाती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. संघर्ष से बचने के पारंपरिक तरीकों को पुनः बहाल किया जाना चाहिए, जैसे समूहों में चलना, ऐसे क्षेत्रों से गुजरते समय भजन-कीर्तन करना आदि।

iii. बाघ अभ्यारण्यों के अन्दर हरित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

B) एजेंडा - 2: वेब-आधारित एप्लिकेशन - ट्रिप (टाइगर रिजर्व सूचना पोर्टल) का शुभारंभ

वेबसाइट का शुभारंभ माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया गया। पोर्टल पर डेटा, हस्तक्षेप प्रबंधन और परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई।

C) एजेंडा-3: पूर्व बैठक में चर्चा किए गए मुद्दे और सिफारिशें

बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की गई तथा इन्हें प्रतिभागियों के चर्चा बिंदुओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

D) एजेंडा-4: कार्रवाई रिपोर्ट:

एडीजी (पीटी एवं ई) एवं एमएस (एनटीसीए) ने एनटीसीए की 22वीं बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में माननीय अध्यक्ष को संक्षिप्त जानकारी दी।

निर्णय: कार्रवाई रिपोर्ट को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

E) एजेंडा - 5: बाघों की स्थिति (2022) - भारत में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) पर अनुमोदन और अद्यतन - पांचवां चक्र, 2022

i. **बाघों की स्थिति 2022:** अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 अभ्यास के अनुसार देश में बाघों और उनके आवास की स्थिति पर एडीजी (पीटी एंड ई) एमएस (एनटीसीए) ने विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। पगमार्क तकनीक से लेकर कैमरा ट्रैप का उपयोग करके वर्तमान वैज्ञानिक चरण-वार निगरानी तक की कार्यप्रणाली में बदलाव को सदस्य को समझाया गया और इस पर प्रकाश डाला गया। प्रोसेस की गई छवियों की संख्या और ट्रांसेक्ट प्रयासों जैसे अभ्यास के कठिन प्रयासों पर जोर दिया गया और उनकी सराहना की गई।

ii. **प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई):** एडीजी (पीटी एंड ई) और एमएस (एनटीसीए) ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एमईई अभ्यास की समग्र प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को समझाया। पिछले चक्रों के परिणामों पर तुलना की गई, जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि अधिकांश बाघ अभयारण्यों ने रेटिंग में सुधार दिखाया है, जबकि कुछ में गिरावट भी देखी गई है।

उत्कृष्ट श्रेणी में 12 टाइगर रिजर्व, बहुत अच्छे श्रेणी में 20 टाइगर रिजर्व, अच्छे श्रेणी में 14 टाइगर रिजर्व और ठीक श्रेणी में 5 टाइगर रिजर्व थे।

F) एजेंडा - 6: बिग कैट एलायंस - अपडेट

वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) डॉ. अमित मलिक ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के संबंध में सदस्यों को निम्नानुसार जानकारी दी:

i. माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल, 2023 को मसूरु, कर्नाटक में आईबीसीए के शुभारंभ की घोषणा की।

ii. इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, गैर-श्रेणी के देशों, संरक्षण भागीदारों, इच्छुक व्यापार और कॉर्पोरेट समूहों तथा बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों के बीच सहयोग के लिए एक सहयोगी मंच के माध्यम से तालमेल बनाना है, ताकि सहयोगात्मक तरीके से सकारात्मक योगदान दिया जा सके, ताकि उनकी सीमाओं में बड़ी बिल्लियों की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित की जा सके। कुल 96 देश हैं।

iii. एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है; प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी टिप्पणियां और सिफारिशें इसमें शामिल कर ली गई हैं।

iv. अंतरिम सचिवालय की स्थापना जुलाई तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

v. कई देश आईबीसीए का समर्थन कर रहे हैं और आईबीसीए में शामिल होने के लिए औपचारिक संचार भेजने की प्रक्रिया में हैं।

vi. विदेश मंत्री का नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा निर्धारित है, इस संबंध में एनटीसीए का एक अधिकारी माननीय मंत्री के साथ जाएगा।

G) एजेंडा -7 : **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन ।**

एडीजी (पीटी एंड जी) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने बताया कि 2022-23 के दौरान अनुदान सहायता और वेतन अनुदान के तहत स्वीकृत बजट का 99% उपयोग हो चुका है।

निर्णय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को मंजूरी दी गई।

h) एजेंडा-11: जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित:

महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास (यदि कोई हो) के अंतर्गत नए क्षेत्रों की घोषणा करने से पहले वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जाना चाहिए।

एडीजी (पीटी एंड ई) एवं एमएस (एनटीसीए) ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन क्षेत्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है।

माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री /अध्यक्ष एनटीसीए की टिप्पणियां एवं अवलोकन;

i, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की अगली बैठक जुलाई माह में वैश्विक बाघ दिवस 2023 के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी।

ii. शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा गुणवत्तापूर्ण शोध प्रकाशनों पर जोर दिया जाना चाहिए।

iii बाघ न केवल क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि देश की सहायक नदियों की भी रक्षा कर रहे हैं। रिजर्व के मूल भाग की पवित्रता की रक्षा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। आवास का प्रबंधन यथासंभव प्राकृतिक रूप से किया जाना चाहिए, मूल भाग में कम से कम व्यवधान होना चाहिए,

iv आदिवासियों और अन्य वनवासियों के अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए।

v. अगली बैठक में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी जाएगी।

vi. पशु चिकित्सा दवाओं के राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के अवसर तलाशे जाएंगे।

vii. रेडियो कॉलर, कैमरा ट्रैप आदि के स्वदेशी निर्माण की संभावना तलाशी जानी चाहिए।

viii. बाघ अभयारण्यों में मंदिर पर्यटन को उचित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। जहां भी इस तरह का पर्यटन चल रहा है, उसे बहुत सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए। बाघ अभयारण्यों में मानवजनित प्रभाव को कम करने के लिए ई-बसों और परिवहन के अन्य पर्यावरण-अनुकूल साधनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बैठक अध्यक्ष एवं सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

***

अनुलग्नक III

फा. सं. 15-6'2023-एनटीसीए

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

****

दिनांक: 21-06-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की **24वीं बैठक का सारांश रिकार्ड ।**

अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 24वीं बैठक के सारांश रिकॉर्ड की एक प्रति, जिसे माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/अध्यक्ष एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो 29 फरवरी, 2024 को महानदी सम्मेलन हॉल, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

वैभव चंद्र माथुर के हस्ताक्षर

दिनांक: 21-06-2024 15:08:56

(वैभव चंद्र माथुर) उप महानिरीक्षक

ईमेल: dig1-ntca@nic.in

टेली.:+ 91 11 24367837-39

फैक्स:+ 91 11 24367836

प्रतिलिपि:

1. सभी एनटीसीए सदस्य (सूची संलग्न)

प्रतिलिपि:

1. माननीय विद्युत एवं संचार मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्री, ईएफ एवं सीसी के निजी सचिव।
3. सचिव, पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ पीपीएस।
4. डीजीएफ एंड एसएस, पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ पीपीएस।
5. आईजीएफ/डीआईजीएफ/एआईजीएफ, एनटीसीए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर।
6. एडीजी (पीटी) एवं एमएस, एनटीसीए के निजी सचिव
7. पीए से आईजीएफ, एनटीसीए।

पता: बी-1 विंग, 7वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 फोन: + 91 11 24367837-39 फैक्स: +91 11 24367836, वेबसाइट: https://ntca.gov.in

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 24वीं बैठक का सारांश रिकॉर्ड

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 24वीं बैठक 29 फरवरी, 2024 को इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली में एचएमईएफसीसी/अध्यक्ष एनटीसीए की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत में एडीजी (पीटीएंडई) और एमएस (एनटीसीए) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बैठक के एजेंडे की रूपरेखा बताई। बैठक में **अनुलग्नक 1 के अनुसार सदस्यों ने भाग लिया।**

एजेंडा मदों पर विचार करने से पहले, एचएमईएफसीसी/अध्यक्ष एनटीसीए ने निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए:

(i) **भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2022:** भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी 13.874 (रेंज: 12,616 - 15,132) है, जो 2018 में 12852 (12,172-13,535) व्यक्तियों के नमूने के साथ समान क्षेत्र की तुलना में एक स्थिर आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यह अनुमान तेंदुओं के आवास के 70% की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि हिमालय और देश के अर्ध-शुष्क हिस्से जो बाघों के आवास नहीं हैं, उनका नमूना नहीं लिया गया था।

(ii) **अंतर को पाटना:** भारत के बाघ अभयारण्य प्रबंधन की प्रभावशीलता का अनावरण - (प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन और अखिल भारतीय बाघ आकलन के पांच चक्रों से सीखे गए सबक का संकलन)। भारत ने वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन किया है कि हमारे बाघ अभयारण्य विभिन्न प्रबंधन शक्तियों जैसे संरक्षण रणनीतियों, गुणवत्ता प्रबंधकीय समर्थन, मानव-वन्यजीव संघर्षों का शीघ्र शमन, वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और पेशेवर रूप से तैयार बाघ संरक्षण योजनाओं के कारण अच्छी तरह से प्रबंधित हैं।

(iii) **बाघों का अनावरण: एक ग्रंथ सूची ओडिसी (2019-2023):** यह ग्रंथ सूची बाघों के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्व रखती है और इस क्षेत्र में लगे शोधकर्ताओं और संरक्षण चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।

(iv) **प्रोजेक्ट चीता पर पुस्तिका:** यह पुस्तिका विश्व स्तर पर चीता के संरक्षण की स्थिति का एक उदाहरणात्मक चित्रण है। इसमें कुनो नेशनल में चीतों को सफलतापूर्वक लाने में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया है, जो दुनिया का पहला अंतरमहाद्वीपीय जंगली-से-जंगली स्थानांतरण है।

(v) **चीता की रफ्तार:** एक लघु दृश्य-श्रव्य कृति जो विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के प्रतीक के रूप में चीते को दर्शाती है।

इसके बाद एजेंडावार विचार-विमर्श हुआ।

एजेंडा 1

प्राधिकरण पर अद्यतन जानकारी

एडीजी (पीटीएंडई) और एमएस, एनटीसीए ने एनटीसीए की 23वीं बैठक के बाद से किए गए कार्यों से प्राधिकरण को अवगत कराया जो इस प्रकार हैं:

(i) एनटीसीए की तकनीकी समिति : 4.8.23, 11.9.23 को 5 बैठकें आयोजित की गईं।

9.10.23.3.1.24 और 16.2.24

(ii) बाघ संरक्षण योजनाएँ (टीसीपी) : पलामू, पन्ना और भागलपुर जिलों की 3 टीसीपी सिमलीपाल बाघ अभयारण्यों को मंजूरी दी गई

(iii) एनबीडब्ल्यूएल प्रस्ताव : 182 प्रस्तावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया

(अनुलग्नक के अनुसार)

प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की।

एजेंडा 2

प्राधिकरण की 23वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई

एनटीसीए की 23वीं बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट एमएस (एनटीसीए) द्वारा प्रस्तुत की गई, जो इस प्रकार है;

क्र.सं.	**विवरण/निर्णय**	**की गई कार्रवाई**
	लिए गए निर्णय/विवरण	
1	अगली बैठक में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी जाएगी।	डेटा एकत्र किया जा रहा है; बाघ अभयारण्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है।
2	पशु चिकित्सा दवाओं के राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ मिलकर संभावनाएं तलाशी जाएंगी।	यह मामला पत्र संख्या 15-3/2023-एनटीसीए दिनांक 09.06.2023 के तहत शुरू किया गया है। एनटीसीए के सदस्य डॉ. प्रदीप के. मलिक दवा कंपनियों और संबंधित हितधारकों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं।
3	रेडियो कॉलर, कैमरा ट्रैप आदि के स्वदेशी निर्माण की संभावना तलाशी जानी चाहिए।	यह मामला पत्र संख्या एफ.सं. 15-3/203-एनटीसीए दिनांक 09.06.2023 के तहत शुरू किया गया है।

		भारतीय वन्यजीव संस्थान के डॉ. के. रमेश निर्माताओं, बाघ अभयारण्यों और संबंधित हितधारकों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त पर ध्यान दिया।

एजेंडा 3

एनबीडब्ल्यूएल प्रस्तावों पर अद्यतन जानकारी

एम.एस. (एन.टी.सी.ए.) ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि एन.टी.सी.ए. द्वारा वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन किए गए 182 प्रस्तावों को पिछली बैठक के बाद से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इसकी सूची **अनुलग्नक** 2 में संलग्न है। प्राधिकरण ने एनटीसीए द्वारा एनबीडब्ल्यूएल को दी गई सिफारिशों पर ध्यान दिया तथा उनकी पुष्टि की।

एजेंडा 4

श्री राहुल भटनागर, एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित एजेंडा

एनटीसीए के सदस्य श्री राहुल भटनागर के प्रस्तावित एजेंडे के जवाब में, बताया गया कि कुंभलगढ़ को अधिसूचित करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दे दी गई है इस प्राधिकरण की दूसरी तकनीकी समिति की बैठक 04 अगस्त, 2023 को हुई। मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उक्त प्रस्ताव राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यालय में समीक्षाधीन है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करते समय एफआरए, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एचएमईएफसीसी/एनटीसीए के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सदस्य राज्य सरकार के साथ इस मामले पर आगे की कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में रातापानी डब्ल्यूएलएस, कैमूर डब्ल्यूएलएस और दिबांग डब्ल्यूएलएस को अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई की गई है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः ऐसे मामले हैं जिनके लिए आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त बात पर गौर किया।

एजेंडा 5

डॉ. रूप नारायण मांडवे, एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित एजेंडा

एनटीसीए के सदस्य डॉ. रूप नारायण मांडवे द्वारा प्रस्तावित एजेंडे के संबंध में, एनटीसीए के अध्यक्ष ने व्यवसाय आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें पारंपरिक ज्ञान को कौशल, पुनः कौशल और अप-स्किलिंग के माध्यम से कुशल बनाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाघ/चीता-केंद्रित होने के बजाय गहन पारिस्थितिक बोध विकसित करना होना चाहिए, जो एक अधिक समग्र दृष्टिकोण भी होगा।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय समुदायों की भागीदारी उनकी भलाई के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ वन अधिकार धारकों को पूरी तरह से प्रदान किए जाएं।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त पर ध्यान दिया।

एजेंडा 6

बैठक से पूर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का दौरा

एम.एस. (एनटीसीए) ने सदस्यों से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश की बैठक-पूर्व यात्रा पर अपनी टिप्पणियां और अवलोकन देने का अनुरोध किया।

डॉ. एचएस नेगी ने गांवों के पुनर्वास के प्रति मध्य प्रदेश राज्य की दीर्घकालिक और सतत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो सतपुड़ा में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। श्री एसएस श्रीवास्तव ने टिप्पणी की कि सतपुड़ा स्टाफ वेलफेयर सोसाइटी अच्छी तरह से काम कर रही है और इस मॉडल का अन्य बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में भी अनुकरण किया जाना चाहिए। श्री रवि सिंह ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उत्कृष्ट चरागाह प्रबंधन पर टिप्पणी की, जबकि श्री राहुल भटनागर ने सफल गांव पुनर्वास पर टिप्पणी की, जिसने आवास हस्तक्षेप करने के लिए जगह बनाई। एनटीसीए के सदस्य श्री रवि सिंह ने सुझाव दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर का स्वर्ण जयंती वर्ष होने के कारण, पहले 9 बाघ अभयारण्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें अधिसूचित किया गया था।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त बात पर गौर किया।

अतिरिक्त एजेंडा

श्री एसएस श्रीवास्तव, सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित एजेंडा

श्री एसएस श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तावित एजेंडे के संबंध में, एचएमईएफसीसी/अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्य द्वारा उठाए गए पारिस्थितिकी विकास समितियों के कामकाज के संबंध में बिंदुओं को क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित करने तथा उनके सुझावों को रिकार्ड करने का निर्देश दिया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बाघ रिजर्वों से गांवों के स्थानांतरण के संबंध में कुछ शिकायतों को उजागर किया तथा सुझाव दिया कि इन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रोफेसर उमर कुरेशी ने भारत में तेंदुओं की नवीनतम स्थिति, 2022 पर प्रस्तुति दी।

प्राधिकरण ने आवश्यक कार्रवाई हेतु संज्ञान लिया।

उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, एनटीसीए द्वारा टिप्पणियाँ

माननीय राज्य मंत्री/उपाध्यक्ष, एनटीसीए ने बाघ और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार व्यक्त किए।

एचएमईएफसीसी/अध्यक्ष, एनटीसीए ने पूरे क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बाघ/बाघ रिजर्व के केंद्रीय धुरी के आसपास क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले गलियारों की पहचान करने और उनका मानचित्रण करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि बाघों और वन्यजीवों के नाम पर व्यापक हरित विकास हो सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्य क्षेत्रों को अछूता रखने की आवश्यकता है और सभी नई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पर्यटन भी शामिल है जिसे मौजूदा सुविधाओं के साथ चलाया जाना चाहिए और कोई नई सुविधा नहीं शुरू की जानी चाहिए।

बैठक का समापन एम.एस. (एन.टी.सी.ए.) के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

*****

वैभव चंद्र माथुर के हस्ताक्षर

दिनांक: 21-06-2024 15:11:21

अनुलग्नक IV

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-30(1)/2023-एनटीसीए

दिनांक: 24.05.2023

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की पहली तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/सारांश रिकॉर्ड - के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संदर्भ में, कृपया एनटीसीए की पहली तकनीकी समिति की बैठक के मिनट/सारांश रिकॉर्ड की अनुमोदित प्रति संलग्न है, जो 2 मई, 2023 को डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी [पीटीएंडई] और एमएस [एनटीसीए], नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ

संलग्नक- उपरोक्तानुसार.

-

(मोहम्मद साजिद सुल्तान)

सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

. ईमेल : aig2-ntca@nic.in

टेली. [ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-39

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (सूची संलग्न)

2. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू और पीसीसीएफ [वन्यजीव), महाराष्ट्र
3. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू एवं पीसीसीएफ [वन्यजीव), मध्य प्रदेश
4. पीसीसीएफ (वन्यजीव) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, छत्तीसगढ़
5. क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान
6. संयुक्त निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, चेन्नई

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. एचएमईएफएंडसीसी के निजी सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली
2. आईजीएफ/एजेजी, एनटीसीए, मुख्यालय। / क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर, गुवाहाटी और नागपुर
3. एडीजी [पीटीएंडई] एवं सदस्य सचिव [एनटीसीए] के निजी सचिव

पहली तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/कार्यवाही

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

उक्त बैठक की सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**कार्यसूची**	**सारांश**
एजेंडा 1	मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से 20 मादा और 10 नर गौर को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (एमएचटीआर) में स्थानांतरित करने और पुन: स्थापित करने की अनुमति के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	समिति द्वारा एमएचटीआर में गौर के ऐतिहासिक वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए: **जनसंख्या एवं आवास व्यवहार्यता मूल्यांकन (पीएचवीए) किया जाना है तथा मामले पर निर्णय लेने के लिए एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।**
एजेंडा 2	रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अनुमोदन के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	टीसीपी को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया। **समिति ने इस शर्त के साथ टी.सी.पी. को मंजूरी देने की सिफारिश की कि पर्यटन क्षेत्र का**

		युक्तिकरण कानूनी प्रावधानों और मानक शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
एजेंडा 3	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन को स्थानांतरित करने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ	**समिति ने प्रस्तावित स्थानांतरण को मंजूरी देने की सिफारिश की।** उक्त टीआर में चल रहे शिकार संवर्द्धन प्रयासों को सुनिश्चित किया जाना है।
एजेंडा 4	रणथम्भौर बाघ अभयारण्य से दो बाघिनों को रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित करने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	***समिति ने* अनुमोदन की सिफारिश की प्रस्तावित स्थानांतरण.**
एजेंडा 5	असम/छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में 50 जंगली भैंसों को पुनः लाने की अनुमति के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	***समिति ने* प्रस्ताव को "सिद्धांततः" मंजूरी देने की सिफारिश की** । जंगली भैंसों की जनसंख्या के स्रोत की पहचान राज्य द्वारा की जाएगी तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को इसकी सूचना दी जाएगी।
एजेंडा 6	असम/छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में	**समिति ने मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण**

	50 जंगली भैंसों को पुनः लाने की अनुमति के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	**के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन की सिफारिश की।**

एजेंडा 7	तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में नीलगिरि मार्टन के अध्ययन के लिए एचओसी प्रदान करने हेतु भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), चेन्नई के संयुक्त निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	**समिति ने प्रस्तावित अध्ययन के लिए एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की।**
एजेंडा 8	महाराष्ट्र के मेलघाट, पेंच और ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर,	**समिति ने गिद्धों की संख्या बढ़ाने के प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।**

	हरियाणा से बंदी नस्ल के गिद्धों को लाने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	
एजेंडा 9	स्थानांतरण परियोजना के अगले चरण की शुरुआत और कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 20 बारहसिंघा स्थानांतरित करने की अनुमति देने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	**समिति ने प्रस्तावित स्थानांतरण को मंजूरी देने की सिफारिश की,** कान्हा टाइगर रिजर्व में बारासिंघा की वर्तमान स्रोत जनसंख्या 900 से अधिक है, तथापि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कान्हा टाइगर रिजर्व की बारासिंघा जनसंख्या कम/प्रभावित न हो।
एजेंडा 10	छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों को पुनः लाने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।	**समिति ने प्रस्तावित स्थानांतरण को मंजूरी देने की सिफारिश की** 2 मादा और 1 नर बाघ मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्थितियों के अधीन (i) एक सुरक्षा योजना लागू की जाएगी

		(ii) शिकार प्रजातियों के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए एक इन-सीटू बाड़े का निर्माण किया जाना है
एजेंडा 11	मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नया पर्यटन द्वार (अकोला गेट से हिनौता गेट तक) खोलने के लिए सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	निम्नलिखित शर्तों के अधीन **प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की ;** (i) बाघ अभयारण्य में वाहनों की संख्या समान रहेगी। (ii) वहन क्षमता वही रहेगी
एजेंडा 12	सरिस्का बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र में 607.66 वर्ग किलोमीटर के समीपवर्ती वन क्षेत्र को शामिल करने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान की पहल का स्वागत किया गया। **समिति ने** सरिस्का बाघ अभयारण्य में क्षेत्र वृद्धि के प्रस्ताव की अनुशंसा की। क्षेत्र संवर्धन अभ्यास के दूसरे चरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी समिति के दो विशेषज्ञ सदस्य, भारतीय वन्यजीव संस्थान और एआईजी एनटीसीए का एक

		प्रतिनिधि व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा करेंगे।
एजेंडा 13	भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ के वन क्षेत्र को एमएचटीआर कोर-II (201.40 वर्ग किमी.) और निकटवर्ती वन क्षेत्र को एमएचटीआर बफर (99.0135 वर्ग किमी.) के रूप में शामिल करने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	**समिति ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।**
एजेंडा 14	पालीघाट रेंज (राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य) 9.56 वर्ग किमी को रणथंभौर के बफर में शामिल करने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	**समिति ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।**
एजेंडा 15	एमएचटीआर में मौजूदा बाड़े के 32 वर्ग किलोमीटर में जंगली कुत्तों के 3 जोड़े लाने के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	दिए गए स्थलों पर जनसंख्या एवं आवास व्यवहार्यता मूल्यांकन [एफएचवीए] किया जाना है तथा रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत की जानी है।

		रिपोर्ट के निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद एजेंडा अगली तकनीकी समिति की बैठक में रखा जाएगा।

समाप्त

अनुलग्नक-V

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-30(1)/2023-एनटीसीए

दिनांक: 21 अगस्त, 2023

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तीसरी तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/सारांश रिकॉर्ड - के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संदर्भ में, कृपया 4 अगस्त, 2023 को डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी (पीटीएंडई) और एमएस (एनटीसीए), नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित एनटीसीए की दूसरी तकनीकी समिति की बैठक के मिनट/सारांश रिकॉर्ड की अनुमोदित प्रति संलग्न करें।

सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(मोहम्मद साजिद सुल्तान)

सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: aig2-ntca@nic.in

टेली. (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-39

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति,

   राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (सूची संलग्न)
2. मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र
3. मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम
4. मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश
5. मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़
6. मुख्य वन्यजीव वार्डन, बिहार
7. सीईओ, आईओआरए इकोलॉजिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
8. निर्देशक, ऑप्टिमम टेलीविज़न, यूनाइटेड किंगडम

प्रतिलिपि:

1. माननीय पर्यावरण मंत्रालय के निजी सचिव
2. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली
3. एडीजी (पीटीएंडई) एवं एमएस (एनटीसीए) के निजी सचिव

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की पहली तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/कार्यवाही

उक्त बैठक की सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**कार्यसूची**	**सारांश**
एजेंडा 1	पीसीसीएफ (वन्यजीव), महाराष्ट्र से प्राप्त	पेंच टाइगर रिजर्व, नागपुर में शिकार आधार और शाकाहारी स्थानांतरण के संवर्धन के संबंध में प्रस्ताव, विवरण इस प्रकार है: चीतल (100) और सांभर [50+50, दो समूहों में] को बोर टाइगर रिजर्व के बोर बांध और सुकाड़ी बीट के डूब क्षेत्र से पेंच टाइगर रिजर्व के पश्चिम फेंच और सेलाघाट रेंज में स्थानांतरित किया जाएगा। **निर्णय:** **समिति ने इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की कि वन्यजीव संस्थान से तकनीकी सहायता प्राप्त की जाए।**
एजेंडा 2	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू **एवं** पीसीसीएफ [वन्यजीव], महाराष्ट्र से प्राप्त	महात्मा गांधी प्राणि उद्यान, सोलापुर से बंदी चीतल और सांभर को सह्याद्री बाघ रिजर्व में

		छोड़े जाने से सह्याद्री बाघ रिजर्व के शिकार संवर्धन के संबंध में प्रस्ताव। विवरण इस प्रकार है: सांभर [12] और चीतल [72] को महात्मा गांधी चिड़ियाघर, सोलापुर से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। **निर्णय:** **समिति ने निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की;** 1. **सभी सावधानियां जैसे कि परजीवी भार विश्लेषण और व्यक्तियों की रोग जांच की जानी चाहिए।** 2. **इसे पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।** 3. **स्थानांतरण के लिए सीजेडए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है।**
एजेंडा 3	पीसीसीएफ (वन्यजीव) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, असम से प्राप्त	संरक्षण प्रजनन एवं पूर्व-मुक्ति से 18 बंदी नस्ल के पिग्मी हॉगों को स्थानांतरित करने की अनुमति के अनुरोध के संबंध में प्रस्ताव केंद्र ने असम के चल रहे पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम [पीएचसीएफ] के तहत मानस राष्ट्रीय

		उद्यान और टाइगर रिजर्व को यह सहायता प्रदान की है। विवरण इस प्रकार है: पीएचसीपी के तहत 18 [6 नर और 12 मादा} पिग्मी हॉग मानस टाइगर रिजर्व में छोड़े जाएंगे। निर्णय: समिति ने निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की; 1, अतीत में छोड़े गए पशुओं (पाइग्मी हॉग) की मूल्यांकन रिपोर्ट। यदि संभव हो तो, भविष्य में निगरानी के उद्देश्य से वर्तमान रिलीज में से कुछ जानवरों को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा।
एजेंडा 4	पीसीसीएफ एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्राप्त	धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एवं कुम्भलगढ़ टाइगर रिजर्व की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के उक्त प्रस्ताव को इस शर्त के साथ "सैद्धांतिक" स्वीकृति प्रदान की गई थी कि राजस्थान वन विभाग संशोधित विस्तृत प्रस्ताव इस प्राधिकरण को पुनः प्रस्तुत करेगा' [दिनांक 23.12.2022 को

		आयोजित 17वीं तकनीकी समिति की एजेंडा संख्या 8 में]। दोनों क्षेत्रों के लिए सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। **निर्णय:** 1. **समिति ने धौलपुर-करौली बाघ अभयारण्य को अंतिम मंजूरी देने की सिफारिश की। हालांकि, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्ताव में प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य को पहले अधिसूचित किया जाए।** 2. **समिति ने कुंभलगढ़ बाघ अभयारण्य के प्रस्ताव को 'तमिलनाडु-सिद्धांत' अनुमोदन की सिफारिश की। राज्य को भूमि उपयोग के साथ कोर, बफर और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को दर्शाते हुए अद्यतन प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।**

एजेंडा 5	श्री दुष्यंत सिंह, माननीय संसद सदस्य [लोकसभा) से प्राप्त	मुकुंदरा टाइगर रिजर्व (एमएचटीआर) से संबंधित निम्नलिखित मामले पर चर्चा की गई: "क्षेत्र में मौजूदा बाघ आबादी को बढ़ाना" **निर्णय:** **समिति ने एमएचटीआर के दर्रा क्षेत्र में 1 नर: 2 मादा के अनुपात में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमोदन की सिफारिश की, जो कि मौजूदा उपलब्धता और वृद्धि के अधीन है।**
एजेंडा 6	सीईओ, आईओआरए इकोलॉजिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से प्राप्त	भारत में चुनिंदा बाघ रिजर्वों के लिए कार्बन वित्त के माध्यम से बाघ संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव। **निर्णय:** **समिति ने उक्त प्रस्ताव को "बिना किसी लागत" के आधार पर "सिद्धांततः" मंजूरी देने की सिफारिश की।** **इसके अलावा, परियोजना को एनटीसीए के परामर्श से विकसित किया जाएगा।**
एजेंडा 7	एपीसीसीएफ (वन्यजीव); मध्य प्रदेश से प्राप्त	मध्य प्रदेश में बाघों की ऐतिहासिक और वर्तमान आनुवंशिक विविधता का मूल्यांकन

		करने के लिए उनसे नमूना संग्रहण की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव। डॉ. उमा रामकृष्णन, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बैंगलोर द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान "मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की ऐतिहासिक और वर्तमान आनुवंशिक विविधता का मूल्यांकन" के लिए बाघों से रक्त के नमूने, लार के नमूने, ऊतक और त्वचा के नमूने एकत्र किए जाएंगे। **निर्णय:** समिति ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।
एजेंडा 8		नंदनवन चिड़ियाघर और सफारी नवा फतईपुर से अचानकमार टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में चीतल [150 नग] शिकार स्थानांतरण की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव। **न:** **समिति ने अनुमोदन की सिफारिश की**

		उक्त प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार किया जाएगा **1. सभी सावधानियां जैसे कि परजीवी भार विश्लेषण और व्यक्तियों की रोग जांच की जानी चाहिए।** **2. इसे पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना है,** **3. स्थानांतरण के लिए सीजेडए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है।**
एजेंडा. 9	सी.डब्लू.एल.डब्लू., बिहार से प्राप्त	वन्यजीव निगरानी और संरक्षण के उद्देश्य से कार्यालय फील्ड निदेशक याल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा 2 वेक्टरिक्स वर्टेक्स पिंस जीपीएस कॉलर के साथ बाघ (ओं) को पकड़ने और शांत करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव। **निर्णय:** **समिति ने निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की;** **1. कॉलर लगाने के लिए चुना गया पशु अधिमानतः फैलने वाला उप-वयस्क नर होना चाहिए।**

		2. रेडियो कॉलर में दूर से पहुंच वाली ड्रॉप ऑफ/ऑटो ड्रॉप ऑफ सुविधा होनी चाहिए।
एजेंडा 10	सी.डब्लू.एल.डब्लू., राजस्थान से प्राप्त	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक मादा बाघिन के स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव। **निर्णय:** **समिति ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।**
एजेंडा 11	सी.डब्लू.एल.डब्लू., राजस्थान से प्राप्त	एमएचटीआर में मौजूदा बाड़े के 32 वर्ग मीटर में जंगली कुत्तों और गौर के 3 जोड़े लाने के संबंध में प्रस्ताव, उक्त प्रस्ताव को दिनांक 02.05.2023 को आयोजित प्रथम तकनीकी समिति के समक्ष निम्नलिखित निर्णय के साथ रखा गया: "राजस्थान से प्राप्त जनसंख्या आवास व्यवहार्यता विश्लेषण (पीएचवीए) रिपोर्ट को चर्चा के लिए रखा जाना है।"

		निर्णय: **उक्त मामले को स्थगित कर दिया गया है। इसे अगली तकनीकी समिति की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें संबंधित राज्य और भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव की उपयुक्तता पर आगे की चर्चा की जाएगी।**
एजेंडा-12	निदेशक, ऑप्टिमम टेलीविज़न, यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त	भारत की बड़ी बिल्लियों की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता पर एक फिल्म के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव। **फ़ैसला:** **प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। अगली तकनीकी समिति की बैठक में चर्चा और निर्णय के लिए नया प्रस्ताव रखा जाएगा।**
एजेंडा-13	पीसीसीएफ (वन्यजीव) एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, असम से प्राप्त	असम से छत्तीसगढ़ तक स्थानांतरण के लिए जंगली भैंसों की पारिस्थितिक उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट। मानस टाइगर रिजर्व से पांच जंगली भैंसों को छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करने के लिए मानस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

		31.10.2019 को आयोजित तकनीकी समिति की बैठक के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया था: ' (i) जंगली भैंसों की जनसंख्या स्थिति. (ii) उक्त स्थानांतरण की पारिस्थितिक उपयुक्तता के साथ औचित्य **फ़ैसला:** **समिति निम्नलिखित निर्देशों के साथ "पारिस्थितिक व्यवहार्यता" रिपोर्ट से सहमत है;** **1. राज्य सरकार को स्थानांतरित जंगली भैंसों की वर्तमान स्थिति पर अद्यतन रिपोर्ट भेजनी है।** **2. मुख्य वन्यजीव वार्डन एनटीसीए तकनीकी समिति के समक्ष की गई कार्रवाई और आगे की रणनीति पर एक प्रस्तुति देंगे।**

समाप्त

अनुलग्नक VI

कंप्यूटर नं. ई-169032

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-30(3)/2023-एनटीसीए **दिनांक: 21.09.2023**

विषय: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तीसरी तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/सारांश रिकॉर्ड - के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संदर्भ में, कृपया 11 सितंबर, 2023 को डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी (पीटीएंडई) और एमएस (एनटीसीए), नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित एनटीसीए की तीसरी तकनीकी समिति की बैठक के मिनट्स/सारांश रिकॉर्ड की अनुमोदित प्रति संलग्न देखें।

सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(मोहम्मद साजिद सुल्तान) सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: aig2-ntca@nic.in

टेली. (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-39

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति, एनटीसीए (सूची संलग्न)

2. महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली

3. मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम

4. डॉ. जे.वी. शर्मा, भूमि संसाधन प्रभाग, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)

5. प्रधान वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रमुख, सीएसआईआर-सीसीएमबी, हैदराबाद

6. निदेशक, संकला फाउंडेशन

7. निदेशक, ऑप्टिमम टेलीविजन।

प्रतिलिपि:

1. माननीय पर्यावरण मंत्री के निजी सचिव

2. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली

3. एडीजी (पीटीएंडई) एवं एमएस (एनटीसीए) के निजी सचिव

योग (A)	**16,68,95,697.39**

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तीसरी तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/कार्यवाही

क्र. सं.	**कार्यसूची**	**सारांश**
एजेंडा 1	ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली के महासचिव से 49.50 लाख रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	2047 तक बाघों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को लागू करने की दिशा में कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव - " अमृत काल का टाइगर विजन", **निर्णय:** **समिति ने 4 महीने की समय-सीमा** *के साथ 30 लाख* **रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की । बजट का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार है।**
एजेंडा 2	असम से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित जंगली भैंसों की स्थिति	स्थानांतरित भैंसों की स्थिति और आगे की रूपरेखा प्रस्तुत की। **निर्णय/टिप्पणियाँ:** **समिति ने जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।** **यह सुझाव दिया गया कि राज्य में जंगली भैंसों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए जमीनी व्यवहार्यता के अधीन जनसंख्या स्थिति सर्वेक्षण कराया जा सकता है।**
एजेंडा 3	लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रयोगशाला (लाकोन्स) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	सीएसआईआर द्वारा वित्त पोषित परियोजना संरक्षण परिणामों में सुधार के लिए पूर्वी घाटों को समझना [2022-27] में रसद सहायता का प्रस्ताव,

	सीएसआईआर- सेलुलर आणविक जीव विज्ञान केंद्र	**निर्णय:** **समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के पास पहले से ही ऐसे नमूनों का भंडार है।** **इसलिए, LaCONES W1I के पास उपलब्ध नमूनों के उपयोग की संभावना तलाश सकता है।**

एजेंडा 4	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के साथ सहयोग एवं सहभागिता के लिए गैर-लाभकारी संगठन , संकला फाउंडेशन के निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ	संकला फाउंडेशन, भारत के बीच समझौता ज्ञापन का अनुरोध **निर्णय:** **समिति ने सहयोगात्मक कार्यों के लिए संकला फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन [एमओयू] पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी की सिफारिश की।**
एजेंडा 5	ऑप्टिमम टेलीविजन के निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	भारत की व्याघ्र संबंधी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता पर एक फिल्म के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव, जिसका खर्च राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को वहन नहीं करना होगा। **निर्णय:** **समिति ने प्रस्ताव को "बिना लागत के आधार" पर मंजूरी देने की सिफारिश की।**
एजेंडा 6	टेरी के माध्यम से कार्बन क्रेडिट पर चल रही परियोजना की समीक्षा।	स्वैच्छिक कार्बन बाजार परियोजना के विकास से संबंधित प्रस्ताव, उक्त परियोजना को पिछली बैठक में अनुमोदित किया गया था, और अब टेरी

		के प्रतिनिधि द्वारा स्थिति की अद्यतन जानकारी दी जाएगी। **निर्णय:** **समिति ने अब तक की प्रगति पर ध्यान दिया तथा व्याघ्र रिजर्ववार अद्यतन जानकारी देने का अनुरोध किया।**
अतिरिक्त एजेंडा		पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपनाए गए संशोधित बैठक शुल्क से संबंधित मामला तकनीकी समिति के सदस्य श्री एसएस श्रीवास्तव द्वारा उठाया गया और समिति द्वारा उस पर चर्चा की गई। **निर्णय** **समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित बैठक शुल्क दरों (6000 रुपये) को अपनाने की सिफारिश की, जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित कार्यों जैसे बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र दौरे आदि पर लागू होगी।**

अनुबंध 1

बजट का विवरण :

क्र.सं.	**विशिष्ट**	**दर (भारतीय रुपये में)**	**इकाई**	**मात्रा (भारतीय रुपये में)**
1	**तकनीकी मसौदा तैयार करने की लागत**			
	स्टाफ समय लागत तकनीकी सलाहकार, तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार	1800000	एकमुश्त	1800000
2	**तकनीकी सहायता और R5|G15 कार्य, जिसमें डेटा संग्रह भी शामिल है**			
	जीआईएस और संबंधित विश्लेषण के लिए सुदूर संवेदी डेटा की प्राप्ति	800000	एकमुश्त	400000
3	**साइट का दौरा** और **परामर्श बैठकें**			
	प्रत्येक परिदृश्य में मॉडल स्थलों का दौरा	400000	5	700000
4	परिचालन लागत			
	मुद्रण प्रकाशन, संचार, स्टेशनरी आइटम	350000	एकमुश्त	100000

	कुल			3000000

अनुलग्नक VII

कंप्यूटर नं. ई-169032
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-30(4)/2023-एनटीसीए **दिनांक: 17 .10.2023**

तीसरी तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/सारांश रिकॉर्ड - तत्संबंधी।

उपर्युक्त विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संदर्भ में, कृपया 9 अक्टूबर, 2023 को डॉ. एसपी यादव, एडीजी (पीटीएंडई) और सदस्य सचिव (एनटीसीए), नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की चौथी तकनीकी समिति की बैठक के मिनट/सारांश रिकॉर्ड की अनुमोदित प्रति संलग्न देखें ।

सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

(मोहम्मद साजिद सुल्तान)
सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)
ईमेल: aig2-ntca@nic.in
टेली. (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति, एनटीसीए (सूची संलग्न)
2. पीसीसीएफ (वन्यजीव), महाराष्ट्र
3. प्रमुख (वन्यजीव), नागालैंड
4. ओएसडी क्षेत्रीय कार्यालय (एनटीसीए), गुवाहाटी
5. फील्ड निदेशक, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र
6. निदेशक, इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड
7. निदेशक, संकला फाउंडेशन

प्रतिलिपि-

1. माननीय एमईएफ&सीसी के निजी सचिव
2. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय , नई दिल्ली
3. एडीजी (पीटीएंडई) एवं एमएस (एनटीसीए) के निजी सचिव

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण [एनटीसीए] की चौथी तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्त/कार्यवाही

क्र. सं.	कार्यसूची	सारांश/निर्णय

एजेंडा 1	ओएसडी, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी के माध्यम से निदेशक, इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।	इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान में व्याघ्र आवास के संवर्धन पर प्रस्ताव । इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक ने 2022-23 के दौरान इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान, पेरेन , नागालैंड में "व्याघ्र के शिकार आधार विविधता और प्रचुरता पर अध्ययन" के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवन का समृद्ध भंडार है और यह अन्य संरक्षित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण-पश्चिम में कार्बी-आंगलोंग (असम) और दक्षिण की ओर तामेंगलोंग वन हैं। इस भूदृश्य में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सटे हुए जंगल हैं। **निर्णय:** **प्रस्ताव को निगरानी पहलुओं** तक सीमित करके संशोधित किया जाना है तथा पुनः प्रस्तुत किया जाना है।
एजेंडा 2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुआ	सह्याद्री टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र चरण-II में "टाइगर रिकवरी" रणनीति और दीर्घकालिक निगरानी के संबंध में प्रस्ताव। भारतीय वन्यजीव संस्थान [डब्ल्यूआईआई] ने ताडोबा-अंधारी टाइगर परिदृश्य सहित अन्य परिदृश्यों से सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में बाघों के वास्तविक स्थानांतरण के लिए परियोजना चरण II प्रस्तुत किया है। परियोजना की अवधि 5 वर्ष है तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बताई गई परियोजना की लागत 1050.11 लाख रुपये है।

		प्रस्तावित है कि अपेक्षित धनराशि मुख्य रूप से सीएएम पीए और अन्य उपलब्ध स्रोतों से पूरी की जाएगी। **निर्णय:** **समिति ने सिफारिश की कि प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए राज्य कैम्पा से निधि की उपलब्धता का पता लगाने के अलावा अतिरिक्त एपीओ प्रस्तुत किया जा सकता है ।**

एजेंडा 3	संकला फाउंडेशन के निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ	एक राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और संकला फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें व्याघ्र संरक्षण को समर्थन देने के लिए सतत प्रथाओं, जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्रचार/पहुंच और अन्य प्रथाओं के संबंध में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और साझेदारी जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत देश के व्याघ्र अभयारण्यों के आसपास के आदिवासियों /वनवासियों की चित्रकला को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव है । उपरोक्त प्रदर्शनी के संबंध में 43.95 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव है, जिसका भुगतान एनटीसीए द्वारा किया जाएगा, जबकि 21 लाख रुपये की धनराशि सांकला फाउंडेशन द्वारा वहन की जाएगी । **निर्णय:**

		समिति ने उक्त परियोजना के लिए 36.54 लाख रुपये के अनुमोदन की सिफारिश की ।

अनुलग्नक VIII

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

***

फाइल संख्या 15-30(5)/2023-एनटीसीए नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 5 वीं तकनीकी समिति - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 03 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 5 वीं तकनीकी समिति को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में, उक्त बैठक का सारांश रिकॉर्ड अवलोकनार्थ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार संलग्न

भवदीय

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल : diql-ntca@nic.in

टेलीफोन (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24364837-42

फैक्स: **+91 11 24367836**

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति, एनटीसीए (सूची संलग्न)।
2. महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम , नई दिल्ली
3. मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड।
4. फील्ड निदेशक, पलामू , सुंदरबन , सिमिलिपाल , अचानकमार , रामगढ़ विषधारी , नामेरी और कान्हा टाइगर रिजर्व
5. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून

6. निदेशक, संकला फाउंडेशन

प्रतिलिपि:

1. एडीजी के निजी सचिव (पीटी एंड ई) और एमएस (एनटीसीए)

2. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय , नई दिल्ली के पीएस

3. अनुभाग अधिकारी (एनटीसीए)/डेटा विश्लेषक (एनटीसीए), नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु

बी-1 विंग, 7वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

एनटीसीए की 5 वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश

क्र.सं.	**कार्यसूची**	**एजेंसी**	**लागत**	**सिफारिश**
एजेंडा 1	भारत से कंबोडिया में 11 बाघों (4 नर 7 मादा) को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव [2024 की शुरुआत में 1 नर और 3 मादा]	**पर्यावरण मंत्रालय , कंबोडिया साम्राज्य और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून**	-	**"सिद्धांततः" स्वीकृत** आगे विचार-विमर्श के बाद सोर्सिंग पर निर्णय लिया जाएगा
एजेंडा 2	भगवान बीरसाह प्राणी उद्यान झारखंड से चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, काला हिरण, भौंकने वाले हिरण और गौर का पलामू टाइगर रिजर्व में स्थानांतरण।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, झारखंड	-	**अनुमत** केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के प्रोटोकॉल के पालन के अधीन
एजेंडा 3	सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल की सीमाओं का पुनर्गठन	मुख्य वन्यजीव वार्डन, पश्चिम बंगाल	-	**अनुमत** इस अनुभाग के अंतर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,

				1972 की धारा 38डब्ल्यू
एजेंडा 4	ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के किनारे पर मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	-	**स्वीकृत "इन-सिद्धांत "** इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली समिति की टिप्पणियों के अधीन
एजेंडा 5	क्लेम्सन विश्वविद्यालय के साथ ट्रेल-गार्ड कैमरा ट्रैप का उपयोग करके मानव -व्याघ्र इंटरफेस क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए परियोजना का विस्तार - अगस्त 2025 तक विस्तार मांगा गया	ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली	निःशुल्क विस्तार	**अनुमत**
एजेंडा 6	अचानकमार टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश	भारत सरकार पर कोई लागत नहीं	**अनुमत** मध्य प्रदेश द्वारा नर और मादा व्याघ्र उपलब्ध कराए जाने के अधीन
एजेंडा 7	नीलगाय (100) और काले हिरण (400) को कृषि क्षेत्रों से माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव ।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश	भारत सरकार पर कोई खर्च नहीं	**अनुमत**

एजेंडा 8	व्याघ्र अभयारण्यों में जल संसाधन और सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करने का प्रस्ताव	संकला फाउंडेशन	रु.63.ई ए लाख	**" सिद्धांततः " स्वीकृत** युक्तिकरण के अधीन लागत में
एजेंडा 9	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश प्रस्ताव: (i) कॉरिडोर की कार्यक्षमता पर साक्ष्य आधारित जानकारी तैयार करना तथा एम.पी.एफ.डी. द्वारा प्रबंधन कार्रवाई के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना ।	**डब्ल्यूडब्ल्यूएफ. भारत** **मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश**	-	**आगे के परामर्श के लिए स्थगित**
	पेंच, सतपुड़ा-पेंच और कान्हा अचनक्तमार कॉरिडोर. (ii) प्रशिक्षण, मूल्यांकन के माध्यम से एमपीएफडी के क्षेत्रीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और महत्वपूर्ण पीए/वन प्रभागों को रसद सहायता प्रदान करना या पूर्व आवश्यकता मूल्यांकन प्रदान करना। {iii) मानव-वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सह-अस्तित्व को सक्षम बनाया जा सकेगा।			
एजेंडा 10	*क्यूऑन)* के वितरण और पारिस्थितिकी की स्थिति	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं	-	**अनुमत** पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य

	एल्पिनस) कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश		प्रदेश में स्थल स्थानांतरण के अधीन
एजेंडा 11	*स्थानांतरण के दौरान गौर (बोस गौरस गौरस) में शारीरिक तनाव का आकलन*	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश	-	**अनुमत**
एजेंडा 12	असम के नामेरी टाइगर रिजर्व में 3 सफेद पंख वाले वुड डक की रेडियो टैगिंग	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम	-	**अनुमत**
एजेंडा 13	रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों से संबंधित डेटा तक पहुंच	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान और प्रो. उमा रामकृष्णन , राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र	-	**स्थगित**
एजेंडा 14	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक है "जंगली और लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों में हानिकारक उत्परिवर्तन के परिणाम"	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान और प्रो. उमा रामकृष्णन , राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र	-	**स्थगित**
एजेंडा 15	एक शोध प्रस्ताव या मेटाजेन ताडोबा में वन्यजीव स्वास्थ्य की ओमिक्स -आधारित मौसमी निगरानी अंधारी टाइगर रिजर्व	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र	रु . 10 लाख	**अनुमत** शेष राशि सीएसआर/टीसीएफ के माध्यम से जुटाई जाएगी

एजेंडा 16	व्याघ्र अभयारण्यों में वन आवरण परिवर्तन की स्वचालित निगरानी पर परियोजना	-	-	**आगे के लिए स्थगित** **बहस**
एजेंडा 17	ओडिशा के देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी की बहाली के लिए अनुपूरक योजना	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	-	**अनुमत** कम से कम दो मादाओं का स्थानांतरण करें

***

अनुलग्नक IX

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

***

एफ. **सं. 15-30(6)/2023-एनटीसीए नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 6 वीं तकनीकी समिति - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 16 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की छठी तकनीकी समिति को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में, उक्त बैठक का सारांश रिकॉर्ड अवलोकनार्थ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार संलग्न

भवदीय

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल : diql-ntca@nic.in

टेलीफोन (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24364837-42

फैक्स: **+91 11 24367836**

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति, एनटीसीए (सूची संलग्न)।
2. मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान, असम, ओडिशा , मध्य प्रदेश और झारखंड।

3. क्षेत्र निदेशक, पलामू , काजीरंगा , सिमिलिपाल , सतकोसिया और पन्ना टाइगर रिजर्व
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
5. डॉ. रमेश, वैज्ञानिक, WII, देहरादून

प्रतिलिपि:

1. एडीजी (पीटी एवं ई) एवं एमएस (एनटीसीए) के पीएस

2. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली के पीए

3. अनुभाग अधिकारी (एनटीसीए)/डेटा विश्लेषक (एनटीसीए), नई दिल्ली आवश्यक कार्रवाई हेतु

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, नई दिल्ली
- निदेशक, (आईएफडी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली
- श्री एस.एस.श्रीवास्तव , पूर्व पी.सी.सी.एफ. एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी , ओडिशा
- डॉ. एचएसनेगी , पूर्व एपीसीसीएफ (डब्ल्यूएल), मध्य प्रदेश
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान
- मुख्य वन्यजीव वार्डर, उत्तराखंड

बी-1 विंग, 7वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

एनटीसीए की 6 वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश

क्र.सं.	कार्यसूची	एजेंसी	लागत	सिफारिश
एजेंडा 1	काजीरंगा टाइगर रिजर्व के सीमांत गांवों में सामुदायिक भागीदारी और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना" और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, असम के गीले घास के मैदान में आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन परियोजना का निःशुल्क विस्तार ।	असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन	-	'बिना किसी लागत के' विस्तार की सिफारिश की गई है , इस शर्त के साथ कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा
एजेंडा 2	सतकोसिया टाइगर रिजर्व में व्याघ्र पुनरुत्पादन कार्यक्रम का मूल्यांकन	ओडिशा के मुख्य वन्यजीव वार्डन		व्यवहार्यता और साइट मूल्यांकन के अधीन " सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए अनुशंसित
एजेंडा 3	"विभिन्न एसओपी के लिए एनटीसीए प्रशिक्षण वीडियो" का प्रस्ताव	कालाबाग मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	रु.2. 4 लाख	औपचारिकताओं के अधीन अनुमोदन हेतु अनुशंसित
एजेंडा 4	बाघिन टी-114 के शावकों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के संबंध में	राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक		स्थगन के लिए अनुशंसित

एजेंडा 5	परियोजना चीता पर मूल गीत और ऑडियो विजुअल का प्रस्ताव, जिसका अस्थायी नाम ' छेता ' रखा गया है की रफ़्तार भारत की रफ़्तार	-	20 .75 लाखों	" सैद्धांतिक " अनुमोदन के लिए अनुशंसित , वित्त पोषण के लिए आईओसीएल को सूचित करना
एजेंडा 6	(a) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों से संबंधित डेटा तक पहुंच । (b) अनुसंधान परियोजना का शीर्षक है "जंगली और लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों में हानिकारक उत्परिवर्तन के परिणाम"	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान और प्रो. उमा रामकृष्णन , राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र	-	नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है
एजेंडा 7	पलामू टाइगर रिजर्व की व्याघ्र संरक्षण योजना	झारखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित
एजेंडा 8	पन्ना टाइगर रिजर्व की व्याघ्र संरक्षण योजना	मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक	-	इस शर्त के अधीन अनुमोदन के लिए अनुशंसित कि

				व्याघ्र अभयारण्य में हॉट एयर बैलूनिंग और रात्रि पर्यटन पर रोक
एजेंडा 9	सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व की व्याघ्र संरक्षण योजना	ओडिशा के मुख्य वन्यजीव वार्डन		अनुमोदन के लिए अनुशंसित
एजेंडा 10	कंबोडिया के लिए बाघों की आपूर्ति	डब्ल्यूआईआई और एनटीसीए	-	पश्चिमी घाट से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए अनुशंसित
एजेंडा 11	क्लेम्सन विश्वविद्यालय, ग्लोबल टाइगर फोरम और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत के बीच समझौता ज्ञापन	क्लेम्सन विश्वविद्यालय, ग्लोबल टाइगर फोरम और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण	-	द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से अनुमोदन हेतु अनुशंसित

***

अनुलग्नक X

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सांविधिक निकाय)

दिनांक: 11-09-2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी ने राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फलौदी रेंज में जहर के कारण बाघों के कथित लापता होने और व्याघ्र शावकों की मौत की जांच के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया है।

(a) मोहम्मद साजिद सुल्तान, एआईजी एनटीजीए

(b) डॉ अयान साधु, एनटीसीए टाइगर सेल, डब्ल्यूआईआई

2. उक्त समिति के कार्य एवं शर्तें इस प्रकार हैं: राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के कथित लापता होने और जहर के कारण व्याघ्र शावकों की मौत की जांच करना तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3. समिति इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

संलग्न : मीडिया रिपोर्ट

एसडी /-

(राजेन्द्र जी. गरवाड़)

उप महानिरीक्षक

ईमेल: dig2-ntca@nic.in

टेलीफ़ोन: + 91 11 24367834-39

फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

समिति के सभी सदस्य

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. पीसीसीएफ (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान सरकार
2. क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजथान
3. नोडल अधिकारी, एनटीसीए टाइगर सेल, डब्ल्यूआईआई।
4. एडीजी (पीटीएंडई) के निजी सचिव एवं आईजीसी, एनटीसीए के एमएस (एनटीसीए)/पीए

राजेंद्र जी द्वारा

हस्ताक्षरित

गरावाड

दिनांक: 11-

09=2023 18:09:35

कारण: स्वीकृत

अनुलग्नक XI

कंप्यूटर नं.: ई- 208043
भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-3/2023-एनटीसीए **दिनांक: 4 जुलाई,2023**

आदेश

विषय: व्याघ्र अभयारण्यों के आसपास होटलों/रेस्तरां की पग-मार्क रेटिंग प्रणाली के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक समिति का गठन - तत्संबंधी।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, व्याघ्र अभयारण्यों के आसपास स्थित होटलों/रेस्तरांओं की पग-मार्क रेटिंग प्रणाली के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

1	श्री प्रशांत कुमार, सेवानिवृत्त विशेष सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष
2	श। संजयन कुमार, सीसीएफ, कोल्लम, केरल	सदस्य
3	श्री एल. कृष्णमूर्ति , क्षेत्र निदेशक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश	सदस्य
4	श्री प्रमोद पीपी फील्ड डायरेक्टर, पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल	सदस्य

5	श्री धीरज मित्तल, एआईजी (एफसी), एमओईएफ एंड सीसी , नई दिल्ली	सदस्य
6	श्री मोहम्मद साजिद सुल्तान, एआईजी (एनटीसीए), नई दिल्ली	संयोजक

समिति 15 जुलाई, 2023 तक संबंधित टाइगर रिजर्व में "पग-मार्क्स" मान्यता के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगी।

(मोहम्मद साजिद सुल्तान)

सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: aig2-ntca@nic.in

टेली. (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-39

वितरण:

1. समिति के सभी सदस्य

कृपया जानकारी हेतु प्रतिलिपि भेजें:

1. एडीजी (पीटी एवं ई) एवं एमएस (एनटीसीए), नई दिल्ली
2. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली

बी-1 विंग, 7वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अनुलग्नक XII

कंप्यूटर नं.: ई- 208043
भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-3/2023-एनटीसीए **दिनांक: 24.08.2023**

आदेश

विषय: वन्यजीव उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन/विनिर्माण के संबंध में चर्चा /आगे की राह पर एक समिति का गठन - तत्संबंधी

25 जुलाई 2023 को डॉ. एस.पी. यादव, एडीजी (पीटीएंडई) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में आयोजित "वन्यजीव स्वास्थ्य/सक्रिय प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्पादों की समग्र मांग" बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार।

वन्यजीव उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन/विनिर्माण के संबंध में चर्चा/आगे की रणनीति बनाने के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

1. डॉ. के. रमेश, वैज्ञानिक, डब्ल्यूआईआई देहरादून
2. डॉ. जी. अरेन्द्रन , निदेशक, आईजीसीएमसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया
3. डॉ. यशवीर भटनागर , कंट्री हेड, आईयूसीएन इंडिया
4. श्री सुमित सभरवाल , अध्यक्ष ए एंड एस क्रिएशन
5. श्री राजेंद्र मूथा , मुख्य परिचालन अधिकारी और बुनियादी ढांचे के प्रमुख, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क
6. श्री साजिद मुख्तार , अध्यक्ष, रोटर प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, रुड़की ।
7. श्री मोहम्मद साजिद सुल्तान, एआईजी (एनटीसीए), नई दिल्ली - सदस्य संयोजक।

समिति से अनुरोध है कि वह **1 सितंबर, 2023 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।**

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मोहम्मद साजिद सुल्तान)

सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: aig2-ntca@nic.in

टेली. (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-39

वितरण:

1. समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय , नई दिल्ली
2. एडीजी (पीटीएंडई) के निजी सचिव एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए)

अनुलग्नक XIII

कंप्यूटर नं.: ई- 210209
भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 7-20/2023-एनटीसीए **दिनांक: 21.08.2023**

आदेश

विषय: वन्यजीव स्वास्थ्य/सक्रिय प्रबंधन में प्रयुक्त पशु चिकित्सा औषधियों के स्वदेशी उत्पादन के संबंध में चर्चा/ **आगे की राह के लिए** एक **समिति का** गठन ।

25 जुलाई 2023 को डॉ. एसपी यादव , एडीजी (पीटीएंडई) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में आयोजित "वन्यजीव स्वास्थ्य/सक्रिय प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्पादों की समग्र मांग" बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार।

वन्यजीव स्वास्थ्य/सक्रिय प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली पशु चिकित्सा दवाओं के स्वदेशी उत्पादन के संबंध में चर्चा/आगे की राह तय करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है ।

1. डॉ. प्रदीप मलिक, सदस्य एनटीसीए - अध्यक्ष

2. पशुपालन आयुक्त (एएचसी), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन , नई दिल्ली अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. औषधि महानियंत्रक (भारत), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार , एफडीए भवन , आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली या उसका/उसकी प्रतिनिधि।

4. नारकोटिक्स आयुक्त, भारत सरकार , केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, द मॉल, मुरार , ग्वालियर-474 006, मध्य प्रदेश या उनके प्रतिनिधि।

5. डॉ. पराग निगम, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं प्रमुख, वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग , भारतीय वन्यजीव संस्थान।

6. डॉ. अरुण अत्रे , एमडी और सीईओ, जेनेक्स एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।

7. डॉ. डीजे कलिता , प्रमुख तकनीकी एवं नियामक, जेनेक्स एनिमल हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

8. श्री , एम एस सुल्तान, एआईजीएफ एनटीसीए, - सदस्य संयोजक

समिति से अनुरोध है कि वह अपनी सिफारिशें **1 सितम्बर 2023 तक** प्रस्तुत करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मोहम्मद साजिद सुल्तान)

सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: aip2-ntca@nic,in

टेली. (ईपीएबीएक्स): + 91 11 24367837-39

वितरण:

1. समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. आईजीएफ (एनटीसीए), मुख्यालय , नई दिल्ली
2. एडीजी (पीटीएंडई) के निजी सचिव एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग,

नई दिल्ली- 110002

पीजीए/सीई/ईएसडी/ईए/एसएआर/एनटीसीए/2023-24/पीआर-133254 /226

दिनांक: 25-10-2024

सेवा में

एडीजीएफ (प्रोजेक्ट टाइगर) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

ब्लॉक विंग, 7वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन ,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110003.

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, दिल्ली के 31 मार्च, 2024 को **समाप्त वर्ष के** लेखाओं पर **पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

महोदय ,

वर्ष मुझे 2023-24 राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, दिल्ली के लिए पृथक्करण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेसित करने का निर्देश दिया गया है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्थापन करने से पहले वर्ष 2023-24 के वार्षिक नामांकन को संबितन के शासी निकाय द्वारा स्थापित/अपनाया जाए , तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी रेजल व्यूजियन को स्थापित किया जाए। प्रक्षेपक दास डेमोक्रेट वेजे जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसके तीन राज्य इस कार्यालय और दो राज्य भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा को अग्रेषित करते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रवेश की तारीखें भी इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उप निदेशक (पर्या.ले.)

वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण नई दिल्ली के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), नई दिल्ली की संलग्न बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते का लेखा-जोखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां **और** सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 आर के तहत समय-समय पर संशोधित किया है। ये वित्तीय विवरण एनटीसीए के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है,

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा , लेखा , नियम और विनियमन (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट / नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षण की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षण में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि -

- हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

- इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान खाता भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

- हमारी राय में, बोर्ड द्वारा उचित लेखा पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. बैलेंस शीट

-

बी. आय और व्यय खाता

-

सी. प्राप्ति एवं भुगतान खाता

-

डी. लेखांकन नीतियां

-

ई. सामान्य

-

एफ. अनुदान सहायता

2023-24 के दौरान, एनटीसीए को अनुदान सहायता के रूप में 24.96 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें जीआईए-सामान्य के लिए 10.15 करोड़ रुपये, जीआईए-वेतन के लिए 1.31 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत परियोजना के लिए 2.70 करोड़ रुपये और कैम्पा से 10.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके मुकाबले एनटीसीए ने जीआईए-सामान्य के तहत 10.15 करोड़ रुपये, जीआईए-वेतन के तहत 1.1044 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत परियोजना के तहत 2.70 करोड़ रुपये और कैम्पा के तहत 10.04 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे जीआईए-वेतन के तहत 0.20 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये शेष रह गए। 31 मार्च 2024 तक कैम्पा के अंतर्गत 0.76 करोड़ रुपये अप्रयुक्त अनुदान के रूप में उपलब्ध रहेंगे। प्राधिकरण ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को 15.12 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी किया है।

जी. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को अलग ऑडिट रिपोर्ट के मसौदे में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), दिल्ली के ध्यान में लाया गया है, प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से पत्र जारी किया गया है।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाएंगे तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन होंगे।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक यह बैलेंस शीट से संबंधित है, 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), दिल्ली के मामलों की स्थिति; और

ख. जहां तक यह आय और व्यय खातों से संबंधित है, उस दिन समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष का था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली **महानिदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय**

(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

नवीनतम आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

एनटीसीए की लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

अवलोकन :-

2.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों (डीसी) की निगरानी

जीएफआर 2017 के नियम 238 में प्रावधान है कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, उसके वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र जीएफआर 12-ए के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे संबंधित संस्था/संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, एनटीसीए द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से यह पाया गया कि 19 मामलों के संबंध में कुल 2.43 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र 31.03.2024 तक प्राप्त होने के लिए लंबित थे।

एनटीसीए ने जवाब दिया कि प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदान के विरुद्ध संबंधित विभाग/प्राधिकरणों से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। यद्यपि यह अवलोकन पिछले वर्षों के एसएआर में भी उठाया गया था , लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

3. अचल संपत्तियों, इन्वेंट्री और उपभोग्य सामग्रियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

वर्ष 2023-24 के लिए केवल उपभोग्य वस्तुओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई। हालांकि, एनटीसीए द्वारा अचल संपत्तियों, स्टोर और लाइब्रेरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और न ही लेखापरीक्षा को इसकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

यद्यपि पिछले वर्षों के दौरान भी लेखापरीक्षा द्वारा इस विसंगति की ओर ध्यान दिलाया गया था, तथापि, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4. बकाया राशि

बैलेंस शीट - संपत्ति - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि। 17.21 करोड़ रुपये (अनुसूची 11)

रुपए की राशि शामिल है जिसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि पिछले वर्ष 2018-19 तक सावधि जमा/सावधि जमा पर काटी गई थी । आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अनुसार , एक वैधानिक निकाय को आयकर के भुगतान से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि फाइल भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना हो। वर्ष 2019-20 के लिए एसएआर में ऑडिट द्वारा इंगित किए जाने पर, एनटीसीए ने आयकर रिटर्न में 2014-15 से 2018-10 तक के रिफंड को दिखाया गया है। हालांकि, आयकर विभाग के पास रिफंड की वसूली के लिए कोई कार्रवाई रिकॉर्ड में नहीं पाई गई। इस तथ्य का भी खातों में कहीं खुलासा नहीं किया गया है।

एनटीसीए ने जवाब दिया कि इस मामले को आयकर विभाग के समक्ष उठाया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि रिटर्न दाखिल करने के बाद भी वर्ष 2022 से रिफंड लंबित है।

उप निदेशक

लेखापरीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय व्यय का कार्यालय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

संदीप लाल, आईए एवं एएस
लेखापरीक्षा महानिदेशक

डीओ नंबर डीजीएसीई/ई&एसडी/ईए/एसएआर/एनटीसीए/2024-24/229 **दिनांक:**

प्रिय,

मैंने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-24 के वार्षिक खातों का ऑडिट किया है और दिनांक 25/10/2025 के पत्र के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। ऑडिट के दौरान, कुछ कमियाँ पाई गईं (अनुलग्नक-ए के अनुसार) जो अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की हैं और इसलिए ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं की गईं। इन्हें सुधारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आपके ध्यान में लाया जा रहा है।

सादर

संलग्न : उपरोक्तानुसार

डॉ. जीएस भारद्वाज आईफ़ोस
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
बीआई वाइन, 7 वीं मंजिल, पं. , दीनदयाल अन्त्योदय भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003.

दूरभाष/ फ़ोन: 011-23403650 ई-मेल आईडी: pdaesd@cag-gov.in

फैक्स / फैक्स : 011-23702353

अनुलग्नक A

1. सीएसआर फंड विभिन्न संगठनों जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीओजी, वंडर सीमेंट लिमिटेड आदि से प्राप्त किया गया था। एनटीसीए द्वारा किए जाने वाले निर्दिष्ट प्रोजेक्ट के लिए। उपरोक्त अप्रयुक्त सीएसआर फंड में अर्जित ब्याज (₹ 10 लाख की राशि) शामिल है। रिकॉर्ड की जांच के दौरान, यह पाया गया कि जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के लिए अर्जित ब्याज ₹ 5,37,047 राशि को उपरोक्त अप्रयुक्त निधि में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, अर्जित ब्याज-सीएसआर फंड के बहीखाते में ₹ 24.55 लाख का उपार्जित ब्याज दिखाया गया है , जबकि सीआरआर फंड के बहीखाते में ₹ 26,45 लाख का उपार्जित ब्याज दिखाया गया है, इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप आय और अन्य चालू देनदारियों में से प्रत्येक में ₹ 5.37 लाख कम दिखाया गया है ।

2. यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार, टीए बिल जमा करने की समय सीमा यात्रा पूरी होने की तारीख से साठ दिन है। अग्रिम रजिस्टर की जांच के दौरान, यह पाया गया कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ₹ 9,67 लाख की टीए/डीए अग्रिम राशि असमायोजित पड़ी है। आज तक, एनटीसीए द्वारा उन अग्रिमों को समायोजित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह, कमरों की बुकिंग, प्रशिक्षण/ कार्यशाला के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों के दौरे आदि के लिए एनटीसीए द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/बैठकों के लिए 727.59 लाख की राशि किसी भी दावे/बिल के अभाव में मई 2023 से मार्च 2024 तक असमायोजित पड़ी है। इस प्रकार, लंबे समय से किसी भी दावे के अभाव में, या तो अग्रिम वसूली योग्य/समायोज्य नहीं है, या वसूली की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार, ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा व्यय को 737.26 लाख रुपये कम दर्शाया गया है।

3. कैम्पा फंड के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि जनवरी से मार्च 2023 तिमाही के लिए अर्जित ब्याज की राशि ₹ 4.99 लाख थी, जिसे वर्ष 2023-24 के लिए अर्जित ब्याज में शामिल किया गया था। यह राशि वर्ष 2023-24 के बजाय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज आय में शामिल होनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और पिछली अवधि के खर्चों को ₹ 4.99 लाख कम करके दिखाया गया है।

4. एनटीसीए ने जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए टाइगर सेल के लिए नैफेड को देय किराए के रूप में ₹ 2.66 लाख बुक किए हैं। हालांकि, जनवरी 2024 के महीने का किराया पहले ही मार्च 2024 में चुकाया जा चुका था और खातों की किताबों में दर्ज किया गया था। आइबिस के परिणामस्वरूप जनवरी 2024 के लिए मासिक किराए की दोहरी बुकिंग हुई है, जो

₹ 0.89 लाख है (₹ 0.75 लाख किराया प्लस जीएसटी), इस प्रकार, व्यय के साथ-साथ चालू देनदारियाँ यानी देय किराया ₹ 0.89 लाख बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।

5. एएस-11 पैरा संख्या 41 में कहा गया है कि, जब रिपोर्टिंग मुद्रा उस देश की मुद्रा से भिन्न हो जिसमें उद्यम स्थित है, तो एक अलग मुद्रा का उपयोग करने का कारण बताया जाना चाहिए, रिपोर्टिंग मुद्रा में किसी भी परिवर्तन का कारण भी बताया जाना चाहिए। विभिन्न अधिकारियों के विदेशी दलालों पर यात्रा व्यय के कारण ₹ 41. IS लाख की राशि, जिसके लिए एनटीसीए 2023-24 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्राओं की व्यवस्था कर रहा है , हालाँकि , न तो आय और व्यय खाते में कोई विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर दर्ज किया गया था और न ही विदेशी मुद्रा विनिमय के लेखांकन उपचार के लिए एनटीसीए द्वारा कोई लेखांकन नीति बनाई गई थी, इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप एएस-II विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव का उल्लंघन हुआ है।

6. अनुदान सहायता सामान्य, अनुदान सहायता वेतन, कैम्पा निधि और सीएसआर निधि से संबंधित रोकड़ बही एक्सेल फाइल में संधारित की गई थी और लेखापरीक्षा को निर्धारित रजिस्टर में संधारित करने के बजाय इन एक्सेल फाइलों के माध्यम से पृष्ठों के प्रिंट पर रोकड़ बही उपलब्ध कराई गई थी। इन प्रिंट आउट को दैनिक आधार पर बनाए रखने और बंद करने के बजाय डीयूडी, एनटीसीए द्वारा पृष्ठ-दर-पृष्ठ आधार पर हस्ताक्षर किए गए थे, वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी किसी उच्च अधिकारी द्वारा कोई आश्चर्यजनक जांच नहीं की गई है, जो कि हर महीने की जानी चाहिए। एनटीसीए और इसकी शाखाओं को दिए गए अग्रदाय के तहत 31,03,2024 को ₹ 1.75 लाख की नकदी शेष थी , जो 31.03.2024 को शून्य होनी चाहिए।

7. एनटीसीए द्वारा रखे गए सभी बचत खातों की शेष राशि की पुष्टि संबंधित बैंकों से प्राप्त नहीं की गई। बैंक समाधान विवरण में वास्तविक भुगतान या जारी/जमा किए गए चेक की प्राप्ति की तारीखों का संकेत नहीं है ।

8. 31 मार्च 2024 को रोकड़ बही में समापन शेष और वास्तविक नकदी के बीच विसंगति। रोकड़ बही में ₹ 0.35 लाख का समापन शेष दिखाया गया है जबकि चालू परिसंपत्ति में केवल ₹ 0.25 लाख नकदी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.10 लाख का अंतर है।

उप निदेशक